खण्ड-193, अंक-6
गुरूवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(20 मार्च, 1958 ई0)

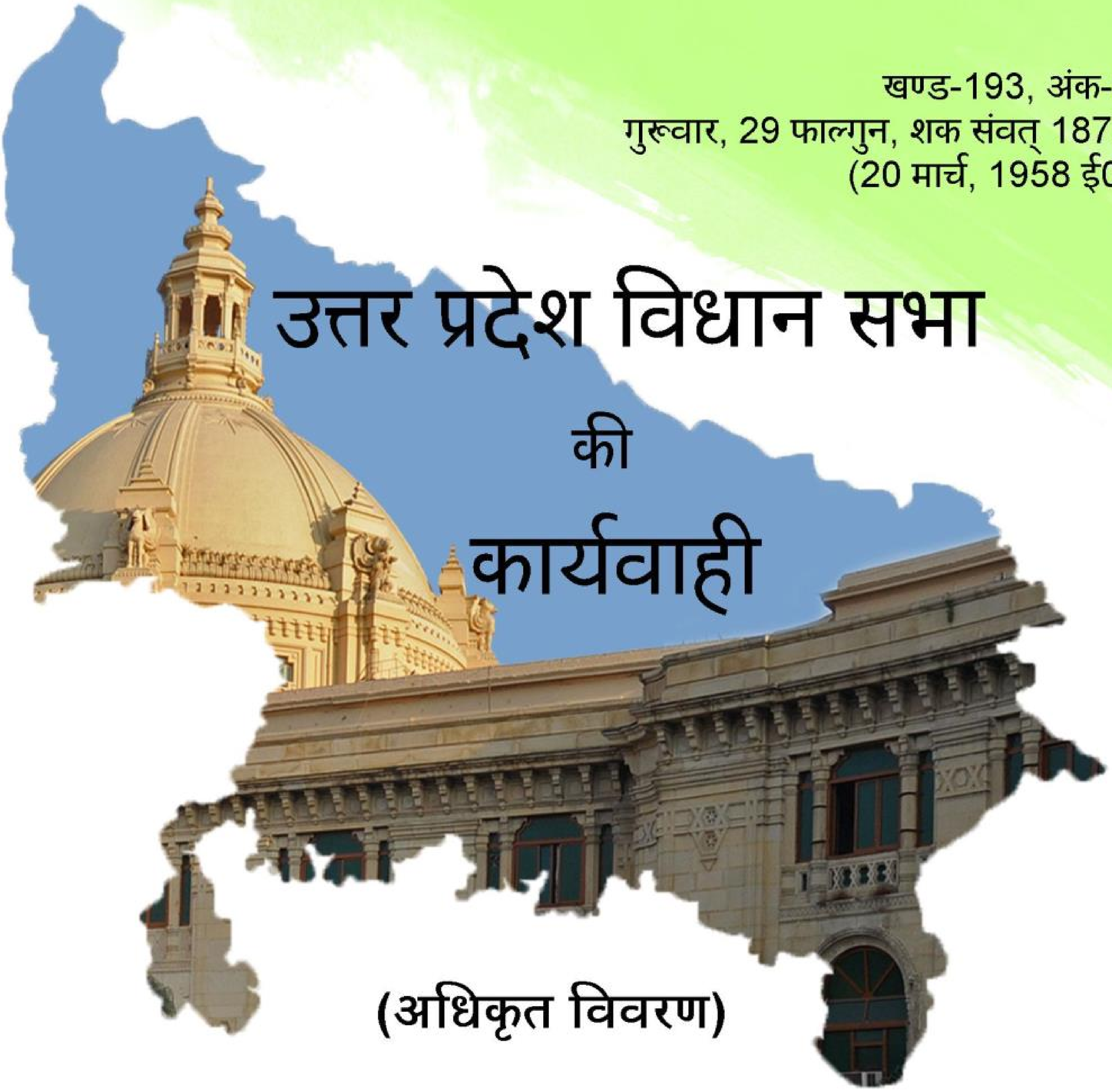

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २० मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्सर्मा, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवी प्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री

ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजन लाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय, यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लक्ष्मण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री

लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरी लाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २० मार्च, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

ईसानगर एन० ई० एस० ब्लाक, जिला खीरी पर व्यय

*१--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ईसानगर एन० ई० एस० ब्लाक, जिला खीरी में कितना रुपया कर्मचारियों पर तथा कितना रुपया जनहित के कार्यों पर अब तक खर्च किया गया ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--३१ दिसम्बर, १९५७ तक इस ब्लाक में कर्मचारियों पर २४,८९६ रुपया व्यय किया गया तथा जन हित कार्यों पर ४३,३८१ रुपया सरकार द्वारा खर्च किया गया ।

*२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त एन० ई० एस० ब्लाक में कितना-कितना रुपया किस-किस मद पर खर्च किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०९ पर)

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यातायात पर १५ हजार रुपये से कौन सी सड़कें और पुलियें बनी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--जो कार्यालय और अन्य भवन निर्माण पर २३,६७० रुपया खर्च है, इसमें 'अन्य भवनों' में कौन-कौन सी इमारतें आती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कार्यालय और बी०डी०ओ० इत्यादि कर्मचारियों के भवनों का खर्चा है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--यातायात पर जो रुपया खर्च होना बताया जाता है वह आन जाने में खर्च हुआ या आन जाने क साधन बनाने में खर्च हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यातायात का अर्थ तो यह है कि आने जाने के मार्गों के लिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि आने जाने के साधन और उनका खर्चा क्या इस व्योरे में शामिल है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

*३-५--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस कन्डक्टरी की ट्रेनिंग के लिये हाईस्कूल पास का प्रतिबन्ध

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ के किसी मास में राजकीय बस विभाग की कन्डक्टरी के लिये ट्रेनिंग पाये हुए हाई स्कूल फेल लड़कों को स्थान न देने का आदेश जिला अधिकारियों को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--मार्च, १९५७ में सरकार द्वारा कन्डक्टर के पद पर नियुक्ति के लिये निम्नतम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता हाई स्कूल करने के फलस्वरूप परिवहन आयुक्त ने मई, १९५७ में यह आदेश जारी किये थे कि जो अभ्यर्थी कन्डक्टरी की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं पर हाई स्कूल पास नहीं हैं, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में से हटा दिया जाय।

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश से कितने व्यक्ति नौकरी से वंचित होंगे ?

डाक्टर सीताराम--उन आदेशों के कारण कोई भी व्यक्ति नौकरी से वंचित नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने अक्तूबर, १९५७ में यह स्पष्ट किया कि मार्च, १९५७ के आदेशों का परिणाम ट्रेनिंग प्राप्त अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ेगा और उनके नाम वेटिंग लिस्ट में से नहीं हटाये जायेंगे तथा उनकी बारी आने पर उन्हें कन्डक्टरी के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

*८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों को अवस्था में छूट देने का प्राविजन इस विभाग में नहीं है ?

डाक्टर सीताराम--यदि राजनीतिक पीड़ित अभ्यर्थी और सब प्रकार से प्रार्थनीय पद के लिय उपयुक्त हो तो उसे अवस्था में ४ वर्ष की छूट दी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कि हाई स्कूल फेल लड़के आदेश के पहले ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके थे तो उन्हें निकालने का आदेश क्यों जारी किया गया ?

डाक्टर सीताराम--सन् ५७ में फैसला हो चुका था, नये बजट में जो अगस्त में पास हुआ था उसमें हाई स्कूल पास कंन्डक्टरों का पे स्केल ६० से १०० रुपये तक होगा। नान-मैट्रिकुलेट्स थे और ट्रेनिंग पा चुके थे, सरकार ने तय किया कि ऐसे कैन्डीडेट्स की जिनकी संख्या १५० के करीब है न निकाला जाय और जैसे जैसे जगहें होती जावें उन्हें दी जावें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जो कन्डक्टर हाई स्कूल नहीं थे और नौकरी कर रहे थे उन्हें इस आदेश के लागू होने से निकाला गया है और बाद के आदेश से फिर रखे गये हैं, तो क्या इस बीच की तनख्वाह सरकार उन्हें देगी ?

डाक्टर सीताराम--पैसे का प्रश्न नहीं उठता है। निकट भविष्य में जो भी जगहें खाली होंगी वे उन्हें दी जावेंगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जो राजनीतिक पीड़ित हाई स्कूल फेल होंगे क्या उनका वही वतन क्रम होगा जो हाई स्कूल पास का होगा ?

डाक्टर सीताराम--नहीं, उन्हें ४०-७० रुपया मिलेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या हाई स्कूल पास और फेल दोनों की वेटिंग लिस्ट एक है या अलहदा अलहदा हैं ?

डाक्टर सीताराम--अलहदा अलहदा हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या संविधान के इस बुनियादी आलेख को देखते हुय कि समान कार्य के लिये समान तनख्वाह हो, इन कंडक्टरों को सरकार ६० रुपया देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--संविधान के विरुद्ध कोई चीज नहीं है। हाई स्कूल पास वालो की योग्यता अधिक है, इसलिये उनकी कार्यक्षमता भी अधिक हो सकती है। तो उन्हे ज्यादा मिलना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या परिवहन मंत्री फिर से बताने की कृपा करेंगे कि जो कंडक्टर हाई स्कूल फेल थे और नौकरी कर रहे थे और इस आदेश के कारण मई सन् ५७ में निकाले गये और कई महीने बाद दूसरे आदेश से रखे गये, इस बीच का वेतन उनको मिलेगा ?

डाक्टर सीताराम--वे अस्थायी तौर से केवल १५,२० दिन के लिये कैजुअल लीव में रखे जाते थे। इस तरह की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है कि कई महीनें के लिये निकाले गये।

*९-१०--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किये गये।]

नान मैट्रिक कन्डक्टर को रोडवेज में न रखने के आदेश का रद्द किया जाना

*११--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि जो नान-मैट्रिक कन्डक्टर रोडवेज में काम कर रहे हों, उनकी सर्विसेज समाप्त कर दी जायं ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

*१२--**श्री झारखंडे राय**--यदि हां, तो इस आदेश के अनुसार राज्य भर में कितने कन्डक्टरों की नौकरियां समाप्त हो चुकी हैं, अथवा होने जा रही हैं ?

डाक्टर सीताराम--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किसी स्टेज पर भी यह विषय विचाराधीन था ?

डाक्टर सीताराम--हां, पहले विचाराधीन था, लेकिन बाद को रद्द कर दिया गया।

*१३-१५--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१८--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

एन० ई०एस० ब्लाक, बिसरख व दन्कौर, जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत सिंचाई तथा मार्ग निर्माण सम्बन्धी कार्य

*१९--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि एन० ई०एस० ब्लाक, बिसरख व दन्कौर, जिला बुलन्दशहर में सिंचाई के साधन बढ़ाने के क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--इस सम्बन्ध में जो कार्य हुआ है या हो रहा है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१० पर)

*२०--**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक, बिसरख व दन्कौर, जिला बुलन्दशहर में कुछ जन-मार्गों को पक्का करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस जन-मार्ग को ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। जिन जन मार्गों को पक्का किया जा रहा है उनकी सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५११ पर)

*२१-२२--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ क लिये स्थगित किये गये ।]

*२३--श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं जिले में ३ वर्ष से अधिक अवधि के गजटेड आफिसर

*२४--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में कितने गजटेड आफिसर ३ वर्ष से ज्यादा समय से तैनात हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे अफसरों की संख्या ६ है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये ६ अफसर कौन-कौन से विभाग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक प्लानिंग विभाग के हैं, एक जूडिशल अफसर हैं, एक पुलिस के, एक तहसीलदार, एक ट्रेजरी अफसर, और एक असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--गजटेड अफसरों के ट्रान्सफर के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ विभागों को छोड़कर साधारणतया ३ वर्ष बाद ट्रान्सफर हो जाता है । लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि ३ वर्ष से अधिक कोई अफसर न रखा जाय । यदि शासकीय कारणों से जरूरत समझी जाय तो रोका जा सकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन ६ अफसरों का जिक्र किया गया है, उनमें कौन सा अफसर सबसे अधिक दिनों से और कितने दिनों से है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनमें कोई अधिकारी १५ मार्च, सन् १९५४ से पहले का नहीं है ।

*२५--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरद्वार-पीपलको-टीधरासू बस सर्विस तथा धनौरी में बस स्टेशन की मांग

*२६--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार का विचार सीधे हरद्वार से पीपलकोटी तथा धरासू तक मोटर यातायात चालू करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं । अभी कोई विचार नहीं है ।

*२७--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार का विचार हरद्वार और रुड़की के मध्यवर्ती धनौरी स्थान पर रोडवेज बस स्टेशन बनाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तराखंड के चार तीर्थ गंगोत्री, जमनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग हरिद्वार से शुरू होता है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार हरिद्वार से मोटर सर्विस चालू करने पर पुनः विचार करगी ?

डाक्टर सीताराम---ऋषिकेश से तो बस सर्विस जारी है और उस पर प्राइवेट आपरेटर्स काम कर रहे हैं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मेरठ रोडवेज की सलाहकारिणी कमेटी ने दो वर्ष पहले यह तय किया था कि धनौरी में बस स्टेशन होना चाहिये ?

डाक्टर सीताराम---यह सूचना तो मुझे नहीं है क्योंकि यह दो वर्ष पहले की बात है लेकिन इस वक्त की सूचना यह है कि धनौरी में बस स्टेशन इसलिये नहीं बनाया जा रहा है कि वहां पर यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है ।

*२८-२९---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---[गृह मंत्री से सम्बन्धित दसवें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या १२८-१२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३०---**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिनेमागृहों को लाइसेंस देने का अधिकार

*३१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में चलने वाले सिनेमा गृहों के लाइसेंस देने का अधिकार किसी बोर्ड को है ? यदि हां, तो उस बोर्ड के सदस्यों की संख्या क्या है और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*३२---**श्री शीतला प्रसाद** (जिला गोंडा)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३---**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

एस० डी० एम्स द्वारा दौरों पर मुकदमें

*३४---**श्री गोविंदसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७-३-५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की किन-किन तहसीलों में एस० डी० एम० मुकदमे करने जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण जनता की सुविधा के लिये प्रत्येक तहसील में मुकदमा कराने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सब तहसीलों के एस० डी० ओ० माल के मुकदमें तहसीलों के सदर मुकामों पर या दूसरे ग्रामीण केन्द्रों में करने जाते हैं । शीतकाल के दौरे में वे लोग फौजदारी के मुकदमे भी उन स्थानों पर करते हैं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० जो गांवों में दौरे पर मुकदमें करने जाते हैं तो वहां ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उनको बुलाया जाता है और खर्च करने के बाद जब वे वहां जाते हैं तो तारीख बढ़ा दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---और जगह की बात नहीं जानता, लेकिन इलाहाबाद का प्रश्न है, वहां के संबंध में उन्होंने सिफारिश की है कि ऐसा किया जाय । तो इस से मालूम होता है कि वहां ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

नोट---प्रश्न ३५ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा ।

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०-४१—श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा—[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४—श्री अमरनाथ—[तेरहवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४५—श्री अमरनाथ—[हटा दिया गया।]

*४६—श्री जंगबहादुर वर्मा—[हटा दिया गया।]

जिला भ्रष्टाचार निरोधक समितियों का विधान

*४७—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला भ्रष्टाचार निरोधक समितियों का विधान तथा पदावधि क्या है ? उनकी वर्तमान पदावधि कब समाप्त होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति के विधान का विवरण संलग्न है। समिति की कोई पदावधि नहीं रखी गई है। समिति के अध्यक्ष और सरकार द्वारा चुने गये पांच सदस्यों का कार्यकाल ३ वर्ष होता है जो ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१२-६१३ पर।)

*४८—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित))—क्या उनका पुनस्संगठन होने जा रहा है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

भ्रष्टाचार निरोधक समितियों के सदस्यों के अधिकार बढ़ाने का सुझाव

*४९—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भ्रष्टाचार निवारण समिति जो प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनायी गयी है उनके सदस्यों तथा कमेटी के प्रधान के क्या अधिकार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य कृपया १६ जुलाई, १९५५ के सरकारी आदेश को देखें । प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५१४–५१७ पर)

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या इस आदेश को देखते हुए सरकार इस बात का ध्यान करेगी कि मेम्बरों को कुछ अधिक अधिकार दिये जायं, ताकि यह कमेटी अधिक एक्टिव हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस संबंध में सरकार की नीति को मैं १८ तारीख को स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे भ्रष्टाचार निरोधक समिति में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भी उसका सदस्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस पर सोचा जा सकता है । अभी तक तो हमारी समझ में ऐसा ही आया है कि उसके रहने से शायद कुछ अड़चन हो ।

हरदोई जिले में सवारी गाड़ियों के परमिट का वितरण

*५०—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में १९५४ से जून १९५७ तक किन-किन व्यक्तियों को सवारी मोटर (Stage Carriers) चलाने के परमिट किस रूट पर दिये गये ? उनमें से स्त्रियों के नाम कितने परमिट दिये गये ?

डाक्टर सीताराम—जिला हरदोई में १९५४ से जून १९५७ तक जिन व्यक्तियों को सवारी गाड़ियों के परमिट जिन-जिन मार्गों पर दिये गये हैं उसकी सूची सदस्य की मेज पर रख दी गई है । उनमें से एक परमिट महिला के नाम है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५१८ पर)

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि मोटर परमिटों के दिये जाने का क्या आधार है ?

डाक्टर सीताराम—इंडियन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४७ के अन्तर्गत ये परमिट्स दिये जाते हैं ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इन परमिटों से मोटर स्वयं चला सकते हैं अथवा परमिट किराये पर भी दे सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम—किराये पर नहीं दे सकते ।

*५१—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२–५३—**श्री माताप्रसाद**—[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में पेय-जल की व्यवस्था का आयोजन

*५४—**श्रीमती सियादुलारी** (जिला बांदा)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जिला बांदा के इलाके में पाग स्वच्छ पीने के जल की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में जल कष्ट दूर करने के लिये सरकार ने ३ कुओं को बनाने के लिये ७०,००० रुपये स्वीकृत किया । इसके अतिरिक्त नियोजन विभाग द्वारा स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रांट से जनता को समय-समय पर कुएं बनवाने व कुओं की मरम्मत हेतु अनुदान स्वीकृत होता है ।

श्रीमती सियादुलारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ३ कुएं किन-किन गांवों में बनाये जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह अभी निश्चय तो नहीं हुआ है लेकिन पाठा क्षेत्र में जहां मुनासिब समझा जायगा, वहां बनाया जायगा ।

श्रीमती सियादुलारी—इसका निर्णय प्लानिंग कमेटी करेगी या यहां से निर्णय होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगर वहीं जिले के स्तर पर तय कर दिया जाय तो अति- उत्तम है, यहां से उसके लिये कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह वही रुपया है जो गत वर्ष हेल्थ विभाग के लिये मंजूर किया गया था या यह दूसरे विभाग के लिये मंजूर किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यों तो जितना भी रुपया मंजूर होता है वह कंट्रीब्यूटरी बेसिस पर ही दिया जाता है । आधा यहां से दिया जाता है और आधा वहां के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन यह स्पेशल तौर से गवर्नमेंट की इमदाद से ही बन रहे हैं ।

जलीलपुर राष्ट्रीय सेवा खंड, जिला बिजनौर के सहायक सेवा खंड अधिकारी तथा ग्राम सेवक का निलम्बन

*५५—**श्री नरदेवसिंह दतियानवी** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जलीलपुर राष्ट्रीय सेवा खंड, बिजनौर में सहायक सेवा खंड अधिकारी (शिक्षा) तथा ग्राम सेवक दिनांक १ अगस्त, १९५६ से निलम्बित हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां ।

*५६—**श्री नरदेवसिंह दतियानवी**—यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त दोनों व्यक्ति विभागीय तथा पुलिस जांच से निर्दोष प्रमाणित हो चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—विभागीय जांच अभी की जा रही है ।

*५७—**श्री नरदेवसिंह दतियानवी**—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब तक इन्हें रिइन्स्टेट (reinstate) क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन का रिइन्स्टेट किया जाना विभागीय जांच के फैसले पर निर्भर है ।

श्री नरदेवसिंह दतियानवी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जलीलपुर राष्ट्रीय सेवा खंड, बिजनौर में सहायक सेवा खंड अधिकारी (शिक्षा) तथा ग्राम सेवक दिनांक १ अगस्त, १९५६ से निलम्बित हैं ?

श्री अध्यक्ष—पहले सवाल के जवाब में 'जी हां' उन्होंने कह दिया है, इसलिये अब यह सवाल उठता नहीं है ।

श्री नरदेवसिंह दतियानवी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनकी मुअत्तली की जांच की सीमा क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अमूमन तो ९ महीने के अन्दर फैसला होना चाहिये और सम्भवतः उसके अन्दर हो जायगा ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि सवा दो वर्ष से यह जांच हो रही है । यदि हां, तो और कितने दिन लगने की सम्भावना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहले पुलिस को इसकी इनक्वायरी दी गई थी, पुलिस ने यह कहा कि इंडियन पैनल कोड के अन्दर यह बात आती नहीं है, विभाग को इस पर कार्यवाही करनी चाहिये। इसलिये २ साल ३ महीने का सवाल उठता नहीं है।

श्री नरदेवसिंह दतियानवी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस द्वारा और विभाग द्वारा भी वे निर्दोष साबित हो चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पुलिस ने यह कह दिया है कि भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत यह मामला आता नहीं है, इसलिये इस पर विभागीय कार्यवाही की जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने तमाम जांच करने के बाद यह रिपोर्ट दी है या पुलिस के पास जब जांच के लिये भेजा गया तो फौरन ही उसने ऐसा कह दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब उनके पास यह बात भेजी गयी तो उन्होंने इस बात की रिपोर्ट दी कि पुलिस उन्हीं कामों में हाथ डाल सकती है जो भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत आते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार इसके निलम्बित करने के कारण को सदन के सामने बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि क्या-क्या चार्जेज थे।

*५८—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[२७ मार्च, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*५९—श्री भजनलाल—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।

*६१-६२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३-६४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६५—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किय गया।]

सरकारी नौकरी में प्रविष्टि के लिये आयु बढ़ाने की प्रार्थना

*६७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह किसी ऐसे प्रश्न पर विचार कर रही है कि सरकारी नौकरी में प्रविष्ट होने की अधिकतम आयु २५ वर्ष के बजाय २८ वर्ष तक मान्य हो जावे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—चूंकि रिटायरमेंट की अवधि ५५ वर्ष से ५८ वर्ष कर दी गई है तो क्या सरकार सरकारी नौकरियों में प्रविष्ट होने की आयु में घटी बढ़ी करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो इसीलिये की गयी है कि अधिक काम कर सकें। ३० के बजाय ३३ वर्ष काम कर सकें तो और अच्छा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उम्मीदवार २१ वर्ष की उम्र से लेकर २५ वर्ष की उम्र तक प्रार्थना-पत्र देते रहे और उनको नौकरी नहीं मिली, उनके लिये कोई और रास्ता निकालने पर वे विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं कह नहीं सकता, अभी तो इस प्रश्न पर गौर नहीं हुआ है।

गोरखपुर जिले में नौतनवां छाया क्षेत्र के अन्तर्गत विकास कार्यों पर व्यय

*६८—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसके द्वारा छाया क्षेत्र, नौतनवां, जिला गोरखपुर को शुरू से जुलाई सन् १९५७ तक कितना रुपया किन-किन विकास कार्यों के हेतु दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—छाया क्षेत्र नौतनवां को शुरू से ३० जून, १९५७ तक कुल २५,७९६ रुपया दिया गया। यह धन जिन कामों के लिये दिया गया उनकी सूची तालिका 'क' पर सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५१९ पर)

*६९—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना रुपया उपरोक्त रकम में से विकास कार्यों में खर्चा हुआ और कितना लैप्स हो गया ? क्या मुख्य मंत्री इसका संक्षिप्त विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक बनने से पहले नौतनवां छाया क्षेत्र में विकास कार्यों पर कुल ४,६२० रुपया व्यय हुआ। जिन कामों पर यह खर्च हुआ उसकी भी सूची तालिका (ख) पर सदस्य महोदय की मेज पर रखी है। छाया ब्लाक पर सरकार द्वारा दिया गया कुल रुपया खर्च न होने का मुख्य कारण यह था कि अधिकांश कार्य गत वर्ष के मई से स्वीकृत हुए और क्योंकि इस जिले में प्रायः जून में बरसात शुरू हो जाती है, इसलिये ब्लाक के राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक बनने के पहले वह तमाम काम जिनके लिये सरकार द्वारा धनराशि दी गई थी पूरे न हो सके। यह काम ब्लाक के राष्ट्रीय प्रसार सेवा काल में पूरे किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिये गये धनराशि का कोई अंश लैप्स नहीं हुआ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५२० पर।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह २५,७९६ रुपये की जो धनराशि बताई गई है वह केवल ५७–५८ की है या शुरू से ५८ तक की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो जिस अवधि के विषय में पूछा गया है, छाया क्षेत्र बनने के समय से है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिकांश कार्य मई में जो स्वीकृत हुये हैं इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो वहां की प्लानिंग कमेटी और ऐडवाइजरी कमेटी जानें कि उसने इतनी देर में प्रस्ताव क्यों किया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार इसकी फिर से जांच करायेगी कि यह रिपोर्ट जो आई है वह गलत है क्योंकि ३ साल से छाया क्षेत्र खुले हैं और आसानी से यह बात समझ में नहीं आ सकती कि देर में प्रस्ताव आये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—छाया क्षेत्र तो कोई ब्लाक नहीं होता, वह तो सारे जिले में विभक्त रहते हैं और फिर ब्लाक बनते हैं लेकिन प्लानिंग कमेटियां ही प्रस्ताव करती हैं, कोई अलग अनुदान उसके लिये नहीं होता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मेरा सवाल यह था कि छाया क्षेत्र नौतनवां में शुरू से जुलाई, १९५७ तक कितना रुपया व्यय हुआ, यह २५,७९६ तीनों साल का है लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह मई सन् १९५७ में स्वीकृत हुआ और उसके बाद ब्लाक खुला और बरसात के कारण कोई काम नहीं हुआ और इस २५ हजार में से केवल ४,००० का काम हुआ, तो मई में यह स्वीकृत हुआ, क्या यह रिपोर्ट गलत है ?

श्री अध्यक्ष—आप सही रिपोर्ट भी बतायें तब आपका प्रश्न समझ में आ सकता है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, इसे प्लानिंग कमेटी के मेम्बर्स पास करते हैं, उनसे यह रिपोर्ट क्या मंगायी जाय कि उन्होंने प्रस्ताव क्यों नहीं रखा ?

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, नौतनवां जिला गोरखपुर के अन्तर्गत विकास कार्य

*७०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि N.E.S. Block नौतनवां, जिला गोरखपुर में जुलाई, सन् १९५७ से कौन-कौन सा कार्य विकास का अब तक हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस ब्लाक में ३१ जनवरी, १९५८ तक जो कार्य हुये हैं उनकी सूची तालिका (ग) पर सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५२१ पर)

नैनीताल जिले में सघन विकास क्षेत्र, सरगाखेत के कार्यालय का ओखलकांडा में स्थानान्तरण

*७१—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जून, १९५७ में सरकार की ओर से कार्यालय सघन विकास क्षेत्र, सरगाखेत, जिला नैनीताल को अपने हेडक्वार्टर ओखलकांडा में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां ।

*७२—श्री प्रताप सिंह—क्या उपर्युक्त विकास क्षेत्र का कार्यालय अपने प्रमुख स्थान पर चला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कार्यालय अपने प्रमुख स्थान ओखलकांडा को चला गया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह ब्लाक सन् १९५२ में खोला गया था और सन् ५७ में पांच साल के बाद इस हेडक्वार्टर पर भेजने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह १९५२ में नहीं, यह तो २६ जनवरी सन् १९५४ को स्थापित हुआ था ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि यह सन् १९५४ से लेकर सन् १९५७ तक चार साल का जो पीरियड है यह चार साल क्यों लगा हेडक्वार्टर पर जाने में ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह असल में होता तो तीन साल है । इसका कारण यह था कि सरगाखेत को ब्लाक का हेडक्वार्टर बनाया था। लेकिन उसके बाद जब प्लानिंग कमेटी ने दूसरी जगह के लिए रिकमेंड किया तब उसे बदला गया ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने जोर देकर चौगढ़, विसजुला, चौमेसी, भल्लीरा ब्लाक की स्वीकृति करवाई थी ? यदि हां, तो इसके वहां जाने में क्यों देर हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यहां पर तो यह कोई प्रश्न इसमें है नहीं । यह तो ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटी के ही प्रस्ताव के आधार पर बदला गया है ।

राज्य के सघन विकास क्षेत्र

*७३---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने सघन विकास क्षेत्र खुले हैं और उनकी अवधि कब तक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस समय प्रदेश के सघन विकास क्षेत्रों की संख्या ८२ है । सामान्यतः सघन विकास क्षेत्रों की अवधि तीन वर्ष की होती है । विभिन्न क्षेत्र भिन्न-भिन्न तिथियों में सघन विकास क्षेत्रों में परिणत हुए हैं, अतः इन सघन विकास खण्डों की अवधियां भिन्न-भिन्न होंगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सघन विकास क्षेत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं ।

*७४-७५---**श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)---[हटा दिये गये ।]

*७६---**श्री रामायण राय**---[माल मन्त्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७७-७८---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७९---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---[माल मन्त्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में निर्माण कार्यों पर व्यय

*८०--- **कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज तहसील, जिला जौनपुर में जिला नियोजन विभाग द्वारा विभाग के आरम्भ होने से आज तक कितनी मील कच्ची और पक्की सड़कें तथा कितने पुल और पुलियां बनवायी गयीं ?

नोट---प्रश्न ८०-८२ सर्वश्री बलदेवसिंह, शिव प्रसाद नागर ने पूछा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज में आज तक ६९ मील ३ फर्लांग १५ गज लम्बी कच्ची सड़कें बन चुकी हैं । ९ मील ३ फर्लांग लम्बी सड़कें पक्की, की जा रही हैं । ९३ पुल और पुलियां बन चुकी हैं तथा ४१ पुल और पुलियों पर निर्माण कार्य चल रहा है ।

*८१--कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न ८० में पूछी गई चीजों पर सरकार के कितने रुपये व्यय हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सड़कें पक्की कराने में ४१,६५१ रुपये तथा पुल और पुलियों के निर्माण में ४०,८१४ रुपये व्यय हुये ।

*८२--कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न ८० में पूछे गये पुलों में से कितने अब की वर्षा में टूट गये या बह गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने पुल तालाबों के किनारे बनवाये गये हैं और कितने पुल नदियों पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आपका मतलब समझा नहीं ?

श्री शिवप्रसाद नागर--मेरा प्रश्न श्रीमन्, यह है कि कितने पुल नदियों पर बनवाये गये हैं और कितनी पुलियां सड़कों के खलारों में तालाबों के किनारे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पुलियां तो सड़कों के किनारे जहां पानी का निकास बनाना होता है वहां बनाई जाती हैं । वैसे बड़ी लिस्ट है, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो पढ़ दूं ।

*८३-८४--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[माल मन्त्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

हरदोई जिले में रोडवेज की बसें चलाने की मांग

*८५--श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में हरदोई से शाहाबाद, हरदोई से बिलग्राम, हरदोई से पिहानी व हरदोई से सोंडी को सब प्राइवेट बसें ही चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां ।

*८६--श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मार्गों पर सरकारी बसें क्यों नहीं चलायी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम--सरकार की नीति धीरे-धीरे मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की है । अतएव जब उपरोक्त मार्गों की बारी आयेगी तब उन पर रोडवेज की बसें चलाई जायेंगी ।

*८७--श्री मोहनलाल वर्मा--[माल मन्त्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में सुविधा

*८८--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार ने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में सुविधा देन क लिय कुछ निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। राज्य सरकार अपने अधीन सेवाओं में भर्ती करते समय पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष रूप से खयाल रखती है। इसके अतिरिक्त जिन सेवाओं में भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नहीं की जाती और पिछड़े वर्ग के सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं तो उन्हें पर्याप्त संख्या में नियुक्त कर लिया जाता है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जातियों के लिए कुछ प्रतिशत संख्या निश्चित की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार केवल अनुसूचित जातियों के लिए ही प्रतिशत निश्चित किया जा सकता है।

*८९--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९०--**श्री यमुना सिंह**--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९१-९२--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*९३--**श्रीमती बिन्दुमती दास** (जिला बाराबंकी)--[माननीया सदस्या द्वारा वापस ले लिया गया।]

*९४-९५--**श्री सजीवन लाल**--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा जिले के तरमौली ग्राम में पानी की पक्की डिग्गी के लिये दिया गया अनुदान तथा सांगड़ ग्राम में पानी की डिग्गी व खुरिया नाला के लिये अनुदान की मांग

*९६--**श्री गोविंदसिंह विष्ट**--क्या सरकार को ज्ञात है कि मौजा तरमौली, पट्टी मल्ला रीठागाढ़, जिला अल्मोड़ा में जनता ने एक बहुत सुन्दर पानी की पक्की डिग्गी श्रमदान से बनाई है ? क्या सरकार के नियोजन विभाग ने उसके लिये कोई अनुदान स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो वह अदा हो चुका है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंहनेगी--जी हां। मौजा तरमौली, पट्टी मल्ला रीठागाढ़ में डिग्गी के लिये जिला नियोजन समिति ने ३,००० रुपया का अनुदान स्वीकृत किया था जिसका भुगतान हो चुका है।

*९७--**श्री गोविंदसिंह विष्ट**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मौजा सांगड़ कुवार्वी पट्टी मल्ला, सालम, जिला अल्मोड़ा में नियोजन विभाग द्वारा एक पानी की डिग्गी व खुरियानाला श्रमदान से बनवाने के लिये स्वीकृत हुई थी जो बन चुकी है ? अगर हां, तो यह कब बनी, इस पर सरकार ने अब तक कितनी आर्थिक सहायता दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मौजा सांगड़ कुवार्वी, पट्टी मल्ला सालम में नियोजन विभाग द्वारा कोई भी डिग्गी व खुरियानाला बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। अतः आर्थिक सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--यह मौजा तरमौली में जो डिग्गी बनी है, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका पेमेंट कब हुआ और क्यों इतने दिन बाद पेमेंट हुआ ?

श्री जगमोहन सिंहनेगी--इसका पेमेंट हो चुका है। अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो सूचना दे दीजिए, मैं मंगा दूंगा कि कब हुआ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि पहले यह जो धनराशि दी गई इससे ज्यादा स्वीकृत थी, लेकिन दिया गया कम ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि गांव सांगड़ कुवार्वी में नियोजन अधिकारियों की देखरेख में डिग्गी बनी और खुरियानाला भी बना लेकिन उसे दिया कुछ नहीं गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसकी तो मेरे पास कोई इत्तला नहीं है । मेरे पास जो इत्तला है वह यह है कि अल्मोड़े की जिला प्लानिंग कमेटी ने ही उसको टर्न डाउन कर दिया ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी मेरी बात को सूचना समझकर इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि पहले प्लानिंग कमेटी ने और नियोजन विभाग ने ही कहा था कि इसे बनाओ, तो बाद को उसे क्यों टर्न डाउन कर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं । आप अगर लिख कर देंगे तब होगा । क्योंकि मेरे पास जो सूचना है उसमें स्पष्ट है, प्लानिंग कमेटी ने इसीलिये एतराज किया । इसी तरह से कई डिग्गियां बनीं, हम किस किसको देंगे ?

*९८--**श्री रामचन्द्र विकल**--[माल मन्त्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९९-१००--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चलने वाली गाड़ियों पर टैक्सेशन सिस्टम

*१०१--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में व मध्य प्रदेश की एक दूसरे की सीमाओं में चलने वाली प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में दोनों प्रदेशों की सरकारों में यह तय हो गया है कि उन पर सिंगिल प्वाईंट टैक्स लिया जाय ? यदि हां तो अब टैक्स की क्या दरें होंगी ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं । दोनों प्रदेशों की सीमाओं में चलने वाली गाडियों पर टैक्स लेवल प्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम पर लिया दिया जाता है ।

*१०२-१०३--**श्री लक्ष्मण राव कदम** (अनुपस्थित)--[माल मन्त्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०४--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--[सिंचाई मंत्री से सम्बन्धित नवें सोमवार में प्रश्न संख्या १२९ से स्थानान्तरित किया गया ।]

कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड संगठित करने के लिये विचार

*१०५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड संगठित किये जाने हेतु की गई विभागीय संस्तुति कार्यान्वित करने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मंत्री जी बतायेंगे कि जब इन सिफारिश करने वालों में भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, वर्त्तमान चीफ मिनिस्टर और विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे तो विचार करने में देर क्यों लग रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--केन्द्रीय सरकार से रुपया मांगा जाता है और उन्होंने दे दिया तब जाकर आगे कदम उठाया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब तक केन्द्रीय सरकार रुपया न दे तो उसके अलावा भी बोर्ड बनाने के ऊपर सरकार विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसा बोर्ड बनाने से फायदा क्या कि बोर्ड बने और पैसा कुछ भी न हो ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का उन्होंने एक निश्चय किया है उसकी क्या रूप-रेखा होगी और क्या खास कार्य होंगे उसके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी जब उसका मामला विचाराधीन है तो निश्चय की बात आती ही नहीं ।

श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--मंत्री जी बतायेंगे कि इसी तरह से और भी डिवीजनल बोर्ड बनाने की सरकार सोच रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वैसे तो रीजनल कमेटीज हैं कमिश्नरियों के लेविल पर और कमिश्नर उनका चेयरमैन होता है । हर जगह पर हैं ।

श्री झारखंडे राय--मंत्री जी बतायेंगे कि विभागीय संस्तुति सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--लगभग डेढ़, दो वर्ष पहले ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को इस बोर्ड को बनाने हेतु जो धन की मांग की गई है वह कब की गई है और केन्द्रीय सरकार का कोई जवाब आया है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र केन्द्रीय गृह मंत्री जी को लिखा था २५ अक्तूबर, १९५६ को, मगर अभी तक उत्तर नहीं मिला ।

*१०६-१०७--**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०८--**श्री देवकीनन्दन विभव**--[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों का नागरी लिपि में निर्णय न लिखना

*१०९--**श्री शिववचन राव** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जुडीशियल आफिसर ऐसे हैं जो नागरी-लिपि में ही निर्णय लिखते हैं और कितने ऐसे हैं जो नागरी-लिपि में निर्णय नहीं लिखते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कोई जुडीशियल आफिसर नहीं है जो नागरी लिपि में ही निर्णय लिखता हो ।

*११०-१११--**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)--[ग्यारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १३५-१३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११२-११३--**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११४--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*११५-११६--श्री रामहेत सिंह--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

डिस्टिलरियों से प्राप्त अलकोहल से सरकारी आय

*११७--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कितनी डिस्टिलरीज आज कल कार्य कर रही हैं और वह कहां-कहां स्थित हैं ?

डाक्टर सीताराम--प्रदेश में आजकल १७ डिस्टिलरियां काम कर रही हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५२२ पर)

*११८--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की सभी डिस्टिलरियों में गत वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कितन पावर अलकोहल का उत्पादन हुआ और सरकार को उससे क्या आय हुई ?

डाक्टर सीताराम--गत वित्तीय वर्ष में कुल ७८,३६,४२६ आयत (bulk) गैलन पावर अलकोहल का उत्पादन हुआ तथा सरकार को उससे ११,४९,४६० रुपये की सकल (gross) आय हुई ।

*११९--श्री वीरेन्द्र वर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि यहां जितना अलकोहल उत्पन्न होता है उसका कितना भाग प्रदेश में खर्च हो जाता है और किस-किस काम में कितना दूसरे प्रदेशों को भेजा जाता है ?

डाक्टर सीताराम--प्रदेश में खर्च की जाने वाली तथा बाहर भेजी जाने वाली पावर अलकोहल की मात्रा निर्धारित नहीं है । यह मात्रा आवश्यकतानुसार होती है । पावर अलकोहल इस प्रदेश में पेट्रोल के साथ मिश्रण करके मोटर चलाने के काम आती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि १२ पावर अलकोहल हैं और ५ नानपावर अलकोहल हैं और जो आमदनी उन्होंने ११,४९,४६० रुपये बतायी है तो मंत्री जी बतायेंगे कि पावर अलकोहल से और नान-पावर अलकोहल से अलग-अलग प्रदेश को कितनी आय होती रही है ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय परिवहन मंत्री जी बतायेंगे क्या उनके पास ऐसे आंकड़े हैं कि १९५६-५७ में प्रदेश में कितना अलकोहल खर्च हुआ और किस किस प्रदेश को बाहर उस साल में पावर अलकोहल भेजा गया ?

डाक्टर सीताराम--१९५६-५७ में यू० पी० में पावर अलकोहल ४१,२८,१०८ गैलन खर्च हुआ और दिल्ली १८,०७,८२४ गैलन, पंजाब १७,५९,४९० गैलन और मध्य प्रदेश १,२२,१९५ भेजा गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय मंत्री ने जो उत्तर में कहा है कि पावर अलकोहल का पेट्रोल के साथ मिश्रण किया जाता है तो यह मिश्रण किस अनुपात में होता है ?

डाक्टर सीताराम--इसमें मिश्रण का अनुपात २० और ८० है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या परिवहन मंत्री बतलायेंगे कि जो अभी हाल में या गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने शुगर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तो क्या प्रदेशीय सरकार का भी अलकोहल पर कोई ड्यूटी या टैक्स बढ़ाने का इरादा है ?

डाक्टर सीताराम—अभी इस समय तक तो कोई विचार नहीं है। निकट भविष्य के बारे में मैं कह नहीं सकता ।

श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उरई, को इमारत के लिये अनुदान

*१२०—**श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई के गांधी इन्टर कालेज की इमारत के लिये कितना रुपया सरकार के नियोजन विभाग द्वारा दिया गया और किन विशेष परिस्थितियों में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उरई के श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इमारत बनाने के लिये जिला नियोजन समिति द्वारा ७,५०० रुपये दिये गये क्योंकि इस स्कूल में लगभग ७५ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के अध्ययन कर रहे हैं ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहन जिला जालौन को इमारत के लिये अनुदान

*१२१—**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि जिला जालौन में हायर सेकेन्डरी स्कूल गौहन की स्कूल की इमारत को जिला नियोजन कमेटी द्वारा ७,००० रुपये की सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस शर्त पर यह सहायता दी गयी और क्या उपर्युक्त इमारत पूरी हो गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला जालौन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौहन, को विद्यालय भवन निर्माण के हेतु जिला नियोजन समिति द्वारा १०,००० रुपयों की सहायता २७,२१० रुपयों के एस्टीमेट के प्रति अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी थी । उक्त अनुदान इस शर्त पर दिया गया कि शासकीय अनुदान के अतिरिक्त शेष धन संस्था द्वारा व्यय किया जायगा। भवन का निर्माण छत तक हो चुका है ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जब इमारत छत तक बन चुकी है तो उसको पूरा करने के लिये और अनुदान देंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सिर्फ ५०० रुपये देने बाकी रह गये हैं इस स्वीकृत अनुदान में। जब इमारत पूरी हो जायगी तो उसे भी दे दिया जायगा ।

*१२२—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं कलेक्टरी में काम करने का समय

*१२३—**श्री टीकाराम** (बदायूं)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं कलेक्टरी के अधिकारी किस समय इजलास में आते हैं और कितने बजे कचहरी बन्द करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—११ बजे से पहले इजलास में आ जाते हैं और ४ और ५ के बीच में कचहरी बन्द कर देते हैं ।

श्री टीकाराम (बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिलाधीश बदायूं को ऐसी रिपोर्ट दी गयी है कि ५ बज क बाद भी वहां के अधिकारी कचेहरी देखते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझको जानकर बड़ी खुशी हुई कि सरकारी काम की आवश्यकता को देखते हुए आफिसर लोग ५ बजे के बाद भी इजलास में बैठते हैं ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---जो लोग ७-७ मील और ८-८ मील जाने वाले होते हैं और ५ बजे के बाद इजलास की जायगी तो उनके ठहरने और खाने की भी कोई गारंटी है ?

(जवाब नहीं दिया गया)

बदायूं जिले में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी

*१२४---श्री टीकाराम (बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में सन् १९५६-५७ में सिंचाई के कुओं के सम्बन्ध में तकावी के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को तकावी दी गयी, शेष कितने प्रार्थना-पत्र अभी पड़े हैं और क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सन् १९५६-५७ में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी के लिये कुल १६८ प्रार्थना-पत्र बदायूं जिले में प्राप्त हुये । इसमें से ८२ पर उस वर्ष तकावी दी गई । इन प्रार्थना-पत्रों में इस समय कोई भी शेष नहीं है क्योंकि या तो वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में उन पर तकावी दी जा चुकी है या वे अधूरी या नियमानुकूल न होने के कारण रद कर दी गयी हैं ।

श्री टीका राम (बदायूं)---क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील बदायूं में तकावी का रुपया मंजूर है और साल भर हो गया, अभी तक नहीं दिलाया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मुमकिन है, अगर नियमानुकूल अर्जियां नहीं आयी होंगी तो नहीं दिया गया होगा ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---नियम की सब पाबन्दी कर दी गयी है, सिर्फ ५० रुपया मांगने के ऊपर रुका हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो सूचना है, कोई प्रश्न नहीं है ।

*१२५-१२६---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

संडीला ब्लाक के कुछ गांवों में काम न होने की शिकायत

*१२७---श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संडीला ब्लाक के कितने गांवों में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस ब्लाक में ऐसा कोई भी गांव नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तरया, काजिमाबाद और मढ़ौली गांव सभाज में क्या निर्माण का काम हुआ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मेरे पास करीबन १०० की लिस्ट है, उसको ढूंढने में समय लगेगा । अगर आप दफ्तर में आकर देख लें तो बता दूंगा ।

*१२८---श्री राजेन्द्रसिंह---[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२९-१३०---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३१---श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३२---श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---[नवें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या १५५ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।

गोंडा जिले में जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के विचाराधीन मुकदमे

*१३३--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स की इजलासों में १२ फरवरी सन् १९५८ से पेंडिंग मुकदमों की संख्या अलग-अलग क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पेन्डिग मुकदमों की संख्या इस प्रकार थी :

जुडीशियल अफसर, गोन्डा १,१७३, जुडीशियल अफसर उतरौला ९०९, जुडीशल अफसर बलरामपुर १,०३६ ।

श्री बलदेव सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय गोंडा जिले के जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के यहां बढ़ती हुई मुकदमों की संख्या को देख कर जो एक जगह इस साल कम कर दी गयी है उसे पुनः भरने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हम इस प्रश्न पर सोच रहे हैं कि अगर जरूरत हुई तो जो जगह तोड़ी गयी है उसको फिर शायद भरने की जरूरत पड़ जाय ।

श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय मंत्री जी, क्या यह सही है कि गोंडा जिले में मुकदमे ६-६ साल के पड़े हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- इसकी बाबत तो कोई सवाल किया नहीं गया था, इसलिये मैं बतला नहीं सकता ।

*१३४--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्राइवेट नलकूपों की बोरिंग

*१३५--श्री राजेन्द्र दत्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जो किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेलों का बोरिंग हुआ करता था वह पिछले दो साल से बन्द कर दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं । प्राइवेट ट्यूबवेलों के बोरिंग का काम विभाग द्वारा अब भी किया जा रहा है किन्तु अब यह विभाग सिंचाई विभाग के नाम से पुकारा जाता है ।

*१३६--श्री राजेन्द्रदत्त--कृषि इंजीनियरिंग विभाग कब से तोड़ दिया गया और उस का कार्य किस विभाग को सौंपा गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कृषि इंजीनियरिंग विभाग अगस्त, १९५५ से तोड़ दिया गया तथा उसका कार्य अब निम्न प्रकार से सिंचाई विभाग, कृषि विभाग तथा नियोजन विभाग को सौंप दिया गया है ।

१--स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन, तालकटोरा, कृषि निर्माण शाखा (Agricultural Workshop) लखनऊ तथा बरेली वर्कशाप का रिसर्च विंग-कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश;

२--दूसरे अन्य सब-वर्कशाप, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा;

३--सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें जैसे पक्के कुएं, रहट, पम्पिंग प्लांट, डीप बोरिंग, निजी नलकूप, बन्धी, कठकुइयां, टेहरी-गढ़वाल में गूल आदि-विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

श्री राजेन्द्रदत्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब यह काम कृषि इंजीनियरिंग विभाग से लेकर सिंचाई विभाग को दिया गया है तो प्राईवेट ट्यूबवेल्स के बोरिंग के नियमों में कुछ हेर-फेर कर दिये गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन है क्या इसकी शाखायें विभिन्न डिवीजन्स में भी हैं और वे किसानों की क्या सेवायें करती हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो वर्कशाप से सम्बन्धित बातें थीं । मुझे यह पता नहीं कि उसकी शाखायें हैं या नहीं, मगर जितनी हैं वह उत्तर में दी गयी हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बोरिंग विभाग को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत करने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्योंकि उसका उस से सम्बन्ध था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में जो इस कृषि इंजीनियरिंग विभाग को तोड़कर सिंचाई विभाग में जोड़ दिया गया, तो क्या उसके सभी कर्मचारी ऐबजार्ब कर लिये गये हैं अथवा किन्हीं लोगों को अलग भी किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बिल्कुल ठीक उत्तर के लिये तो नोटिस चाहिये मगर मेरा खयाल यह है कि सभी ऐबजार्ब कर लिये गये ।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या यह सही है कि यह कार्य तो ट्यूबवेल डिपार्टमेंट को दे दिया गया है लेकिन कोई ऐडिशनल सेट्स बोरिंग के लिये इस महकमे को सरकार ने नहीं दिये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह कार्य एक ही डिपार्टमेंट को तो दिया नहीं गया बल्कि तीन जगह विभक्त किया गया, कुछ इरिगेशन में है, कुछ ऐग्रीकल्चर में है और कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट में है ।

*१३७--**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)--[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

आफिशियल लैंग्वेज कमीशन की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गयी कथितराय

*१३८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार से आफिशियल लैंग्वेज कमीशन की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राय मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने द्वारा दी गयी सलाह की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि माननीय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने यू० पी० सरकार द्वारा हिन्दी को अभी तक ठीक प्रकार से आफिशियल लैंग्वेज न बना सकने का विशेष रूप से जिक्र किया, केन्द्रीय सरकार को कोई राय देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य के लिये बिना पूछे राय देना कोई शोभा की बात नहीं है ।

राष्ट्रपति के वाराणसी के कार्य-क्रम में राज्य सरकार का व्यय

*१३९--**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--गत १२ जनवरी को राष्ट्रपति के वाराणसी के कार्य-क्रम में उत्तर प्रदेशीय सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---८,१४८.६४ रुपया ।

*१४०-१४१---श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४२---श्री नारायणदत्त तिवारी---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४३---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---[माल मंत्री की प्रार्थना पर २७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त शाही पुल की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*१४४---डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जौनपुर शहर के शाही पुल की, जो कि बाढ़ से क्षति-ग्रस्त हो गया था, मरम्मत करवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---भारत सरकार ने इस स्मारक को एनशियेंट मानुमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) के अन्तर्गत सुरक्षित घोषित कर दिया है । इसका सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से नहीं है । इसकी मरम्मत के लिये भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है ।

डाक्टर तारादेवी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में भारत सरकार द्वारा कोई उत्तर मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी, अभी तो नहीं मिला है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का ध्यान किस तारीख को दिलाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे खयाल आता है, अक्तूबर के महीने में किया गया है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाही पुल के खराब होने के कारण वहां नये पुल बनाये जाने की बड़ी आवश्यकता है, इस ओर सरकार ने विचार किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तो भारतीय सरकार के उत्तर का इंतजार है ।

गोस्वामी तुलसीदास की हस्त-लिखित रामचरित मानस को राजकीय संग्रहालय में रखने तथा रामचरितमानस के प्रामाणिक ग्रंथ के प्रकाशन का सुझाव

*१४५---श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों लिखी हुई सम्पूर्ण अथवा खंड रामचरित मानस की कोई प्रति कहीं उपलब्ध हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बांदा जिले में रामचरित मानस के अयोध्या कांड की एक हस्तलिखित पांडुलिपि है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों लिखी कही जाती है परन्तु पिलियोग्रैफिक रूप से इसकी जांच अभी तक नहीं की जा सकी है ।

*१४६---श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी---यदि हां, तो वह कहां से उपलब्ध हुई है और राष्ट्रभाषा की उस अमूल्य निधि को किसी भी मूल्य पर लेकर अपने राजकीय संग्रहालय में रखने क प्रश्न पर वह विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पांडुलिपि के स्वामी इसको किसी हालत में विक्रय या भेंट करने के लिये तैयार नहीं हैं। परन्तु उसकी फोटो कापी लेने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

*१४७—**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी**—क्या सरकार रामचरित मानस का एक शुद्ध सुन्दर, मजबूत जिल्द सस्ता संस्करण अपनी ओर से प्रकाशित कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी इस सुझाव पर कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्रकाशक हैं जो रामचरित मानस का शुद्ध संस्करण निकालने के प्रयास में लगे हुये हैं और नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने निकाला भी है। इसलिये आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि सरकार अपनी तरफ से कोई संस्करण निकाले।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी डाक्टर माता प्रसाद जैसे विद्वानों से राजापुर की प्रति के सम्बन्ध में अच्छी खोज कराकर इस पर विचार करेगी कि इसकी प्रति को किसी संग्रहालय में रखा जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक खोज के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है मैंने उसे देखा नहीं है। लेकिन हमें विचार क्या करना है, मैं समझा नहीं हूं। एक पुस्तक वहां पर है जिसके लिये कहा जाता है कि यह तुलसीदास जी की लिखी हुई है। इसकी सुरक्षा का जहां तक बन पड़ा हमने प्रबन्ध कर दिया। चाहे वह उनके हाथ की न लिखी हो लेकिन हमने देखा कि वह बहुत पुरानी पुस्तक है। इसलिये हमने चाहा था कि वह हमें मिल जाय ? चाहे रुपये देकर या यों ही तो हम उसे म्यूजियम में रख दें ? लेकिन मालिक देना तो दूर रहा उसे छूने भी नहीं देते। इसलिये यहां मामला रुका हुआ है।

हरदोई जिले में गोवर्धनपुर निवासी श्री रामदुलारे वर्मा को नल कूप के लिये तकावी

*१४८—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में हरदोई जिले में किन-किन व्यक्तियों को ट्यूबवेल की तकावी दी गयी और जिन व्यक्तियों को तकावी दी गयी उनके पास कितनी काश्त है और उसका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला हरदोई में १९५६-५७ वर्ष में नलकूप निर्माण के लिये केवल एक व्यक्ति श्री राम दुलारे वर्मा ग्राम गोवर्धनपुर को तकावी दी गयी। उनके संयुक्त परिवार में कुल १५ बीघे काश्त है।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल के लिये दफ्तर में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामदुलारे के हिस्से में अलग से कितनी काश्त लगी हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—संयुक्त खाते में ३६ बीघे है और संयुक्त परिवार में १५ बीघे है और निकट सम्बन्धियों के खाते में १३,१४ बीघे है, यह मुझे सूचना है।

श्री मोहनलाल वर्मा—उत्तर में केवल यह है कि संयुक्त परिवार में १५ बीघे काश्त है। ३६ बीघे का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आपने जब अनुपूरक प्रश्न पूछा तो मैंने बताया। मुझे खबर थी कि उनके भाई, चाचा आदि की भी ३६ बीघे जमीन है और निकट सम्बन्धियों की १३–१४ बीघे जमीन है। सम्भव है वह इस कुयें से इसकी भी सिंचाई करते हों।

श्री राम स्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कम से कम कितनी काश्त होने पर ट्यूबवेल की तकावी दी जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस योजना के अन्तर्गत इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री भगवतीसिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदुलारे जी को कितने रुपये की तकावी दी गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—१०,०००।

*१४९–१५२—**श्री नेकराम शर्मा**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१–४—**श्री गोविंद सिंह विष्ट**—[ग्यारहवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

राज्य में खेल कूद की योजना तथा डी०एस० ए० की स्थापना पर व्यय

५—**श्री गोविंदसिंह विष्ट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में विभिन्न खेल कूदों की उन्नति के लिये उसने कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, प्रदेश में विभिन्न खेल कूदों की उन्नति के लिये योजना बनाई गई है जिसकी रूपरेखा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५२३ पर)

६—**श्री गोविंदसिंह विष्ट**—सरकार ने किन-किन जिलों में D. S. A. स्थापित किये हैं व किस आधार पर ? अब तक उनमें अलग-अलग कितना खर्च हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—D. S. A. गैरसरकारी संस्थायें हैं। सरकार का इन संस्थाओं पर कोई खर्च नहीं हुआ है।

७—**श्री राजेन्द्र दत्त**—[३ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अधिनियमों की स्वीकृत के सम्बन्ध में घोषणा करने की नयी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक प्रथा के सम्बन्ध में, चूंकि आज विरोधी दल के नेता यहां मौजूद हैं, सदन की राय जानना चाहता हूं। यहां पर जो अधिनियम स्वीकृत हो कर आते हैं उनकी घोषणा अध्यक्ष स्वयं करते हैं। यहां की अभी तक यही प्रथा है। लेकिन लोक सभा, राज्य सभा, बिहार, पंजाब तथा बम्बई आदि प्रदेशों में और इंग्लैंड में ऐसी प्रथा नहीं है। इंग्लैंड में क्लार्क ऐट दि टेबिल आफ दि हाउस ऐसी घोषणायें वगैरः जाहिर करते हैं कि फलां अधिनियमों को बादशाह द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। वहां पर तो स्वीकृत हिज मैजेस्टी करते हैं और यहां पर गवर्नर करते हैं। लोकसभा में जो घोषणायें होती हैं उसमें प्रेसीडेन्ट की तरफ से मंजूरी हो जाती है और घोषणायें वगैरः पढ़ने का काम वहां के सेक्रेटरी करते हैं। इस प्रदेश की विधान परिषद् में भी ऐसा ही होता है कि वहां के सेक्रेटरी ही ऐसी घोषणाओं को

पढ़ देते हैं। सिर्फ अपनी विधान सभा में अध्यक्ष ऐसी घोषणायें पढ़ा करते हैं, ऐसी प्रथा है। तो जो अन्य जगह प्रथा है क्योंकि यह साधारण फार्मेलिटी है, अगर सदन को कोई आपत्ति न हो तो उसी को यहां भी जारी कर दिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जो यहां विधान सभा के सचिव हों, क्योंकि वहां, इंग्लैंड में, क्लार्क आफ दि हाउस पुराना नाम है वैसे वह सेक्रेटरी ही होते हैं, यदि वे पढ़ दिया करें तो अच्छा ही होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नेता सदन को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो अब यही प्रथा यहां भी आइन्दा जारी होगी।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष सन् १९५८-५९ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या १७—पुलिस के सम्बन्ध में विवाद जारी रहेगा। कल श्री गंगाप्रसाद भाषण कर रहे थे, वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल ज्योंही मैं खड़ा हुआ सदन का समय समाप्त हो गया था।

आज मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि जरूर पुलिस के अन्दर थोड़ी सी कमी है और उसका दूर होना जरूरी है। यह सही है कि जिस जमाने में यह ढांचा पुलिस का उनको मिला वह दूसरा युग था। मेरे ही जिले को ले लीजिये। उस युग में थाने तो अंग्रेजों ने कायम कर दिये लेकिन होता क्या था ? थानेदार अगर एक गांव में चला जाता था तो वहां के सामन्तवादी जमींदार लोग उसका स्वागत करते थे। एक चोरी हो जाती थी तो ४-६ गांव के लोग परेशान किये जाते थे। तो उस युग में बात दूसरी थी। लेकिन आज जो समय है वह दूसरा है।

आजादी आयी, जमींदारी उन्मूलन हुआ और बड़े-बड़े क्रांतिकारी कार्य हुये। जनता के अन्दर जागृति आयी। लेकिन आज होता क्या है ? जनता छोटी-छोटी चीजें लेकर जब थानेदार के पास या थाने में जाती हैं तो उसके पास इतना काम होता है कि वह उसकी सुनवायी नहीं कर सकता। एक-एक थाने में सत्तर-सत्तर और अस्सी-अस्सी गांव लगे हुये हैं। हर-हर गांव में कुछ न कुछ घटनायें होती रहती हैं और थानेदार बेचारा परेशान हो जाता है।

कहीं पर तफतीश करने के लिये चौकीदार और कहीं पर सिपाही जाता है। आजकल यह रिवाज है कि सफेदपोश कुछ भले कहलाने वाले आदमी हर गांव में होते हैं, बगैर उसके पूछे हुये कोई सही काम नहीं होता है। वह थाने पर पहुंचता है। वह सफेदपोश रिश्वत लेता है, या तो वह खुद रखता है या थानेदार को देता है, यह पता नहीं चलता। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार के दलालों की जांच होनी चाहिये। ये लोग थाने में जाते रहते हैं और पुलिस के कर्मचारियों को बदनाम करते हैं। मैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे जिले में १७ थाने हैं। रोजाना कोई न कोई घटना होती ही रहती है उनको रोकने के लिये कुछ थाने चौकियां तथा पुलिस के स्टाफ को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे मानव जीवन की रक्षा हो सके क्योंकि वर्तमान अवस्था में पुलिस अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रही है ; थानेदार लोग हफ्ते में तीन

[श्री गंगाप्रसाद]

दिन तो कोर्ट जाते हैं और थाने में मुंशी काम करता है। रिश्वत तो वह लेता ही है और खुल्लमखुल्ला लेता है। उनके जरिये से कुछ थानेदार भी पाते होंगे। नये थानेदारों में अभी रिश्वत उतनी जारी नहीं है जितनी पुराने थानेदारों में। एक नये थानेदार से मेरी बातें हुई और मैंने उनसे कहा कि कल तक तो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और नारा लगाते थे कि रिश्वत लेना पाप है, लेकिन आज यह क्या हाल है ? वह कहने लगा कि भाई यहां एक ऐसा माहौल है कि अगर हम रिश्वत नहीं लेते हैं तो जो हमारे साथी हैं वे हमको जेल भिजवा देंगे। मुंशी और सिपाही मिल कर जुए के अड्डों और शराब की भट्ठियों को तय करते हैं। सफेदपोश के जरिये से यह सब काम होता है, थानेदार को पता भी नहीं चलता है। इन सब चीजों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वहां पर पुलिस बढ़ाई जाय।

दूसरी चीज पुलिस के सुधार की है। आज पुलिस के अन्दर भी सेवा की भावना आयी है ? आज उसकी वह मनोवृत्ति नहीं रही है जो पहले अंग्रेजों के जमाने में थी। आज वह भी चाहते हैं कि नागरिकों के साथ अच्छा बरताव करें। लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। रोजाना कहीं न कहीं झगड़ा, मारपीट हो ही जाती है। किसी की औरत या किसी के घर और खेत के बारे में कोई न कोई दरख्वास्त आ ही जाती है। इनकी वह जांच कर नहीं पाते हैं कि दूसरी चीजें उनके सामने आ जाती हैं। इन सारी चीजों को दूर करने के लिये ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये कि जनता के दुख दूर हों और जागृति आये।

मैं अपने जिले के बारे में थोड़ा सा कह दूं। हमारे जिले में अब तक ५४ खून हो चुके हैं। बलरामपुर में दो कत्ल दिन दहाड़े हो गये। मोटर साइकिल से एक सज्जन जा रहे थे। उनके पास भी बंदूक थी। उनको वहां घेर कर मार दिया गया। जिन साहब की बंदूक थी, उनके नौकर ने उनको मारा था। लेकिन ३०२ दफा कायम न करके ३९६ कर दी गयी और अभी तक वह मामला वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके बारे में ऐसी अफवाह है कि लखनऊ की पुलिस से लेकर गोंडा, बलरामपुर की पुलिस तक करीब ४० हजार रुपया लिया गया था और इसलिये ३०२ दफा कायम न करके ३९६ कर दी गयी है। जनता इससे भयभीत है। आज लोगों को मार दिया जाता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।

*श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, कल पुलिस का अनुदान रखते समय माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि इस वर्ष खर्चे में कुछ कमी हुई। लेकिन आंकड़े तो मैं पढ़ूंगा नहीं, माननीय सदस्य उसे देखें तो मालूम होगा कि प्रति वर्ष जुर्म बढ़े। जो खर्चे में कमी हुई, अगर जरायम भी कम होते तो यह प्रशंसा की बात थी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि कुछ रेंज तोड़े गये हैं, कुछ रेंज बनाये गये हैं तो शायद इसलिये कि उन रेंजों के द्वारा ये होने वाले जरायम कम हों, मुझे इस बात को कहते हुये जरा शर्म मालूम होती है कि रेंजों द्वारा ये जरायम कम नहीं हो सकते हैं। आप देखें कि हमारे प्रांत और देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परन्तु जरायम को कम करने वाले जो थाने के इन्चार्ज और सिपाही हैं, वे उतने ही हैं। प्रत्येक जिले में देखें, हमारे जिले में अब १४ लाख की आबादी हुई है, तो आज से १० वर्ष पहले जितने थाने थे, उतने ही थाने और उतने ही सिपाही हैं। एक थाने में १२ सिपाही और दो थानेदारों पर पूरे थाने में जरायम होने और उनके बढ़ने से रोकने की पूरी जिम्मेदारी है। आई०जी० और डी० आई० जी० चाहे जो कुछ कोशिश करें, किसी प्रकार से कोशिश करें परन्तु जब तक कि वहां के इनचार्ज या सिपाही नहीं चाहेंगे, कोई किसी प्रकार से जुर्म को रोक नहीं सकता है। इस प्रकार अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखा जाय तो आबादी की जनसंख्या के हिसाब से एक थाने के सुपुर्द, एक पुलिस अफसर के सुपुर्द दो ढाई हजार जनसंख्या की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मेरे खयाल से तो दो ढाई हजार की जनसंख्या की रक्षा करना एक पुलिस अधिकारी के लिये बहुत मुश्किल है।

नियोजन विकास के अनुदान के संबंध में हमारे एक भाई ने कहा है कि ढाई अरब रुपया इस पर खर्च हो रहा है, यानी एक व्यक्ति के ऊपर ४० रुपये विकास पर खर्च किया जाता है; यह सोचने की बात है कि एक व्यक्ति के विकास पर तो ४० रुपये खर्च हो, और दो ढाई हजार व्यक्तियों की रक्षा के लिये एक ४० रुपये का सिपाही हो, यह बिलकुल उल्टी बात है। रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है। अगर ४० रुपये दो हजार व्यक्तियों की रक्षा कराने पर खर्च हो, और विकास के लिये एक व्यक्ति पर ४० रुपये खर्च हो, तो जब तक हमारी रक्षा नहीं हो सकती तब तक विकास हमारे लिये तो बेकार सा है।

अगर हम थानों की हालत जाकर देखें जो कि हमारी रक्षा करने के लिये हैं, हम सभी सदन के सदस्य चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, यहां कुछ और कहें, वहां कुछ और कहें, लेकिन जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो एक सा मसला हमारे सामने रहता है। हम थानेदारों और सिपाहियों की बुराई करते हैं लेकिन उनकी हालत जाकर देखें तो मालूम होगा कि उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। ब्लाक्स में बी०डी०ओज० के रहने के लिये तो ५०,५० हजार रुपये खर्च करके मकान बनाये गये हैं लेकिन जो रक्षा के लिये सिपाही हैं, वे अपनी बीबी बच्चे को लाकर थाने में नहीं रख पाते और किसी तरह से वे अपना गुजारा करते हैं। ऐसी हालत में रक्षा के लिये उनमें किस प्रकार से उत्साह हो सकता है?

मैं यह कहने में हिचकता नहीं कि हमारा जिला एक क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट है और हमारे यहां आज कल जो वर्तमान डी०आई०जी० हैं वह पहले वहां एस०पी० रह चुके हैं, वहां पर ६-६ मास और ३-३ मास तक डकैतों के गैंग्स रहे, पुलिस ने उनको पकड़ने का प्रयत्न किया लेकिन जिले में उनको शेल्टर मिलता रहा और नतीजा यह हुआ कि उस पर काबू पाने में पुलिस असमर्थ रही। यह मैं नहीं कहता कि पुलिस ने कोशिश नहीं की; कोशिश अवश्य की लेकिन चूंकि वह एक क्रिमिनल जिला है इसलिये वहां थानों की संख्या और बढ़नी चाहिये और थानेदार भी अधिक रखे जाने चाहिये।

यह भी हमें नहीं समझना चाहिये कि सभी थानेदार बेईमान हैं। पिछले साल हमने थानेदारों को वर्दी के लिये रुपया दिया। इससे पहले हमारे यहां एस०पी०, डी० एस०पी०, कांस्टेबिल, आई० जी० और डी०आई०जी० सब को वर्दी का रुपया दिया जाता था लेकिन थानेदारों को नहीं दिया जाता था और खयाल किया जाता था कि वह तो अलग से ज्यादा पैदा कर लेते हैं इसलिये उनको वर्दी नहीं दी जाती थी। पिछले साल से उनके लिये भी वर्दी का अनुदान रखा गया है। मैं समझता हूं कि जबतक उनमें सुधार नहीं होगा वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। अगर आज थानदार यह समझने लग कि अब हुकूमत बदल गई है और उनका कर्त्तव्य जनता की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि हर तरह का इंतजाम करना अब उनकी जिम्मेदारी है, मेरा ख्याल है कि हमारे यहां ८० प्रतिशत झगड़े जैसा कि कहा जाता है कि 'जर, जमीं और जन" के होते हैं, अगर थानेदार चाहें तो इस तरह के जो झगड़े हैं वह खत्म हो जायं।

अब, अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप ने लाल झंडी दिखा दी है इसलिये मैं अपने कामरोको प्रस्ताव का भी जिक्र करूंगा। अभी थानेदारों को थोड़ा सा डर रहता है कि काम न करने के कारण कहीं हमारा तबादला न हो जाय। अभी हमारे यहां शाहाबाद में एक नगरपालिका के पी०एस०पी० के सदस्य थे, वह दिन दहाड़े गोली से मारे गये, पुलिस ने मामले की जांच करनी चाही तो नेतागण वहां पहुंच गये और फौरन थानेदार का तबादला कर दिया गया और दूसरे थानेदार आ गये। कहा भी गया कि अभी तबादला नहीं होना चाहिये मामले की जांच नहीं हो पायेगी, उनको अनुभव है उस जिले

[श्री मोहनलाल वर्मा]

का, हमने प्रार्थना भी की कि कम से कम लोअर कोर्ट में मुकदमा हो जाने तक के लिये रोक लिया जाय लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह काम ठीक से कर रहे थे, जनता पर उन का असर था लेकिन उनका तबादला किया गया, इसलिये नहीं कि ६ साल से अधिक उनको हो गये थे; ६ साल वाले रह गये, उनका तबादला हो गया।

बंदूक के लाइसेंस का क्या जिक्र मैं करूं, हमारे पी०एस०पी० के माननीय शम्भू दयाल जी मेम्बर हैं, डिप्टी कमिश्नर ने उन की बंदूक के लाइसेंस की दरख्वास्त खारिज कर दी। अध्यक्ष महोदय, कामरोको प्रस्ताव पर एक मिनट और कह लूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस मांग पर मैं २ दिन से माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा हूं। मान्यवर, इस वर्ष भी और प्रायः प्रत्येक वर्ष जब इस सदन के समक्ष पुलिस विभाग की मांग प्रस्तुत होती है तो माननीय सदस्य विशेषकर विभागीय भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, परन्तु माननीय सदस्यगण उस समय यह भूल जाते हैं कि यह हमारा पुलिस विभाग या दूसरे विभाग भी तो हमारे बड़े समाज के ही छोटे से अंग हैं, जबतक हम अपने इस सम्पूर्ण समाज में उन भावनाओं को आरोपित नहीं कर लेंगे जिनको हमने एक आदर्श के रूप में अपने सामने रखा है। यह सदैव नामुमकिन और असंभव है कि हम इस तरह से उन कुरीतियों और बुराइयों को दूर कर सकें। जिन हमारे साथियों को आज के जटिल सामाजिक जीवन का अनुभव कम है वही इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी शासन के द्वारा, कानून के द्वारा और दंड के द्वारा ही मानव समाज की भावनाओं का उद्बोधित किया जा सकता है तथा उनको सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है। पुलिस विभाग को ठीक रास्ते पर ले आने का जो प्रयास स्वाधीनता के बाद से हमारी सरकार कर रही है वह ठीक उसी तरह से है जिस तरह कि एक बढ़े हुये पीपल के वृक्ष की शाखाओं को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण करने का प्रयास हो सकता है। हम उनको ठीक रास्ते पर तभी ला सकेंगे जब हम धैर्य को धारण करें और जिस आदर्श और धैर्य को लेकर हमने प्रदेश और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया उसी धैर्य के साथ हमें इस काम को भी करने की जरूरत है।

सारे विभागों में और विशेषकर पुलिस विभाग में पिछले दस वर्षों में जो प्रगति हुई है वह कम सराहनीय नहीं कही जा सकती। मैं जानता हूं कि किन कठिनाइयों के बीच इन पुलिस कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। यदि आप कचहरियों का जरा भी अनुभव रखते हैं और आये दिन फौजदारी के मुकदमों, कत्ल के मुकदमों और डाके के मुकदमों का अनुभव रखते हैं तो आप देखते होंगे कि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज की क्या हालत है। एक कत्ल होने के बाद दोनों पक्ष के लोग पुलिस के पास जाते हैं। एक पक्ष का आदमी तो जो अपराध करता है उसके साथ अपने गांव भर के तमाम दुश्मनों को उसमें फंसा देना चाहता है और यह कोशिश करता है कि पुलिस के कर्मचारी येन-केन-प्रकारेण उन सबको दंडित कराने की चेष्टा करें। दूसरी तरफ जो निरपराध लोग होते हैं उनकी सहज चेष्टा होती है कि जिन्होंने अपराध किये हैं वही सजा पायें और जो निरपराध हैं वह छूट जायं। इस संकटमय परिस्थिति में गांव के लोग गवाही देने नहीं आते हैं और परिणाम यह होता है कि मुकदमें छूट जाया करते हैं। किसी समय अंग्रेजी जमाने में पुलिस को टार्चर के जरिये शहादत प्राप्त करने का एक तरह से अवसर था। लेकिन आज वह अवसर उनसे छीन लिया गया है और ऐसा अवसर उन्हें नहीं ही मिलना चाहिये। तो ऐसी परिस्थिति में जब अपराधों में वृद्धि हो तो यह सोचना कि केवल पुलिस की असावधानी के कारण ऐसा होता है, यह गलत है। अपराधों में कमी जब तक कि हमारे समाज में उन उदात्त भावनाओं का आरोपण नहीं होगा जिससे समाज ऊंचे उठता है, तब तक हो नहीं सकती। समाज समृद्ध हो, उसमें नैतिक भावनाओं का जागरण हो, अपराध करने वालों को समाज से समर्थन न मिले तभी अपराध

कम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा तो यह कर्त्तव्य है कि यह जो पुलिस कर्मचारी हैं जहां वह अच्छा कार्य करें वहां हम उनकी प्रशंसा करें और जहां वह गलत काम करें निश्चय ही वहां उनको दंडित करने की व्यवस्था सरकार द्वारा होवे। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण अनुदान के संबंध में निवेदन करते हुये हमें यह भूल नहीं जाना है कि यह जो हमारे समाज के संस्कारों को लेकर के हमारे नवजवान हमारे घरों से इस लोकसेवा में आते हैं वह हमारे ही दोष और गुण को लेकर आते हैं। जितने ही हम अच्छे होंगे, जितना ही हम समाज को अच्छा कर सकेंगे उतने ही अच्छे व्यक्ति उनमें भी आयेंगे और जितनी ही हम में बुराइयां होंगी, कमियां होंगी, उतनी ही उनमें भी बुराइयां पायी जायंगी।

मैं कुछ शब्द सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि केवल कानून और दंड विधि द्वारा समाज को सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता लेकिन ऐसे समाज में जिस में हम रह रहे हैं अपराधों और अपराधियों से अपनी आत्म रक्षा के लिये भी समाज में कुछ साधन होने चाहिये। हमारी स्वाधीनता संग्राम के दिनों से यह मांग थी कि इंडियन आर्म्स ऐंड एम्यूनिशंस ऐक्ट को संशोधित किया जाय और निश्चित रूप से हमको आत्मरक्षा के लिये हथियार रखने की छूट दी जाय। आज हो क्या रहा है? जितने समाज विरोधी तत्व हैं, वह चोरी से येन-केन-प्रकारेण, हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर लेते हैं और जो भले मानस हैं वह अपनी रक्षा के लिये भी शस्त्र नहीं रख सकते। इसलिये जितने शीघ्र हो सकें इस कानून को परिवर्तित किया जाय और यदि इस सदन का यह अधिकार न हो तो भारत सरकार को इसके लिये सिफारिश की जाय ताकि भले आदमियों के पास आत्म रक्षा के साधन हो सकें; और जब तक यह न हो तब तक लाइसेंस देने में उदारता बरती जाय।

मान्यवर, मैं यह भी देखता हूं कि पुलिस विभाग में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अच्छा काम करते हैं परन्तु पता नहीं क्या कारण है कि उनकी सराहना नहीं होती, उनके अच्छे कार्यों को मान्यता नहीं मिलती तथा उनकी पदोन्नति नहीं होती। ऐसे भी उदाहरण हैं, मैं जानता हूं ऐसे-ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अच्छी ऐन्ट्रीज मिली हैं जिनके लिये स्वर्गीय हमारे बाबा राघवदास ऐसे जनसेवियों ने सराहना के पत्र माननीय मंत्री जी को लिखे हैं लेकिन उनकी चर्चा तक नहीं होती, न उनके अच्छे कार्यों का कोई पुरस्कार मिलता है जिससे उनके दिल टूट जाते हैं। इन पिछले ३ वर्षों में ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आये जिसमें विभाग में अच्छे काम करने वालों की तरक्की की, पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हुई। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह आशा करना कि कोई अच्छा काम करेगा असम्भव है।

कुछ साथियों ने लखनऊ में होने वाली पुलिस की हड़ताल और उसके सम्बन्ध में जो सरकार ने कार्यवाही की उसकी चर्चा की। मैं ऐसा मानता हूं कि सेना के अतिरिक्त दूसरा अगर कोई विभाग है जहां कड़े अनुशासन की आवश्यकता है तो वह पुलिस का विभाग है। इस विभाग में यदि किसी प्रकार से ऐसी कार्यवाही हो तो निश्चित रूप से यदि सरकार को व्यवस्था रखनी है, यदि सरकार को विभाग में अनुशासन कायम रखना है, तो कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। अगर ऐसी कार्यवाही सरकार करती है तो विरोधी दल के भाइयों को सोचना चाहियें कि कभी उनका भी सरकार के स्थान पर बैठना हो सकता है और उनको भी वही कार्यवाही करनी होगी। एक तरफ तो वह उनकी बुराई करें और दूसरी तरफ उनकी सुविधाओं के लिये भी बात करें, यह उन्हीं के लिये शोभा दे सकता है। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)---मान्यवर, पुलिस विभाग के अनुदान पर कल से बहस हो रही है। बहुत से भाइयों ने प्रशंसा की, बधाई दी और काफी इस पर चर्चा हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

चुकी है। हमें वास्तव में देखना है, अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना है कि आज १० वर्ष से अधिक हो गये राजसत्ता जनता के हाथ में आये हुए, पुलिस में कहां तक वास्तव में प्रगति हुई है। सबसे बड़ी बात कही जाती है कि पुलिस का हृदय परिवर्तन होना चाहिये, पुलिस को जनता का सच्चा कर्मचारी समझना चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं कि आप देखें कि कहां तक हृदय परिवर्तन हुआ है, और कहां तक पुलिस कर्मचारी जनसेवक अपने आपको समझने लगा है। वास्तव में, श्रीमन्, जो लोग देहातों में रहते हैं वह इसकी वास्तविकता को जान सकते हैं। शहरों में अवश्य परिवर्तन हो गया है। शहरों में अधिकतर अधिकारी वर्ग है वहां पर पुलिस को जैसा बिहेव करना चाहिये शायद करती हो। लेकिन आज जो रक्षा देहात के अन्दर मिलती है, मैं उस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ देहात से भी वाकफियत रखते हैं। गहराई से देखें क्या आजकल दशा है। इतना आतंक पुलिस का छाया हुआ है कि आज कोई सम्मानित व्यक्ति अपने सम्मान को रखते हुए देहात में नहीं रह सकता है। अगर आंकड़े देखें जायं तो देहात के सम्मानित व्यक्ति काफी संख्या में शहरों में आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि देहात में लोग यह समझते हैं कि उनके जान, माल और इज्जत की हिफाजत वहां नहीं रह गई है और वास्तव में नहीं रही है। आज कोई सम्मानित व्यक्ति जब तक पुलिस के दरोगा को किसी भी प्रकार से खुश न रखे, जब तक उसे अपने माफिक न कर ले, अगर उसका आदर या सत्कार न रख सके, तब तक वह इज्जत से नहीं रह सकता।

श्रीमन्, सौभाग्य से मैं कांग्रेस दल में भी रह चुका हूं और आज विरोधी दल में भी मौजूद हूं। पहले भी जानता हूं कि क्या व्यवहार था और आज हालत यह है कि राज सत्ता के दल से अलग होने पर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। केवल वही मैं था। मगर १५ वर्ष का इतिहास देखें। हमारे आदमी इतने परेशान किये गये हैं जिस दिन से मैं इस दल में आया हूं कि हमारे सैकड़ों आदमियों पर दफा १०७ लगाकर परेशान किया गया है और २०,२०; २५,२५ बार जिले की अदालतों में दौड़ाया जा चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस दलबन्दी में पड़ेगी, राजसत्ता की पार्टीबाजी में पड़ेगी और आतंक से इस प्रकार की कोशिश करेगी तो कहां तक जनता को उस में विश्वास रह सकता है और कहां तक जनता को उसका सहारा रह सकता है। श्रीमन्, आप देखें कि जिसने जुर्म किया है उसको अधिक से अधिक दंड दिया जाय, लोगों को नहीं खलता। लेकिन खलता जब है जब अनायास परेशान किया जाय। एक व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया जाता है, जब तक उसको सजा न हो जाय, उसके साथ परेशानी का व्यवहार नहीं होना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं उदाहरण दूं, सदन में मेरे भाई जानते भी होंगे और साहस करके वे माननीय मंत्री पर जोर डालें कि इस प्रकार की प्रथा को खत्म करना चाहिये। जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो आमतौर से जमानत थाने में नहीं ली जाती है। जिसको परेशान करना होता है उसकी जमानत थाने में नहीं ली जाती है। आमतौर से लिख दिया जाता है कि मुलजिम जमानत देने से कासिर रहा। वह अदालत में भेज दिया जाता है और वहां से जेल और फिर अदालत में जमानत लेनी होती है। ऐसा मालूम होता है मानों उसको अदालत में जाने की मोहब्बत होती है। बांध कर ले जाया जाता है। सैकड़ों रुपया खर्च करे, वकील रखे, सारे अहलमदों को खिलाये-पिलाये, फिर तहसील में रुपया जमा करे तब जाकर उसकी जमानत होती है और यहां वह थाने में जमानत देना पसन्द नहीं करता था। भला आप ही बताइये कि कौन ऐसा होगा जो थाने में जमानत देना पसन्द नहीं करेगा? इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि कितनी तंग करने की भावना पुलिस में है। अगर वास्तव में बेलेबिल आफेन्स है तो थाने में ही पुलिस को जमानत ले लेना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर एक चुटकुला निकल आया है। जिसको और ज्यादा परेशान करना होता है उसके लिये लिख दिया जाता है कि शिनाख्त की जरूरत है। शिनाख्त हो नहीं पाती। १५-२० दिन

जब जेल में रह चुका तो लिख दिया कि शिनाख्त की जरूरत नहीं रही। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि १०-१५ रोज जेल में रखने और परेशान करने का इरादा होता है।

एक उदाहरण दूं। गोंडा में पंचायत के मुकदमे में रामसुन्दर को ३२३ में पकड़ा गया। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती तो १० रुपये जुर्माना होता। लेकिन हुआ क्या? उसको गिरफ्तार किया गया। लिखा गया जमानत देने से कासिर रहा और शिनाख्त की जरूरत है। ३२३ में कोई फांसी तो लगनी नहीं थी जो शिनाख्त की जरूरत पड़ी। २१ रोज वह जेल में रहा। तो आजकल यह रवैया है। कहा जाता है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। हमें भी संतोष हो जाता अगर कोई धीरे-धीरे परिवर्तन होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। १० वर्ष का समय काफी होता है। अब १० वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जनता में फिर कैसे संतोष हो और कहां तक पुलिस की प्रशंसा की जा सकती है और उसको बधाई दी जा सकती है?

जहां तक अपराधों के आंकड़े हैं उसकी रिपोर्ट सब के पास हैं। उसमें लिखा हुआ है कि ५४ के मुकाबले में राहजनी और डकैती में नम्बर बढ़ा है। हर जिले में पहले के मुकाबले में जुर्मों का नम्बर बढ़ा है। एक तरफ तो नम्बर बढ़ा है अपराधों में और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम यह तरक्की कर रहे हैं और वह तरक्की कर रहे हैं। फिर रिपोर्ट में भी जुर्मों को कम करने की कोशिश पुलिस आफिसर्स करते हैं। बाज बाज दरोगा ने हाथ जोड़े हैं, जहां किसी बड़े आदमी ने शिकायत की तो कहा जाता है कि डकैती मत लिखाइये, नम्बर बढ़ जायगा और मेरी तनज्जुली हो जायगी। यह तो आम खुली हुई बात है कि दरोगा और एस० पी० की तरक्की ही तब होगी जब जुर्म नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इस तरह से जुर्मों में भी कमी की जा रही है और इस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ हो रहा है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है।

एक ऐंटीकरप्शन कमेटी बनायी गयी, एंटी करप्शन आफिसर बनाया गया। उसकी लीला बहुत वर्णन हो चुकी है। सौभाग्य से मैं भी चेयरमैन हूं, लेकिन डाकखाने की तरह से। दरख्वास्त आई और कप्तान साहब के पास भेज दी गयी और जांच मुहकमे के अफसर ने की। उसके अन्दर नियम है कि जो अफसर शिकायत करता है वह जांच के समय रह सकता है लेकिन उनको बुलाने की कभी तकलीफ गवारा नहीं फरमायी और न सबूत मुहइया होता है। हलके में कांस्टेबिल घूम जायगा कि गवाही न देना और बहुत जांच भी की तो शायद एक आध कांस्टेबिल को उन्होंने सजा दिलवा दी। तो मुझे अनुरोध करना है आपके द्वारा मंत्री जी से कि अगर वास्तव में चाहते हैं कि जो हुकूमत उनके हाथ में है वह सही माने में डेमोक्रैटिक रूप देने के लिए कमेटियों को दें तो उनको अधिकार दें। जिसको कमेटियां चाहें एंटीकरप्शन आफिसर से जांच करा सकें, जिनमें चाहें मेम्बरान साथ रह सकें। अगर डाकखाना करना है, महज मजाक करना है और कागज में दिखाने के लिए एंटीकरप्शन कमेटियां रखना है तो इससे अच्छा है कि उनको न बनाया जाय।

श्री लक्ष्मी नारायण बंसल (जिला आगरा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने जो पुलिस के अन्तर्गत अपनी मांग प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मंशा जिला आगरे की ला एंड आर्डर की विशेष परिस्थिति के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और सुझाव भी देना है।

बजट पर जब सामान्य विवाद हो रहा था तो मैंने इस इलाके की कुछ डकैतियों और कत्लों का हवाला दिया था। मुझे अफसोस है कि उसके बाद उसी थाने फतेहाबाद के अन्तर्गत इस अर्से में दो और डकैतियां पड़ गयीं।

[श्री लक्ष्मी नारायण बंसल]

आगरे जिले की भौगोलिक स्थिति अजीब है। उसकी ४ तहसीलों, यानी बाह, फतेहाबाद, खैरागढ़ और किरावली की सरहदें मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिली हुई हैं, खास तौर से बाह और फतेहाबाद में चम्बल और खारी नदी का इतना बीहड़ इलाका है कि वहां डाकुओं के अड्डे बन गये हैं। वहां ला ऐंड आर्डर की समस्या हमेशा सर का दर्द रही है लेकिन पिछले २० साल से इस समस्या ने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है। उसको कम करने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत कोशिशें की गयीं, सरकार का लाखों रुपया व्यय हुआ और हो रहा है, लेकिन अभी तक उसको निर्मूल करने में सरकार को सफलता नहीं मिली है। सरकार ने इस इलाके में पी० ए० सी० की चौकियां कायम की हैं। किन्तु मुझे अफसोस है कि पी० ए० सी० के कुछ कारनामे ऐसे रहे हैं कि उसकी निस्बत जनता में विश्वास नहीं रहा।

अभी कुछ दिन की घटना है कि महुआशाला गांव में डकैतों का गिरोह आया और जिस तरह से सुअर और हिरन का शिकार करते हैं उस तरह से डाकू लोगों का शिकार करते रहे और पाँच आदमी गोली के शिकार हो गये लेकिन पी० ए० सी० की चौकी जो उसके बाहर थी वहां के लोग खड़े देखा किये और कुछ न कर पाये। खडेर गांव में डकैत पांच आदमियों को पकड़ ले गये और काफी रुपया लेकर उनको छोड़ा गया। उनमें से एक आदमी से मैंने बात की, उससे जो मुझे सूचना मिली अगर वह सत्य है तो वह बड़ी भयंकर है। उसने मुझको बताया कि दिन के दोपहर के वक्त जबकि डकैत उसको और उसके साथियों को लिए जा रहे थे तो निबौहरा गांव के समीप एक पुलिस की पी० ए० सी० की टुकड़ी सामने से आती दिखाई दी। पी० ए० सी० की टुकड़ी ने जब देखा कि डकैतों का मुकाबला होने वाला है तो वह चुपचाप मुंह फेर कर ऐसे चल दिये, जैसे कि देखा ही न हो। उसने यह भी बतलाया कि जब हम डाकुओं के साथ थे तो थ्री-नाट-थ्री के कारतूस डिब्बों में बन्द हो कर आया करते थे और मुझे हैरत हुई यह सुन कर कि वह पी० ए० सी० के जरिये से आते थे।

अगर ऐसी बात है तो बड़ी भयानक है और इसके बड़े भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। पी० ए० सी० के ऊपर १,४२ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। मेरे कहने का मंशा यह हरगिज नहीं है कि पी० ए० सी० वाले सभी ऐसे हैं। उसमें बहुत अच्छे-अच्छे नौजवान हैं, अच्छे कार्यकर्त्ता हैं, और अच्छे बहादुर आदमी हैं, लेकिन वह ला एंड आर्डर को काबू में लाने के सर्वथा अयोग्य हैं। अगर मैं यह कहूं कि फावड़ा सुई का काम नहीं कर सकता तो इसमें फावड़े की बेइज्जती नहीं है। जो जिस काम के लिए होता है वह उसके लिए ठीक होता है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने उसका निर्माण इसलिए किया था कि उस जमाने में यहां पर रायट्स हुआ करते थे और उन साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए पी० ए० सी० की जरूरत पड़ जाया करती थी। अब ऐसे दंगे हमारे मुल्क में करीब-करीब नहीं के बराबर हो गये हैं। तो पी० ए० सी० की आवश्यकता इतनी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस इलाके में पुलिस की चौकियां कायम की जायं। मुझे हर्ष हुआ कि माननीय मंत्री जी ने जरार में पुलिस की एक चौकी कायम करने का प्रावीजन किया है। इस क्षेत्र में तीन-तीन मील की दूरी पर ऐसी चौकियां कायम की जायं जो वायरलेस और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हों।

पुलिस का निर्माण हमारे पूर्व-शासकों ने इसलिए किया था कि वह अपनी साम्राज्यशाही की जड़ों को मजबूत रखना चाहते थे। उस समय उस विभाग का जो दृष्टिकोण था अगर आज भी वही रहे तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। उनका दृष्टिकोण यह था कि कुछ भी हो जनता का, अगर शासन की जड़ें मजबूत रहती हैं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात से पुराने शासक अनभिज्ञ नहीं थे कि ये लोग बड़े बेईमान हैं। वह उनसे बेईमानियां अपने स्वार्थवश कराते थे, इसीलिए कानून में ऐसी बातें रख दी गयी हैं कि केवल पुलिस के बयान पर किसी को सजा न हो सके। वही कानून अब भी चले आते हैं। हम जिसको निरन्तर बेईमान कहते रहे तो उसका सुधार नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो हमको उसकी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। तो आज

पुलिस के नजरिये में भी फर्क आने की जरूरत है। आज उनको जनता के सामने रक्षक के रूप में आना है, जनता के सेवक के रूप में आना है।

फिर आज जो तरीका पुलिस की भर्ती का चला आता है कि पुलिस वाले और पुलिस वालों के सम्बन्धी, नातेदार और उनके लड़के पुलिस में भर्ती किये जायं, उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जो दूषित वातावरण में पला होगा वह दूषित होगा ही। उससे उम्मीद नहीं की जानी चाहिये कि वह ईमानदार होगा --

"आकबत गुर्ग जाहद गुर्ग शबद,
गर्चे बा आदमी बुजुर्ग शबद।"

इसलिए पुलिस में नये लोगों की भर्ती की जानी चाहिये और यह तरीका कि पुलिस वालों को तरजीह दी जाय, उसको खत्म करना चाहिये। अगर पुलिस वाले भ्रष्टाचार के वातावरण में पले होंगे तो भ्रष्टाचार में वृद्धि ही होगी, पुलिस में नये रक्त के संचार की आवश्यकता है।

दूसरी आवश्यकता है अनुसंधान की। आजकल अपराधों के नये-नये तरीके निकल आये हैं, साइंटिफिक अनुसंधान के बगैर उनका पता लगाना मुश्किल है। अगर पुराने तरीकों से काम किया जाय तो उसमें कामयाबी नहीं हो सकती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि लखनऊ में वैज्ञानिक अनुसंधान का काम शुरू हो गया है और साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग देने का भी प्रबन्ध किया गया है। यह बहुत अच्छा काम होने जा रहा है।

तीसरी बात जो कि पुलिस में सुधार ला सकती है, वह है सुपरवीजन। पुलिस के सम्बन्ध में जो रिपोर्टें पढ़ीं उनसे मालूम हुआ कि इंसपेक्टर से ऊपर पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है, कम से कम कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। लेकिन एक ए० एस० पी० व एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट के नीचे ३१ सब-इंसपेक्टर रहते हैं, इतने स्टाफ का वह अच्छी तरह से सुपरवीजन नहीं कर सकते। तो ज्यादा संख्या उनकी बढ़ायी जानी चाहिये जिससे नीचे के स्टाफ पर उनका अंकुश रहे। आज डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट को २-३ घंटे तो केवल दस्तखत करने में ही लग जाते हैं तो वह क्या सुपरवीजन करेंगे? सुपरवीजन न होने की वजह से बहुत से अपराधी छूट जाते हैं जिसका प्रभाव ला ऐंड आर्डर पर बहुत बुरा पड़ता है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के चार मुख्य स्तम्भ होते हैं, सेना, पुलिस, जेल और कचहरी। इन चार स्तम्भों में पुलिस का सेना के बाद अपना महत्व है। हमारे देश की पुलिस का ढांचा अंग्रेजों ने अपने विशेष स्वार्थ के अनुकूल बनाया था। उस ढांचे ने पिछले दस वर्ष की कांग्रेस हुकूमत के बाद भी कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार समझौता और सुधार के साधनों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों के हाथ से हमारे देश के लोगों के हाथ में राज्य का हस्तान्तरण हुआ यह एक अजीबो गरीब बात हमारे देश में हुई। इसके कारण क्रान्ति की वह प्रतिक्रिया कि पुरानी राज्य मशीनरी को ध्वंस्त करके पुनः नयी राज्य मशीनरी आरूढ़ होती है वह नहीं हो सकी। यह इस सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत रही और आज भी है। मुझे इस बात का सदा दुख रहा है और अब भी है कि सरकार ने पूरे राज्य यन्त्र के, जिसमें पुलिस भी शामिल है, परिवर्तन के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिसके कारण पूरे राज्य यन्त्र में वे परिवर्तन हो सकें जैसा कि एक क्रान्ति के बाद हुआ करता है। पुलिस का जनता के प्रति रवैया भी कोई बदला नहीं है। आज भी पुलिस में जन सेवा का भाव न हो करके जनता के प्रति उपेक्षा है। एक-एक पुलिस का सिपाही अपने को जनता के रिश्ते में साहब की तरह से समझता और देखता है। इसके लिये इस बात की जरूरत है कि एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय जो पुलिस कोर्ड में परिवर्तन करे और पुलिस के पूरे यन्त्र में कौन से आमूल परिवर्तन जरूरी हैं जिनके कारण पुलिस सही माने में जनता की सेवक बन सकती है, वे सुझाव दें।

[श्री झारखंडेराय]

इस बात को पूरा सदन जानता और मानता है कि अब अपराध वैज्ञानिक और योजनात्मक ढंग से किये जाने लगे हैं लेकिन पुलिस की जांच का तरीका और उसका अपराधियों से व्यवहार करने का तरीका वही पुराना है जो कि अंग्रेजों के जमाने में था। आज वैज्ञानिक अनुसन्धान पर जितना जोर देने की जरूरत थी उतना जोर सरकार का थोड़ा सा ध्यान उधर जाने पर भी नहीं दिया जा रहा है। आज इस बात की जरूरत है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। पुलिस की परम्परायें भी पुरानी हैं। भारतीय पुलिस का कैरेक्टर कालोनियल रहा है और इसी कारण उनके स्वभाव में जो परिवर्तन अपेक्षित है, जितनी अपेक्षा यह सरकार भी करती है व उतना नहीं हो सका। आज संसदीय प्रणाली का भी पुलिस पर असर पड़ रहा है। हमारे देश की सभी पार्टियों ने इस प्रणाली को स्वीकार किया है। यह प्रणाली वोट के ऊपर निर्भर है और वोट जनता के पास है। आज एक बड़े से बड़े महात्मा को और एक महान पातकी पुरुष को एक ही वोट का अधिकार है। इसका असर हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स पार्टियों के पीछे शरण लेने की चेष्टा करते हैं। मैं जानता हूं विशेष पार्टियों को जो वोट पाने की इच्छा से ऐसे क्रिमिनल्स को शेल्टर देती हैं। अधिकारियों के ऊपर भी इस का असर पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि हर पार्टी को खुश करें, पता नहीं कौन सी पार्टी कल पावर में आ जाये। इसलिये इस संसदीय प्रणाली का जो असर पड़ रहा है इसके ऊपर सरकार को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

जैसा कि मैं ने अभी कहा, पुलिस की जांच प्रणाली वैसी ही है जैसी कि पहले थी। जिसकी शिकायत होती है उसी के पास वह जांच के लिये भेजी जाती है। सभी सदस्यों को मालूम है कि इस प्रणाली के होने से बहुत से वाजिब दोषों का भी पता ठीक से नहीं लग पाता।

आज पुलिस विभाग में भी और विभागों की तरह से डेस्क वर्क्स पर ज्यादा आस्था है, प्रैक्टीकल कामों पर नहीं है। बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी जिनकी ईमानदारी और सचाई पर सरकार को पूरा-पूरा विश्वास है, माननीय मन्त्री जी को विश्वास है, जिनके बारे में किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है और वह सरकार की नीति का कायदे से पालन किया करते हैं, ऐसे अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वह अकस्मात दौरा किया करें। अगर पहले से उनके दौरा करने की सूचना रहेगी तब तो उनके स्वागत के लिये फूल माला वगैरह का प्रबंध किया जायगा और इसके बाद अधिकारी जांच करेगा तब तो जांच ठीक से नहीं हो सकेगी और कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसलिये जरूरत है कि अधिकारी अकस्मात दौरा करें और गलत चीजों को पकड़ें।

जहां तक थानों और डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट के हेडक्वार्टर्स का सवाल है, इस बात की जांच की जाय कि वह लोग अपने हेडक्वार्टर पर रहते हैं या नहीं और यह जांच अकस्मात् रूप से हो तो सुधार हो सकता है। भ्रष्टाचार और पुलिस का तो चोली दामन का साथ है। इसके रोकने के लिये सरकार ने कम्पलेंट्स आफिसर बिठा दिये हैं। इनके संबंध में हमें सख्त शिकायत है क्योंकि यह लोग खुद भी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, यह खुद ही घूस लेने लगे हैं और खुद ही कुनबापरस्ती करते हैं। इसलिये इसका उचित प्रबंध होना चाहिये।

दो साल पहले जब कि माननीय मुख्य मन्त्री जी होम मिनिस्टर थे तो एक चर्चा चली थी कि सम्पत्ति की जांच के आधार पर भ्रष्टाचार की रोकथाम की जायगी। लेकिन इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। या तो इसको बीच में दबा दिया गया है या अखबारों में निकल कर ही यह योजना समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने सर्विस काल में संदेहपूर्ण मात्रा में सम्पत्ति इकट्ठा कर ली है चाहे वह कैश में हों या जायदाद के रूप में हो, इस आधार पर देखा जाय कि कौन अधिकारी भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है। यदि हम केवल कम्पलेंट आफिसर्स पर ही निर्भर रहेंगे तो कोई सुधार नहीं हो सकता है। पुलिस आफिसर्स कम्पलेंट्स भी उसी भ्रष्टाचार मण्डली में शामिल हो गये हैं।

पुलिस के दो काम आम तौर पर माने जाते थे। पहला जरायम को रोकना और दूसरा विरोधी पार्टियों के आन्दोलन को कुचलना; यह अंग्रेजी राज्य के जमाने में पुलिस के काम

थे। वही दो काम पुलिस के आज भी हैं। जरायम को रोकने का पुलिस का काम वैसा ही है और उसी तरह से विरोधी पार्टियों पर भी ध्यान दिया जाता है। उनकी मीटिंगों में जाना, रिपोर्ट लिखना तथा उनके पीछे-पीछे घूमते रहना, यही आजकल भी सी० आई० डी० के मुख्य काम हो गये हैं। वह इस बात की चिन्ता बहुत कम करते हैं कि कौन आदमी चोर है, कौन आदमी डकैत है, कौन लोग कहां-कहां आपरेट कर रहे हैं, यह काम न करके वह लोग विरोधी पार्टी के लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं।

मुझे इस बात की भी सूचना मिली है कि जो केस डायरी आजकल पुलिस वालों को दी जाती है उसमें पृष्ठों पर नम्बरिंग नहीं है यानी उनके पेजेज पर अब नम्बर हटा दिये गये हैं। इससे यह अंदेशा है कि कोई भी सफा फाड़कर घटा बढ़ी की जा सकती है। पहले पेज नम्बर्स थे लेकिन अब नहीं रहे हैं। अगर यह सही है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी को इधर ध्यान देना चाहिये।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। एक केस के बारे में, जिसकी शिकायत माननीय मन्त्री जी के पास भेजी गई तथा अन्य अधिकारियों के पास भी भेजी गई है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसकी मैंने खुद जांच की है। मैं उसको बयान करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके मुझे समय दे दें। खून खौला देने वाली घटना है। बदायूं में ६ सर्वप्रमुख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की बात है। अगर वह कांग्रेस में होते तो एम० एल० ए०, एम० एल० सी० अथवा एम० पी० होते। उनमें एक ६ साल तक लगातार जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी रह चुके हैं। वह पूर्ण ५० साल की उम्र के हैं। १९४२ अगस्त क्रान्ति में नैपाल के जंगल में उन्होंने गुरेला कैम्प चलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध आपरेट किया था। ऐसे लोगों को २६ दिसम्बर को दिन में साढ़े १२ बजे गौंतरा नामक गांव (बदायूं) में पी० ए० सी० कैम्प, गौंतरा के ३० सिपाहियों ने अपने सरदार कुलबीरसिंह के हुक्म से बुरी तरह से कैम्प के सामने मारा है। एक घंटे तक तो वह बेहोश रहे, उनको लाद कर जेल भेजा गया और अब उल्टे उन पर मुकदमा चलाया गया है। मैं उस गांव में गया और लड़कों, ग्राम प्रधान, स्कूल के मास्टर आदि से उस घटना की पूरी छानबीन की। उस घटना की शिकायत ५ दिन बाद ही यू० पी० किसान सभा के प्रधान मन्त्री प्रताप टंडन ने मन्त्री जी को दी और एक महीने के बाद मैंने भी लिखा। इसके अलावा वहां की कांग्रेस के लीडर, कार्यकर्ता, रघुवीर सहाय, एम० पी०, तथा एक भूदानी सज्जन सब से इसकी शिकायत की गई, पी० सी० सी० और डी० सी० सी० को भेजी गई। लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। मुझे पिछले ६ सालों में किसी एक जिले में इस प्रकार की घटना की जानकारी नहीं है, जो इस तरह घटी हो। मैं चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि माननीय मन्त्री जी और पुलिस के उच्चाधिकारी इस घटना की जांच करें और समुचित कार्यवाही उस पी० ए० सी० की टुकड़ी तथा उस के इन्चार्ज सरदार कुलबीर सिंह के खिलाफ की जाय ताकि जनता में विश्वास हो कि जब तक हम वायलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि पुलिस के पूरे व्यवहार और कार्यशैली में आमूल परिवर्तन हो और उसके लिये एक हाई पावर कमेटी एप्वाइंट की जाय।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में अच्छे और बुरे, दोनों किस्म के आदमी हैं और इसलिये कहीं की पुलिस अच्छा काम करती है और कहीं की खराब। खराब आदमियों को सजा देने के लिये और सुधारने के लिये सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है और बहुत से लोगों ने सजायें पायी हैं, उनकी तरक्की रुकी है और बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपने जिले और क्षेत्र की कुछ बात बतलाना चाहता

[श्री गौरीराम गुप्त]

हूं। मेरे जिले में एक मुकाम है छितही बुजुर्ग, कैम्पियरगंज थाने में, जहां कत्ल हो गया और वहां के थानेदार की लापरवाही से सारे लोग मुकदमे में छूट गये। उसमें दो आदमियों की जानें गयीं। इसके बाद सतगद में एक डकैती पड़ी, जो बहुत बड़ी थी और उसमें भी एक आदमी की जान गयी। वह डकैती भी पुलिस की लापरवाही से पकड़ी नहीं जा सकी। उस के बाद वहां के एस० पी० ने वहां के थानेदार को हटा दिया और एक दूसरे थानेदार साहब श्री रामअधीन सिंह, वहां आये। उन्होंने आकर डकैतों और चोरों को कंट्रोल किया। वहां दो थाने हैं जहां सैयद अली डकैत और भोला आदि ने बड़ा उत्पात मचा रखा था और गांव के लोग डरे हुए थे। वे रात को सोते नहीं थे और बड़ा ही हल्ला मचा हुआ था, लेकिन उन लोगों की कृपा से डकैत पकड़े गये और आज जनता सुख की नींद सो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे थानेदारों की, जो डकैत न पकड़ सकें, हमारे यहां जरूरत नहीं है। जो मुकदमों को चला कर खराब करवा दें और बाद में मुलजिमों को छुड़वा दें, ऐसे थानेदारों को निकाल दिया जाय। पुरन्दरपुर में ७०० मौजे हैं और बहुत काफी बड़ी आबादी है। लाखों आदमी उस थाने में बसते हैं इसलिये मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां बजाय एक थाने के दो कर दिये जायं। एक फरेंदा में हो जाय और एक वहीं रहे। इसके बाद बादुरी बाजार में अगर एक चौकी बना दी जाय तो काफी सहूलियत हो जायगी। इसके साथ ही धानी बाजार में भी एक चौकी होनी चाहिये।

मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि पुलिस को खादी की वर्दी दी जाय। सन् १९३७ में ऐसा हल्ला था कि पुलिस की वर्दी खादी की होगी। परन्तु पता नहीं उस के बारे में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इसलिये अब उनको जल्द से जल्द खादी की वर्दी बनवाकर दी जाय।

दूसरी बात, जरायम वगैरह जो बढ़ते जा रहे हैं इसके लिये हर गांव सभा में कम से कम दो एक बंदूक जरूर रहनी चाहिये। आज तक जितनी डकैतियां वगैरह होती हैं उनमें डकैत बन्दूक जरूर लाते हैं लेकिन गांव वालों के पास सिवाय ढेले, लाठी के और डंडे के और दूसरा हथियार नहीं होता। इसलिये वे बन्दूक का मुकाबिला नहीं कर पाते। डकैत जब डाका डालने जाते हैं तो बन्दूकों के प्रयोग के कारण बहुत सी हत्यायें भी कर डालते हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हर गांव पंचायत में गांव पंचायतों के खर्च से या जो लोग खरीद सकें उनके पास दो एक बन्दूक जरूर रहे जिससे डाकुओं का मुकाबिला आसानी से हो सके।

तीसरी बात यह है कि आजकल गांव में आग बहुत लगती है। गांवों में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं और फूस की झोपड़ियां उनकी होती हैं। उसी में वे गुजर-बसर करते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आग बहुत लगती है और वे बच नहीं पाते। कुंओं से या चर्योंड़ों से पानी निकालने के लिये जब तक किसान दौड़ते हैं तब तक उनका सारा का सारा गांव नष्ट हो जाता है और जलकर खाक हो जाता है। इसलिये हर थाने में द्रुतगामी दल आग बुझाने के लिये रहने चाहिये। पानी के लिये मशीनें भी उनके साथ रख दी जायं तो गांववालों को बहुत सुविधा होगी।

चौथी बात यह है कि अपराधों की संख्या जो आज बढ़ती चली जा रही है उनको रोकने के लिये पूरी कोशिश होनी चाहिये।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)——अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर न बोलकर पुलिस पर बोलने का जो मुझे मौका मिला है इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं क्योंकि मिनिस्ट्री के (port folios) का जो कम्पोजीशन है उससे मैं जरा भयभीत हूं। शिक्षा व पुलिस एक मिनिस्ट्री में हैं।

Goebbels used to say "Whenever I hear the word 'culture' I feel like bringing out my pistol."

उसी प्रकार मुझे भय है कि मौजूदा मंत्री जी कहीं यह न कहने लगें :—

"Whenever I hear the word 'Education' I feel like bringing out my baton."

मैं यह अपना सौभाग्य समझता हूं कि पिछली मर्तबा शिक्षा पर बोला तो अबकी बार पुलिस पर बोलूं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस क्या है और कैसे शुरू हुई, मेरे विचार से वह अरबनाइजेशन के कारण हुआ। आज हमारे प्रदेश में अरबनाइजेशन बढ़ा है परन्तु पुलिस के आर्गनाइजेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुलिस के कर्त्तव्य, पुलिस के फरायज में यह समझता हूं कि दो हैं---प्रिवेंटिव और डिटरेंट अर्थात् जुर्म का न होने देना और अगर जुर्म हो तो मुल्जिम को पकड़ना और उसको जाने न देना।

प्रिवेंटिव में आज हमारे यहां दफा १०७, १०८, १०९, १५१ और न जाने क्या-क्या है और उनका इतना प्रयोग है, जो कि स्वराज्य के पहले मेरे खयाल में नहीं था। १५ हजार आदमी आज १०९ में गिरफ्तार हैं। अगर मंत्री महोदय देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में करीब १० फीसदी ऐसे लोग होंगे जिनके जरिये आमदनी का पता नहीं चलाया जा सकता। अगर इसी हिसाब से १०९ में लोग गिरफ्तार होते रहे तो उसका नतीजा क्या होगा? मैं समझता हूं कि यह मिसयूज आफ अथारिटी है जिसका कारण है इनएफीशियेन्सी। इनएफिशियेन्सी कैसे है, यह मैं बाद में बताऊंगा।

प्रिवेंटिव के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता था लेकिन शायद वक्त न मिले। कुछ अर्सा हुआ, करीब ७-८ वर्ष के, एक साहेब जो बड़े मुअज्जिज थे, दावत खाकर चले आ रहे थे। कोई उनकी मुखालिफत नहीं थी। हजरतगंज की कोतवाली के सामने पूछा गया कि जनाब कहां जा रहे हैं। वह ग्रामसेवक थे, जरा अकड़ गये। बस क्या था, उन्हें दो तीन घूंसे पड़े और मय अचकन, पैजामा व दाढ़ी के जेल में बन्द कर दिये गये, बाद में बड़ी कोशिश से उन्हें छुड़ाया गया। अगर मंत्री जी ने जरा इशारा किया तो माथुर साहब ने सुरथ बहादुर शाह को १,२,३ जेल में बन्द कर दिया बिला वजह! बाद में वह अध्यक्ष महोदय को लिखा करें। तो कौन इस बात का दावा कर सकता है कि मैं सेफ हूं?

अब डेटरेन्ट के ऊपर मैं कुछ अर्ज करूं। पुलिस की खामियां उसके रैक्रूटमेन्ट और ट्रेनिंग पर हैं। सरकार के ही आंकड़ों से सिद्ध होता है कि हीनस क्राइम्स में पिछली बार २५,६०० रिपोर्ट हुई थीं, जिनमें से ८,२५० का प्रासीक्यूशन हुआ और ४,९१६ का कनविक्शन हुआ, यानी १/५ हुआ। इसी तरह साधारण अपराधों में ४२,०९३ रिपोर्टें हुईं और १४,६७४ प्रासीक्यूशन हुये जिनमें से ९,५०९ कामयाब केसेज हुये। औसत करीब वही पड़ा है करीब ५ में एक। यह क्यों है? महज इनएफीशियेन्सी के कारण। हमारा इब्तदाई रैक्रूटमेन्ट और ट्रेनिंग का तरीका ठीक नहीं है। हमारी पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उसका कारण है कि हमारी पुलिस हमारी तरफ हमदर्द नहीं है। पुलिस के पास मोटे ताजे एम०एल०ए० नहीं पहुंचते हैं। उसके पास पहुंचते हैं दुखी, मजदूर और मुसीबतजदा। सुरथ बहादुर शाह किसी लड़ाई में पड़ गये और हाथ टूट गया तो पहुंचे। तो सुरथ बहादुर शाह एम० एल० ए० की हैसियत से नहीं बल्कि मुसीबतजदा की हैसियत से पहुंचे। थाने में जाकर पाते क्या हैं? थानेदार साहब कहीं तशरीफ ले गये हैं, दीवान साहेब का पता नहीं है, दूसरे किसी साहब ने कहा कि बैठो, तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जायगी। मुसीबतजदा के साथ हमदर्दी होनी चाहिये, पहले उसे एक प्याला काफी पिलाई जाय। (हंसी) परमात्मा न करे, परन्तु यदि ऐसी हालत में आप किसी सभ्य पाश्चात्य देश में थाने पहुंचे तो आप को बरान्डी पिला दी जायगी। मेरा मतलब है कि मुसीबतजदा को सहानुभूति की जरूरत है, पुलिस वाले उससे पूछें कि कहिये कि क्या हुआ। अगर किसी ने कहा कि फलां

[श्री सुरथबहादुर शाह]

शख्स मेरी औरत, बहन या लड़की को भगा ले गया, तो पुलिस वाला बजाय कोई हमदर्दी के कहता है कि अच्छा आपके यहां यह होता ही होगा वरना क्यों भगा ले जाता। आप पुलिस में चाहते हैं कि ऐसे आदमी आवें, जो मोटे ताजे हों, दरिया फांद सकते हों, मकान या दीवाल तड़क सकते हों, और उसे दें ३० रुपये। आप फरमावें कि अगर पैसा बढ़ाने के लिये कहेंगे तो कहोगे कि पुलिस की सरकार हो गई, पुलिस का बजट हो गया। नहीं। आपको हम रुपया देने को तैयार हैं मगर उन्हें ट्रेनिंग दीजिये कि वह यह देखें कि where does a man trespass अर्थात् कहां आदमी अपनी हकों की सीमा को पार करके दूसरों के हक पर आक्षेप करता है। मगर उनको ट्रेनिंग तो यह दी जाती है कि अगर सुरथ बहादुर शाह आते हों तो उन्हें रोककर पहले मंत्री जी को निकलने दिया जाय। अंग्रेजी जमाने की तरह हमारे यहां अब भी १३ ओहदे पुलिस में रखे हैं आई० जी० से लेकर सिपाही तक। क्यों नहीं आप दूसरे देशों की तरह सिर्फ ४ पोस्ट्स रखते हैं, एस० पी०, इन्सपेक्टर, हैड कान्स-टेबिल और कान्सटेबिल ? आप के निकट तरक्की केवल नाम को तबदील करने से हो जाती है। बजाय (Tweedy, Horton, Dodd) के हो गए लाहरी, भल्ला, माथुर और बजाय (Marshsmith, Nethersole, Mudie, Hallett) के हो गये सम्पूर्णानन्द, लाल बहादुर, कमलापति।

* श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं इधर के भाइयों का इसलिये आभारी हूं कि उन्होंने हमारी बातों का समर्थन किया है, भले ही पार्टी की मजबूरी के कारण उन्होंने ये शब्द भी कहे हैं कि मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करते हैं। कुछ भाइयों ने अधिकारियों की थोड़ी सी स्तुति भी की है लेकिन उसके लिये हम कुछ कहने वाले नहीं हैं। थोड़ी देर में हमारे गृह मंत्री जी अपने भाषा अधिकार और वाकचातुर्य से, पुलिस की असफलता का जो यहां वातावरण है उस पर छा जाने का प्रयत्न करेंगे। मगर इससे शासन में सुधार होने वाला नहीं है। सुधार उनमें होगा अच्छाई लाने से ही।

अभी कुछ दिन पहले सदन में सुलतानपुर की बात आई थी, सात लाशों का मामला था। जुमरिया नाला सुलतानपुर से ४ मील पर लखनऊ-बलिया रोड पर है। उसके लिये मंत्री जी ने कहा था कि जिस औरत के मरने की रिपोर्ट आई उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और पुलिस गांव में जाकर घूमघूम कर कहती थी कि यह कपड़ा किसका है। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि कपड़ा नहीं मिला। मंत्री जी कहते हैं कि भेड़िया आया था, हैजा आया था और जानवर की हड्डी हो सकती है। क्या उन सबकी वहां व्यवस्था थी ? तो इतनी प्रकार की हड्डियां एक स्थान पर मिल गयीं। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि वह नाले से बह कर आयी होंगी। लेकिन उस वक्त नाला सूखा था। यह ४ नवम्बर और २२ दिसम्बर के बीच की बात है। २२ दिसम्बर को रिपोर्ट हुई है और फिर नाले के पेटे में हड्डियां नहीं मिली हैं बल्कि नाले के ऊपर मिली हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह ७ आदमियों की हत्या का मामला है, बड़ी भयानक चीज है, हो सकता है कहीं दूर से लाकर उन लाशों को वहां पर डाला गया हो। माननीय मंत्री जी इस मामले की विशेष जांच करायें।

बजट में ६८८ गाड़ियों का जिक्र आया है। उनके बारे में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि खराब हो गयी हैं तथा हटा दी गयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रद्दी गाड़ियां क्यों खरीदी गयीं। एकोनोमी कमेटी की रिपोर्ट में इनके बारे में क्या कहा गया है, ठीक तो मालूम नहीं लेकिन शायद यह कहा गया है कि ये गाड़ियां ५ मील प्रति गैलन के हिसाब से चलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों सार्वजनिक रुपये का दुरुपयोग किया गया। क्यों इतनी रद्दी गाड़ियां ली गयीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डी० आई० जी० आदि के बारे में एकानामी कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

चौकीदारों के संबंध में आप क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं। गांव-गांव से ३ रुपये के चौकीदार को हटा रहे हैं लेकिन उनकी जगह कोई रखा नहीं जायगा। ऐसी स्थिति में बतायें कि एकानामी कमेटी की रिपोर्ट की किन बातों को लागू करने का प्रयास आप कर रहे हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गौरीशंकर राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने प्रोसिक्यूटिंग स्टाफ की परेशानियों के बारे में निवेदन किया था कि प्रोसिक्यूटिंग स्टाफ के जो आदमी सीनियर कांडर के भी हों, लेकिन जूनियर सी० आई० आर० आई० या और भी जो प्रोमोशन की डिप्टी सुपरिंटेंडेंट या दूसरी ऊंची जगहें होती हैं, उनके लिये वहां प्रोमोशन का मौका नहीं है, वह बन्द है। मैं समझता हूं कि प्रोसिक्यूटिंग स्टाफ के लोगों को भी पुलिस डिपार्टमेंट की किसी पोस्ट के लिये पदोन्नति का मौका मिलना चाहिये। क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन भी अधिक होती है, बहुत से डबल ग्रेजूएट भी हैं उतने क्वालिफाइड पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरे नहीं हैं, इसलिये सरकार को चाहिये कि वह उनकी तरक्की के लिये कोई और तरीका निकाले।

एक शब्द में दफा १०९ के बारे में आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अनडेमोक्रेटिक है। जिसके यहां एक दियासलाई मिलती है या उसके यहां भी न मिले तो पुलिस अपने पाकेट से निकाल कर वहां रख देती है और इस तरह से किसी को गिरफ्तार कर बन्द कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार का अधिकार पुलिस को होना नहीं चाहिये। यह जो मैंने कल पुलिस ऐक्ट और रेगुलेशन के बारे में पुनर्विचार करने की बात कही थी, उस पर तो जब मंत्री जी चाहें विचार करें लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसको अभी हटाया जाना चाहिये। १०७ के बारे में मुझे माननीय गृहमंत्री जी से यह निवेदन करना है कि १०७ का मामला ऐसा नहीं है जिसके अन्दर किसी को १० महीने, साल या दो साल तक टरकाया जाय और उसको आगे बढ़ाते चले जायं। लेकिन आज देखने में यह आता है कि पुलिस जिसको चाहती है १०७ का सहारा लेकर उसे बन्द कर देती है। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस पर विचार करें।

पुलिस डिपार्टमेंट में तीन बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनका ऐप्वाइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और उनका प्रोमोशन और इन तीनों पर आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा। कहीं भी ऐप्वाइंटमेंट का इतना ढीला तरीका नहीं है। ऐप्वाइंटमेंट की कुछ मान्यता और मर्यादा भी होनी चाहिए और वह मर्यादा उनकी जिम्मेदारी के मुताबिक होनी चाहिये। एक पुलिस कांस्टेबिल की बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको देखते हुए..

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, अभी मुझे ७ मिनट बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—७ मिनट में ३ मिनट पहले बोल चुके हैं और २ मिनट अभी बोल चुके हैं, २ मिनट और बाकी हैं।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय अध्यक्ष महोदय ने १० मिनट के लिये कहा था और उसी हिसाब से मैं बोल रहा था कि मेरे ७ मिनट अभी बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, बोलिये ।

श्री गौरीशंकर राय—तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पुलिस के ऐप्वाइंटमेंट, ट्रेनिंग और उनके प्रोमोशन के संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है । साथ ही साथ जहां तक साइंटिफिक इनवेस्टिगेशन की बात है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है । अन्त में मुझे कुछ विशेष परिस्थिति की ओर आप का ध्यान दिलाना है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में क्राइम्स की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है । जैसे बलिया जो बिहार की सीमा पर है, मैं बार-बार इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं और इस सदन में कई सदस्यों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस का एक संयुक्त मोर्चा होना चाहिये तभी अपराधियों का दमन किया जा सकता है । मैं पुनः आप के जरिये माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर सोचें कि बोर्डर के किनारे के जो गांव हैं, वहां पर अपराधों को दबाने के लिये दोनों प्रदेशों का सम्मिलित प्रयास होना चाहिये । मैंने कल भी बतलाया था कि वहां के तीन मशहूर डाकू मारे गये हैं । वे मारे गये, यह बहुत अच्छी बात हुई, यह हमारा सौभाग्य है कि वे मारे गये, क्योंकि हम उनसे आक्रान्त थे । उसका हमारी पुलिस को नहीं बल्कि बिहार की पुलिस को श्रेय है कि उत्तिल मारा गया । लेकिन ईदन जो एक अचूक निशानेबाज है उसको आज तक नहीं पकड़ा गया, वह अगर पुलिस एनकाउन्टर में होता तो बहुत कुछ हो सकता था । उसके अलावा और दूसरे बड़े-बड़े गैंग्स हैं, मेरा सुझाव है कि इन को और दूसरे डकैतों को पकड़ने के लिये किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये कि जो पी० ए० सी० को साथ लेकर दूसरे सभी प्रशासकीय कार्यों को छोड़कर केवल यही काम करें, इसी विशिष्ट कार्य पर उनकी तैनाती की जाय और उनको ऐसी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन में रखा जाय कि जिससे वह गैंग काबू में आ जाय । माननीय मंत्री जी कहेंगे कि सभी अधिकारी एफीशियेंट हैं लेकिन जो अधिकारी बहुत ही अधिक कुशल हों उन्हीं को वहां भेजा जाय । अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां पर किसी की भी जिन्दगी सुरक्षित नहीं है, किसी की भी हत्या कभी भी हो सकती है और सर्वनाश हो सकता है ।

अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस विभाग में जो असंतोष है और जो आन्दोलन है, जो उनकी मांगें हैं और जो मजबूरी ऐसी हुई हैं कि आज उन के ६५ आदमी जेल में बन्द हैं, उस समस्या को गृह मंत्री जी जरा अपने कौशल से डील करें, उनको बन्द रखने में उनका सिर ऊंचा न होगा क्योंकि वह अपने प्रदेश की दूसरे प्रदेशों से तुलना करने में अघाते नहीं हैं। मैं समझता हूं इस मामले में उनको शर्मिन्दा होना पड़ेगा कि उन्होंने ६५ आदमियों को बन्द करके शमशान की सी शान्ति कायम कर रखी है । उनका असंतोष भी बढ़ रहा है और एक तरह से जेल में उनका टार्चर भी हो रहा है और डंडे भी उन पर चल रहे हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और वह जो विभाग की रीढ़ हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान न कर के जो उनकी भावनाओं को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह गलत है और उचित नहीं है ।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि मंत्री जी, कृपया जो गलत काम करने वाले लोग हैं, उनकी प्रशंसा कर के उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास न करें । और जैसा कि मैंने कहा उसे मैं पुनः दोहरा देता हूं कि इससे गलत काम करने वालों को बल मिलता है । माननीय माल मंत्री जी के एक भाषण के कारण पूर्वी यू०पी० में डंडे वसूली में चलाना शुरू कर दिया गया है उसकी ही यदि पुनरावृत्ति होगी तो कल्याण नहीं होगा । आशा है कि मंत्री जी केवल वाक्चातुर्य से काम न लेकर यह भी बतायेंगे कि वह विभाग को सुधारने के लिये क्या करने जा रहे हैं न कि केवल सफाई ही दें कि ऐसा हुआ । इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे एक रुपए के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मुझे जरा संकोच हो रहा है क्योंकि मेरे भाई श्री गौरीशंकर राय जी ने पहले से ही भूमिका बांध दी कि गृह मंत्री जी वाक्चातुर्य

से और भाषा संबंधी अधिकार से सारी बातों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। मैं पुलिस विभाग का संचालन अवश्य कर रहा हूं लेकिन भारतीय दंड विधान की धारा ४२० में मेरा चालान करने की आवश्यकता न होगी। मेरा खयाल है कि माननीय गौरीशंकर राय जी को तो स्वयं अपने वाक्चातुर्य और भाषा के अधिकार पर बड़ा नाज है तो वह दूसरों पर ऐसा अभियोग क्यों लगायें? उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है उसके लिये मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं उनकी सेवा में निवेदन करूंगा उसे सुन लेने के बाद वह पुलिस विभाग पर उदारता प्रदर्शित करेंगे और उसके लिये जो थोड़ी सी रकम मांगी गई है उसमें एक रुपया कम करने की चेष्टा न करेंगे।

इस अनुदान पर जो विवाद हुआ उसके लिये मैं स्वयं बहुत ही कृतज्ञ हूं इधर के लोगों के प्रति भी और उधर के लोगों के प्रति भी क्योंकि जो विवाद हुआ वह मेरी दृष्टि में उदारता की भावना से भरा हुआ था। उसमें शील भी था और स्पष्ट था कि केवल सरकार के ऊपर अथवा पुलिस विभाग के ऊपर कोई लांछन लगाने के विचार से या निराधार और गलत बातों को कहकर के कोई कठिनाई उत्पन्न करने के इरादे से नहीं किया गया। यह पहली बात थी जिसके लिये मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। मान्यवर, सुरथबहादुर शाह जी जो हैं कुछ जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—सचमुच माननीय सदस्यों के लिये यह जमीन पर बैठना अनुचित है। आप लोगों को यदि बातचीत करनी हो तो लाबी में जा सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि सारे वादविवाद का स्तर ऊंचा रहा है इस माने में कि उसमें किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं रहा है और जो बातें कही गई उनके पीछे दृष्टि यही थी कि पुलिस का प्रशासन अधिक सफल हो, अधिक संक्षम हो, अधिक उपयोगी हो, जनहित में अधिक संचालित हों, और उसी दृष्टि से कुछ टीका-टिप्पणी भी की गयी। उसके लिये मैं कृतज्ञ हूं और ऐसा समझता हूं, मुझे अपनी प्रशंसा करनी नहीं चाहिये, पर ऐसा मैं समझता हूं कि जो अपील कल मैंने की थी इस अनुदान को उपस्थित करते हुए उसको सामने रखकर के माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर कृपा की है और वस्तुतः सारी बहस में उन्होंने सुझाव भी बहुत अच्छे दिये हैं। और जिन मौलिक प्रश्नों के ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है वे प्रश्न भी ऐसे हैं कि जो साधारण हैं और जिन पर विचार होना चाहिये। मान्यवर, जो विवाद हुआ, उसमें जो बातें कही गई उन्हें दो-तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ तो सुझाव दिये गए, कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें की गईं जिलों के स्तर पर भी और साधारण प्रशासन पर भी और कुछ अवश्य अभियोग भी लगाये गए सरकार के ऊपर। उसमें भी कोई अभियोग लगाने का नियत नहीं थी। लोगों की समझ में यह आया कि ये अभियोग लगाने लायक हैं। कदाचित् उन्हें यही अनुभव हुआ हो, कदाचित उनकी दृष्टि में सरकार के कार्यों के प्रति यही भावना उत्पन्न हुई हो, फलतः कुछ अभियोग भी लगाये गए। थोड़ा समय है मेरे सामने, मैं अधिक विस्तार से उनमें न जा सकूंगा। पर कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक सुझावों का सम्बन्ध है मैं आपके द्वारा मान्यवर, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उसमें बहुत से सुझाव ऐसे हैं जो अत्यन्त उपयोगी हैं और सरकार उन पर ध्यान देगी बड़ी गम्भीरता के साथ क्योंकि कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जिनके कार्यान्वित करने से वस्तुतः लाभ ही होगा, हानि नहीं हो सकती। कुछ ऐसे भी हैं कि जिसमें दो मत हो सकते हैं। पर उन पर भी हम हर दृष्टि से और हर पहलू से विचार करेंगे और चेष्टा इस बात की करेंगे कि यदि वह हितकर हों, उपयोगी हों, तो उन्हें स्वीकार किया जाय। कुछ शिकायतें जो जिले के स्तर पर की गई प्रशासन सम्बन्धी, कहीं किसी सब इंसपेक्टर की अथवा कहीं किसी थाने की उन शिकायतों को भी मैंने नोट कर लिया है, सम्प्रति उनके सम्बन्ध में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। पर मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उन शिकायतों के ऊपर जानकारी हासिल करने की और उनमें क्या हुआ है और क्या

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

होना चाहिये, इस बात को समझने की पूरी चेष्टा करूंगा। मेरी तो यह प्रार्थना है माननीय सदस्यों से, मैंने कुछ ऐसा तरीका भी बना रखा है कि जिले के प्रशासन के सम्बन्ध में चाहे थाने की शिकायत हो या कुछ हो, माननीय सदस्य यदि कुछ कहना चाहें तो मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसको सुनता भी हूं और जो शिकायतें मुझे दी जाती हैं उन्हें बड़े आदर के साथ शिरोधार्य भी करता हूं इस विचार से कि उन पर जानकारी हासिल करूं और जांच कराऊं। और यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इधर पिछले साल भर के बीच में जिस किसी भी कोने से कोई शिकायत आयी होगी तो जांच करने की चेष्टा की और बहुतों में कुछ ऐक्शन भी लिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि शिकायतों की कोई उपेक्षा की गई हो। उपेक्षा करने का कोई अर्थ हो नहीं सकता क्योंकि जिस विभाग का संचालन करता है कोई व्यक्ति वह यह तो चाहता ही है कि उसका विभाग इस प्रकार से संचालित हो कि किसी को कोई शिकायत न हो और यदि सम्भव हो सके तो दो शब्द अच्छे कहे जायं। ऐसे विभाग में कोई त्रुटि हो उसको और ध्यान आकृष्ट कर देना तो उस व्यक्ति का कृतज्ञ होना चाहिये उसको जो उसका संचालन करता है। और इसी दृष्टि से जब कभी ऐसी शिकायत आती है तो मैं उसकी जांच पड़ताल करने की चेष्टा करता हूं और भविष्य में भी यदि आप इस तरह की कृपा करते रहे, ध्यान आकृष्ट करते रहे तो मैं निवेदन करूं कि इस विषय में सरकार ध्यान देगी। और व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि उन बातों की जांच की जाय और जहां तक हो सके उन्हें दूर करने की कोशिश की जाय।

कुछ थोड़े से अभियोग लगाये गये जिनके विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक बड़ी भारी बात तो यह कही गई, शायद माननीय बलवान सिंह जी ने कहीं थी, कि शायद मंत्री जी ने पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं होगा। और भी किसी एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि सारी रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है। पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें ३३७ सिफारिशें की थीं। बहुत पुरानी हो गई अवश्य, १९४९–५० में कमेटी बनी थी। इन सिफारिशों में से सरकार ने १७३ मन्जूर कर लीं। कार्यान्वित हो रही हैं। १३ आइटम्स उसमें ऐसे थे जिनको कि गवर्नमेंट की सेंक्शन की जरूरत नहीं थी। आई० जी० के स्तर पर हो सकती थीं, वह कार्यान्वित की जा चुकी हैं। १७ आइटम्स ऐसे थे जिन्हें हमारे यहां १९४५ में एक पीयर्स कमेटी बनी थी और जो रिकमन्डेशन्स उसने की थी उन्हीं रिकमन्डेशन्स की परिधि में वह १७ रिकमन्डेशन्स आती हैं, वह भी कार्यान्वित हो चुकी हैं। ८ ऐसी हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है क्योंकि वह फाइनेंशियल मेटर्स हैं। इस प्रकार आप देखें तो करीब करीब उनकी रिकमन्डेशन्स पर कार्यवाही हो चुकी है। तो ऐसा ख्याल कि उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई, कदाचित उचित नहीं है। हां, यह अवश्य एक सुझाव दिया गया कि एक और छोटी सी कमेटी बनायी जाय तो इन बातों पर विचार करे। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जो नीति सम्बन्धी प्रश्न है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार को यह आवश्यकता प्रतीत होगी कि पुलिस के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की ऐसी कमेटी बनायी जाय तो कमेटीज बनती रहती हैं, वह उसे बनाने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं करेगी। पर आज ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। क्योंकि जो रिकमन्डेशन्स हमारे सामने हैं वे ऐसी हैं जो तत्कालीन उपयोगिता की दृष्टि से भी नहीं की गई थीं। उन्हें हम पूरी तरह से कार्यान्वित कर लें तो बहुत से हमारे काम चल जाते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक अभियोग यह लगाया कि पुलिस में नियुक्तियों में या प्रोमोशन के सम्बन्ध में बड़ा फेवरिटिज्म है। अभी हमारे मित्र श्री गौरी शंकर राय जी भी उत्तर देते हुए कुछ यह कह रहे थे कि नियुक्तियों के सम्बन्ध में और प्रोमोशन के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से ध्यान करना होगा। मैं यह निवेदन करूं कि पिछले एक साल से इस विभाग का

संचालन मेरे हाथ में है और मुझे तो ऐसा लगा कि नियुक्तियों और प्रोमोशन के सम्बन्ध में पुलिस विभाग में जितनी कड़ाई है और जितना कड़ा प्रोसीजर बना हुआ है उतना किसी और विभाग में नहीं है और उसमें इस तरह की कमजोरियों के घुसने का कोई अवसर नहीं है। कांस्टेबिल से एस० पी० तक की भर्ती व तरक्की के लिये जो प्रोसीजर है उसमें कहीं इस चीज की गुंजायश दिखाई नहीं देती। अगर एक कांस्टेबिल को हेड-कांस्टेबिल बनाना है तो सेलेक्शन हो ने के बाद उनको जिलों में एलाट किया जाता है और फिर पी० टी० सी० की परीक्षा होती है। हेड कांस्टेबिल से सब-इंस्पेक्टर बनाना है तो उसके लिये भी कमेटी होती है जिसमें डी० आई० जी० होते हैं। हेड कांस्टेबिल का नाम एस० पी० थ्रू कलेक्टर भेजते हैं और कलेक्टर उसे डी० आई० जी० को भेजते हैं और वहां से वह कमेटी के सामने आता है और उस कमेटी में सब-इंस्पेक्टर का चुनाव होता है। डिपार्टमेंटल सेलेक्शन इस प्रकार होता है। बाहरी जो रेक्रूटमेंट सब-इंस्पेक्टरी के लिये होता है उसके लिये बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है। उसमें डी० आई० जी०, कलेक्टर, लेजिस्लेचर के एक-दो मेम्बर होते हैं और वह कमेटी उनका सेलेक्शन करती है।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने स्टैंडर्ड के सिलसिले में कहा था कि अधिक योग्य लोग पुलिस कांस्टेबिल नियुक्त किये जांय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो सेलेक्शन होता है, उसके लिये जो परीक्षायें इत्यादि होती हैं वे योग्यता देखने के लिये ही होती हैं, यह दूसरी बात है कि जिसको सेलेक्शन कमेटी योग्य समझती है उसे आप अयोग्य समझें, तो इसके लिये हमारे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं, जिसे लगाकर देख लिया कि इतने डिग्री पारा चढ़ा है योग्यता का। सर्किल इंस्पेक्टर जो डी० एस० पी० बनाये जाते हैं उसके लिये एक कमेटी बैठती है और डायरेक्ट जो रेक्रूटमेंट होता है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। एस० पी० जो बनाये जाते हैं डी० एस० पी० से तो उसके लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एक ऐप्रूव्ड लिस्ट डी० एस० पीज० की होती है, उसी में से उनका सेलेक्शन होता है और डायरेक्टली जो एस० पी० सेलेक्ट होते हैं उनके लिये आई० पी० एस० है और उसके लिये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्शन करता है। तो इसमें कहां फेवरिटिज्म है, कहां निपोटिज्म है, कहां भाई भतीजे को लेने की गुंजायश है? मैं ऐसा समझता हूं कि कदाचित् कुछ कम जानकारी की वजह से, जैसे कि हर जगह यह एक साधारण अभियोग लगा दिया जाता है, यहां भी यह अभियोग लगा देने की चेष्टा की गयी।

एक बात और कही गयी और मेरे भाई गौरीशंकर राय जी ने भी कहा कि हमारे यहां अपराध बढ़े हैं। मुझे वर्मा जी के कल के भाषण को सुन कर जरा खेद हुआ। वे बहुत ही अध्ययनशील और संतुलित विचार के आदमी हैं। उन्होंने सन् ४५ से मिसाल दी, मैंने ४६ की दी थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैंने ४५ से मिलान इसलिये किया था.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरी प्रार्थना यह है कि मैंने किसी माननीय सदस्य के बोलते वक्त जरा भी उसका समय लिया नहीं। अब आपका चांस निकल चुका है। आप मेरी बात उदारतापूर्वक, धैर्यपूर्वक और शान्ति से सुनें। इस प्रकार बीच में टीका-टिप्पणी करने से मालूम होता है कि आपके केस में कुछ पोल है। मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उन्होंने सन् ४५ से मुकाबला किया। ३९ में कांग्रेस की सरकार थी। ४५ में नहीं थी। फिर ४६ में कांग्रेस की सरकार आई। सन् ४६ में अपराध बढ़े। सन् ५७ में कम हुए हैं और सन् ५६ में काफी बढ़ हुए थे। गौरीशंकर जी ने जो तुलना की तो सन् ५५ से ५७ पर चले गये। ५६ बीच में कूद गये। ५६ में जितने थे उतने ५७ में नहीं थे। इस प्रकार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उन्होंने अपनी वाक्-चातुर्य और भाषा-चातुर्य का ज्वलंत प्रमाण दिया। मैं बार-बार कह चुका हूं कि अपराधों की संख्या हमारे यहां कम नहीं है; जितने भी अपराध हैं उनकी तुलना करें ४५ से, ४४ से या ४३ से तो यह बेकार बात है। लेकिन जो भी अपराध हो, कोई अपराध भी हो, एक व्यक्ति भी अगर मारा जाय, एक डकैती भी हो जाय तो यह हमारे लिये, इस गवर्नमेंट के लिये, हमारे विभाग के लिये, हम सब के लिये यह दुःख और लज्जा की बात है। चेष्टा होनी चाहिये कि अपराधों की रोकथाम हो। पर जितना है उससे और भयंकर परिस्थिति देखने से भी कोई लाभ नहीं। रोग जितना है उसे अवश्य देखिये पर न तो रोग को कम करके देखिये, न ज्यादा करके। हमारे यहां अपराध सन् १९५६ में १९५५ से ज्यादा बढ़े और ५६ से ५७ में कुछ कम हुए हैं। उनकी संख्या घटी है, उसकी तरफ मैंने माननीय सदन और आदरणीय मित्रों का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन जो घटी है संख्या उससे मुझे संतोष नहीं है। मैं नहीं मानता कि जो थोड़ी सी घट गयी तो हमने कोई बड़ी बाजी मार ली, कोई बड़ा अचीवमेंट हमारा हो गया। जो संख्या है, वह निश्चित है कि और घटनी चाहिये।

जो माननीय सदस्य ने कहा कि तुम्हारा खर्चा बढ़ा है, तो मैंने कल भी निवेदन किया था कि बढ़ा नहीं घटा है। सन् ४५–४६ और ४६–४७ से जोड़ा मैंने। ४६–४७ से हमारी रकम ८ करोड़ हुई है। रेश्यो इन रिलेशन टू दि रेवेन्यु एंड एक्सपेंडीचर आफ दि स्टेट कम हुआ है। ५० परसेंट कम हुआ है। वह मैंने संकेत रूप में निवेदन किया था, अब मैं बताना चाहता हूं कि उसको बढ़ाना चाहिये था जितनी कि हमारी ऐमेनिटीज प्रोवाइड हुई हैं इस बीच में उनको देखते हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हेड कांस्टेबिल की पे पहले ३५ रुपये थी, आज ५० रुपया है, सन् ४७ में उनको डी० ए० १४–१६ मिलता था, आज वह ३० रुपया है। हाउसरेंट उनको ५ रुपया मिलता था, अब सवा ६ रुपया है। उसके ऊपर डायट अलावेंस उनको और चालू किया गया है और कम्पेंसेटरी अलावेंस है। कांस्टेबिल की पे पहले २४ रुपया थी, अब ३० रुपया है। डी० ए० १४–१६ था, अब २५ हो गया और पे और डीयरनेस मिलाकर अब उनको ५५ रुपया मिलता है। हाउस अलाउंस ४ रुपया है। हाउसरेंट में मैंने कल निवेदन किया था कि परिवर्तन हुआ है, जो मैं समझता हूं कि श्लाघ्य और ग्राह्य है। सब-इंसपेक्टर को पौने उन्नीस रुपया हाउस अलाउंस देते रहे हैं, क्योंकि रूल में ऐसा है कि पुलिस का जो फोर्स है उसे निवास स्थान मिलना चाहिये। इतने निवास स्थान हमारे पास हैं नहीं, तो उसको आप अलावेंस देते हैं। आपने कवाल टाउंस में उनको ३० रुपया अलाउंस दिया और मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, बरेली, फैजाबाद, देहरादून, सहारनपुर, मुरादाबाद, ऐसे जिलों में पौने उन्नीस का साढ़े बाईस किया है। छोटे जो और जिले हैं उनमें जहां पौने उन्नीस से कम था वह पौने उन्नीस कर दिया है। ऐसे ही हेड कांस्टेबिल को यह अलाउंस सवा छः रुपया मिलता रहा है, हमने उसे १० रुपया और साढ़े सात रुपया किया है। कांस्टेबिल को जहां पौने चार मिलता रहा है, अब वह ६ और साढ़े चार कर दिया गया है। इस प्रकार हाउस एलाउन्स बढ़ा है। और एमेनिटीज जिनके कारण यह खर्चा बढ़ा है उनकी फेहरिस्त बड़ी लम्बी है। फोर्स में कोई बहुत वृद्धि नहीं हुई है। सन् ४७ में हमने पे स्केल का रिवीजन किया। पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक कुछ कार्यवाही की गयी जिसमें खर्चा बढ़ा। सन् ४८ में प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी कायम की गयी। बंसल जी ने कहा कि पी० ए० सी० अंग्रेजों ने कायम किया था।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—तब उसका नाम स्पेशल आर्म्ड कांस्टेबुलरी था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह तो आज भी है। पी० ए० सी० सन् ४८ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कायम की थी, इससे ब्रिटिश सरकार का कोई ताल्लुक नहीं था। वह हमारे सूबे का आर्म्डविंग है। हमने रेलवे प्रोटेक्शन कायम की थी क्योंकि जरायम बहुत हो रहे

थे रेलवे में। इस वर्ष उसे हम भंग कर रहे हैं। रेलवे फोर्स में इन्क्रीज हुई है। पुलिस रेन्जेज का रिआर्गेनाइजेशन हुआ। हमारे भाई गौरीशंकरजी कल कह रहे थे कि पुलिस रेन्जेज का रिआर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार हुआ कि किसी को डी० आई० जी० बनाना था।

श्री गौरीशंकर राय---नैनीताल का हुआ था।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस वक्त तो गोरखपुर और आगरा, ये रेन्जेज हैं, नैनीताल का रेन्ज तो रहा नहीं और इन दोनो रेन्जेज की बहुत दिनों से मांग थी। सारा गोरखपुर का इलाका बनारस के साथ था और आगरा भी एक ऐसी जगह है जहां एक अलग रेन्ज की आवश्यकता थी। उसमें किसी एक का जो हो सकता था वही हुआ है, प्रमोशन के मुताबिक, सीनियारिटी के मुताबिक और योग्यता के मुताबिक। उसमें कहीं और से किसी को ले आने की न योजना थी और न कोई चाल थी। इसके अलावा ग्रांट आफ डायट है। होम लीव टी० ए० एलाउन्स लोअर रैंक्स को मिला है। मेडिकल फैसिलिटीज मिली हैं। इंस्पेक्टर्स और सब-इंस्पेक्टर्स को यूनिफार्म एलाउन्स दिया है। इनको पहले नहीं मिलता था। पहले ऊपर डी० एस० पी० तक मिलता था और नीचे कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को वर्दी का एलाउन्स मिलता था, सब-इंस्पेक्टर को छोड़ दिया था। अब उनको भी मिलता है। इन तमाम चीजों को आप देखें तो इनके कारण पौने ५ करोड़ से ८ करोड़ का खर्चा हुआ। यह जरूर है कि पी० ए० सी० की स्थापना हुई, उसका बड़ा फोर्स है, उस पर खर्चा हुआ है और पी० ए० सी०, मैं समझता हूं, हमारे प्रदेश के हित में काम में आयी है। उसकी टीका की है बंसल जी ने, मुझे खेद है। ऐसी फोर्स के सम्बन्ध में कुछ टीका कर देना मैं समझता हूं बहुत मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया। कहीं कोई गलती हो जाय, यह दूसरी बात है मगर अपनी आरमी के लिये यह कहना कि विश्वास उठ गया, यह तो एक बड़ी खतरनाक चीज होती है और मैं समझता हूं कि बिना बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार किये हुये इस प्रकार की बात कहनी नहीं चाहिये। पी० ए० सी० ने उस जमाने में काम किया है जब सारा उत्तर प्रदेश जड़ मूल से हिल रहा था। भारतवर्ष के विभाजन के बाद जब कि उत्तर भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक एक आग लगी हुई थी उत्तर प्रदेश उस अग्नि से बचा और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के कारण उसका प्रभाव सारे देश पर हुआ। उत्तर प्रदेश की शान्ति ने बिहार, बंगाल और पंजाब के ऊपर असर डाला, इसे कोई अस्वीकार कर नहीं सकता। उस समय उत्तर प्रदेश में उस स्थिति को बनाये रखने के लिये इस प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० ने जो काम किया आज इस तरह से उसे कह देना कि हमारा कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, मैं समझता हूं, उचित बात नहीं होगी। आज भी जहां कहीं भी एनकाउन्टर्स होते हैं वहां हमारी पी० ए० सी० काम देती है। उत्तर प्रदेश के बाहर आज हमारी पी० ए० सी० आसाम में मौजूद है। तमाम जो उपद्रव हुये हैं सारे भारतवर्ष में और खास तौर से दक्षिणी भारत में तो सर्वत्र हमारी पी० ए० सी० को बुलाया गया और वहां से जो काम करके वह आई है उसकी प्रशंसा में हमारे पास अनेक पत्र आये हैं यह एक ऐसी पुलिस है कि इसके ऊपर आघात करना उचित मालूम नहीं होता है। बहरहाल पी० ए० सी० की स्थापना हमारे यहां हुई थी यही मेरे कहने का तात्पर्य है।

अपराधों की संख्या के बारे में माननीय सदस्य श्री गौरीशंकर जी ने बलिया का विशेष रूप से जिक्र किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से कुछ महीने पूर्व, शायद ढाई तीन महीने पहले की बात है, शायद वह भूले नहीं होंगे कि मुझसे उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि बलिया का कुछ प्रबंध होना चाहिये। मैंने उस समय उनसे निवेदन किया था कि दो-तीन महीने में बलिया की हालत सुधरेगी। मैं, श्रीमन्, समझता यह हूं कि बलिया की हालत में सुधार हुआ है। मैं किसी प्रदेश से तुलना नहीं करना चाहता हूं और यह उचित भी नहीं मालूम होता है और इस दृष्टि से कह भी नहीं रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कि आप रिपोर्ट देखें और खास तौर से बिहार की पुलिस की जिसकी मैं तारीफ करता हूं। उसने उत्तिलगोंड को मार दिया है। यह भी बड़ी प्रशंसा की बात है और इसके साथ ही साथ उसने अम्बिकाप्रसाद और राधिकासिंह को भी मार दिया है। हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है और उससे ऐसा लगता है कि बिहार में भी क्राइम्स की फिगर्स अधिक हैं, वह सारन और शाहबाद में २१४ और २०७ हैं। यह डकैती की फिगर्स हैं दो जिलों की और हमारे यहां किसी भी जिले में इतनी नहीं हैं।

"The crime position of the bordering districts of Bihar, which, no doubt, is out of place in this D. O., but it will be worthwhile to have a picture of these districts. In the district of Shahbad according to the official figures received 214 dacoities were committed during the year 1957 and from January 1, 1958 to February 14, 1958, 47 dacoities have been committed."

मैं इसे छोड़े देता हूं।

"Similarly, as many as 87 dacoities were committed during 1957 and up to February 15, 1958, 12 dacoities were committed in district Saran. This is the dacoity situation in these two bordering districts of Bihar. I might add that there are numerous gangs of dacoits operating in these two districts and their activities remain more or less unchecked. Recently a force of 300—400 Bihar Armed Constabulary has been posted for patrolling, etc., in district Shahbad alone."

आप जो कहते हैं कि उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी है कि हमारी पी० ए० सी० लगातार लगी रही और यह भी सही है कि हमने प्रेशर डाला। यदि आप अन्याय नहीं करेंगे तो इसको स्वीकार करेंगे कि इस बीच में हमने जो इंटेंसिव ड्राइव किया है और उसमें ५० डकैत पकड़े गये हैं, नोटोरियस गैंग्स बर्गलर्स और क्रिमिनल्स के होल्ड अप किये गये हैं और आठ केसेज इन लोगों की गिरफ्तारी में वर्क आउट हो गये हैं। और यह प्रत्यक्ष है कि जो डकैत पकड़े गये उनमें ६ आदमी ऐसे हैं कि जो उत्तिल गोंड के गैंग के हैं। एक हुसेना लोनिया, एक मनियर का था। यह भीमपुरा थाने में जो इंग्लिया डकैती केस था, उसमें इन की खोज थी। खबर है कि उत्तिल गोंड ने खुद इन्हें मार डाला था इसलिये कि उसको शक हो गया कि यह पुलिस के सस्पेक्ट हो गये हैं। और यह जो उत्तिल गोंड था यह वहां से बार्डर के इस पार नहीं आ सका, रिपोर्ट यहां मौजूद है। मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं ५, ७ मिनट और ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष—हां, हां बोलिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इधर पिछले कुछ महीनों में माननीय गौरीशंकर जी जानते हैं कि राधिका सिंह यहां गिरफ्तार किये गये, केस चला और दो महीने पहले छूटे थे, अब मारे गये हैं। इधर जितनी कार्यवाहियां वहां हुई हैं, मैं नहीं समझता कि उनके बारे में कहने की कुछ जरूरत है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी पी० ए० सी० पेट्रोलिंग वहां रही है और गिरफ्तारियां हुई हैं, केसेज चले हैं और ज्यादा डिटेल्स में कुछ कहना शायद हितकर न हों। लेकिन जो कुछ इधर पिछले दो महीनों में हुआ है उसका बराबर हमें पता लगता रहा है और यह मालूम हुआ है कि वे बार्डर पर थे, इधर नहीं आ पा रहे थे। कोआर्डिनेशन की बात आप कहते हो। उसके बारे में कुछ अधिक कहना शायद मुनासिब न होगा, लेकिन कुछ हुआ है और इसलिये वह मारे गये। मैंने निवेदन किया था कि ३ महीने में यह चीज हो जायेगी। मैं तो समझता था कि गौरी शंकर जी हमारी तारीफ करेंगे इसके लिये कि पुलिस ने उनको मारा उनके यहां फंस गये वहां मारे गये, हमारे यहां फंसते, यहां मारे जाते। तो इधर भी कुछ हुआ है।

डकैतियों का मैं नहीं समझता कि मैं कितना वर्णन करूं। कितने ही इन्काउन्टर्स हुए हैं। अभी कहा गया कि आप पुलिस की वकालत करने खड़े हुए हैं। मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि मैं उनकी वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। उनकी कमियां आप कहें और उन्हें दूर करने की मैं चेष्टा करूंगा। हमारे प्रदेश का गौरव इसी में है कि उनकी अधिक से अधिक कमियां हम आपके सहयोग से दूर कर सकें, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको भी अगर आप निगेट कर दें तो उसी के लिये मैंने कहा था कि दिल टूट जाता है। आपने उसका बड़ा विरोध किया कि दिल टूटने की बात मैंने कही। तो इन्काउन्टर्स हुए हैं आंवला, बरेली में जिसमें वहां के एस० पी० ने आसा, दुल्ली, गुलाब किसान आदि डकैतों को मारा है। झांसी, हमीरपुर, आगरा और मैनपुरी में एन्काउन्टर्स हुए हैं, और कल्ला गूजर, बैजनाथ लोध, बैजनाथ सिंह आदि डकैत गिरफ्तार किये गये हैं, मारे गये हैं और उनके साथ आर्म्स और एम्युनिशन्स बरामद किये गये हैं। एक लम्बी लिस्ट है, अगर माननीय गौरी शंकर जी चाहेंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा। अभी झांसी और गोरखपुर में लोग पकड़े गये हैं, मारे गये हैं और डकैतों के दल लिक्विडेट हुए हैं।

हमारी जो विलेज डिफेन्स सोसाइटियां हैं उनमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में उन्होंने डकैतों का मुकाबला किया। मुजफ्फरनगर में जहानसिंह के गैंग के साथ वहां के गांव वालों ने जो मुकाबला किया उसकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है। दर्जनों केसेज ऐसे हैं जिनमें बड़े-बड़े एन्काउन्टर्स हुये हैं। उसके लिये चेष्टा होरही है। वैसे इसमें सन्देह नहीं है कि डकैतों का दल या समाज विरोधी तत्व हमारे प्रदेश में डकैती डालते हैं उससे हमको और आपको सबको दुख होता है। इस तरह की घटनायें होरही हैं लेकिन उनके लिये प्रयत्न जारी है और पग पग हमको उनमें सफलता मिलती चली जा रही है। और सफलता के लिये यह भी आवश्यक है कि जो लोग इस प्रकार के कार्य करें उनको हम प्रोत्साहन भी दें ताकि क्राइम दब सकें। हमारे एक भाई ने अभी राजस्थान के एस० पी० का जिक्र किया। हमारी पुलिस के दरोगा और सी० आई०, गैंग्स के एन्काउन्टर्स में मरे हैं। इस प्रकार प्राण न्योछावर करके जो कार्य करें और उससे इस प्रकार के कार्यों को रोकने में सफलता मिलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिये और समाजविरोधी तत्वों को रोकने के काम में और तेजी लानी चाहिये। जो सुधार के सुझाव, इस प्रकार से इस कार्य में सफलता मिल सकती है, आप देंगे उस पर विचार करना चाहिये और अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार उस ओर मैं चलने की चेष्टा करूंगा।

एक बात कही गयी, विशेष कर यादवेन्द्रदत्त जी और अन्य मित्रों की ओर से इन्वेस्टीगेशन के बारे में, कि वह ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा यह साइड बड़ा वीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज इंवेस्टीगेशन का स्टाफ हमारे पास नहीं है सिवाय एस० ओज० के और उनके पास काम बहुत है, इसमें संदेह नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार के बजट में पुलिस की कठिनाइयों की भी लोगों को झलक मिली है और अक्सर जो लोग बोले हैं इधर से भी और उधर से भी उन्होंने इस पर विचार अवश्य रखा है। श्रीपाल सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो नवग्रह की स्थापना और कौटिल्य अर्थशास्त्र से गुप्तचरों को ढूंढ़ निकाला। उन्होंने कहा कि यहां उन सबकी स्थापना करो। ऐसे ही बहुत से ग्रह यहां हैं नवग्रह की स्थापना करके हम कहां रहेंगे? लेकिन उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र का वर्णन करते-करते हिटलर के रिजीम की भी तारीफ कर दी। तो गवर्नमेंट का कोई इरादा यहां गेस्टैपो कायम करने का नहीं है और न कोई इस प्रकार का विचार है कि हर आदमी के घर में नौकर चाकर और रसोइये का काम उनसे करवाया जाय।

एक सदस्य--विरोधी दल के लोगों के पीछे तो लगाना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका कोई इरादा नहीं है। हमारा जो क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट है उसको क्राइम्स वगैरह का इन्वेस्टीगेशन करने के लिये और उनको डिटेक्ट रही है लेकिन उनके लिये प्रयत्न जारी है और पग पग हमको उनमें सफलता मिलती चली जा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करने के लिये आवश्यकता होती है। उसको आवश्यकता होती है जिन कामों को करने के लिये वह करते हैं। उस पर लोगों का विश्वास भी है और एफेक्टिव उनका काम भी होता है। उनके पास इतने काम हैं कि उन्हें इन सब बातों के लिये कहां अवकाश हैं? ऐसे कामों के लिये आदमी नहीं हैं कि आपके पीछे लगाते फिरें। हमारे भाई झारखंडे राय जी ने कहा "तो कहीं रिपोर्ट ले लेते होंगे"। जरा सा कम्युनिस्ट पार्टी से हम लोग अभी सशंक रहते हैं कि इनकी वफादारी भारत के प्रति है या रूस के प्रति। वैसे और कोई बात नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यह बिलकुल अनुचित है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं आपसे निवेदन करूं कि थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनने की शक्ति होनी चाहिये।

श्री ऊदल—आप बिलकुल गलत बातें कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब आप गलत बातें १६ घंटे से और चौबीसों घंटे करते हैं तो हमें अपनी बात तो कहने दीजिये।

श्री ऊदल—कहिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो सुनिये। अब झारखंडे राय जी, आपने तो बहुत सहनशीलता के साथ सुन लिया अपने साथियों को भी समझाइये। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शासन को कभी-कभी आवश्यकता पड़ जाती है देखने की कि कहां क्या हो रहा है लेकिन वैसे ऐसी सी० आई० डी० हमारे पास नहीं है कि लोगों की पीछे लगा दें। बड़े काम हमारे पास करने के लिये हैं।

हमारी इन्वेस्टीगेशन साइड बहुत वीक है और ज्यादातर हम अपना इन्वेस्टीगेशन का काम एस० ओज० से लेते हैं। उनके पास केसेज की पैरवी करने का काम भी रहता है इसलिये इन्वेस्टीगेशन का काम बहुत नहीं हो पाता। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। एकदिन अभी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि कुछ जिलों में इंवेन्स्टीगेशन का स्क्वाड शायद अलग रखा गया। उस पर काफी खर्चा हो जाता है और कुछ बताया भी गया कि कितना बढ़ जायगा। कुछ बड़े-बड़े जिलों में हम करेंगे, पर है वह वांछनीय। इन्वेस्टीगेशन का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। हर आदमी इन्वेस्टीगेशन का काम नहीं कर सकता। इस साइड को हम किस प्रकार से सफल बनायें, इस पर हम विचार कर रहे हैं। इस विषय में हम चेष्टायें भी कर रहे हैं। जितने केसेज होते हैं, उनमें से जितनों में तफतीश होनी चाहिये, उतनी नहीं हो पाती है। कुछ बात मैं छिपाता नहीं हूं और व्यर्थ का दावा मैं करता नहीं हूं। जितनों में इन्वेस्टीगेशन होता है, उतनों में हमें सफलता नहीं मिल पाती।

प्रोसीक्यूशन ब्रान्च में काफी आदमी इस समय हैं। गौरीशंकर राय जी कह रहे थे कि वहां हमने प्रमोशन का कुछ इंतजाम नहीं कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस के रिआर्गेनाइजेशन में पुलिस की प्रासीक्यूशन ब्रान्च एक तरह से अलाहिदा है। पहले जो कोर्ट साहब हुआ करते थे, उनको हमने बदल दिया है और अब सीधे-सीधे ला ग्रेजुएट्स को लेने लगे हैं। इस वक्त हमारे यहां ३२७ ए० पी० पी० हैं, ६८ पी० पी० हैं और सीनियर पी० पी० बजाय ९ के १२ हो गये हैं। अब तनख्वाह लीजिये। सब इंसपेक्टर्स को १२० रुपया तनख्वाह मिलती है जब कि ए० पी० पी० की तनख्वाह १५० है। इसके अलावा पी० पी०, सी० आई० के बराबर है, सीनियर पी० पी०, डी० एस० पी० के बराबर होता है और वह एस० पी० हो सकता है। इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ने की गुंजायश है। हम सीनियर पी० पीज० की तादाद बढ़ा रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ बढ़ जाती है। इस प्रकार

से इन्वेस्टीगेशन साइड के विस्तार करने की चेष्टा है। लेकिन इन सारी चीजों में पैसे की जरूरत होती है। लेकिन हमारे साथियों ने पुलिस के लिये पैसे की मांग के लिये ऐसा दिल तोड़ रक्खा है कि पुलिस के लिये कुछ मांगते हुए हिम्मत नहीं होती है। यदि इसके लिये और रुपया मिल जाय तो इसका विस्तार हो सकता है और होना चाहिये।

हमारे आदरणीय मित्र, माननीय विरोधीदल के नेता, हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि उनके दल के जो लोग बोले, वे एक जिह्वा से बोलें कई जिह्वा खतरनाक होती हैं। दो जिह्वा जिस जीव में होती हैं, उसके काटने पर सांस भी आती नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––श्रीमन्, एक असवार दो घोड़न पर सवारी नहीं कर सकता है लेकिन माननीय मंत्री जी तीन घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं, कब तक निबहेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––पुजारी जी ठीक कह रहे हैं लेकिन हम तो, कुछ भगवान की कृपा से घोड़े पर चढ़ना जानते ही नहीं है और हमें कहां मौका मिला कि हम घोड़ों पर चढ़ते ?

तो मैं विरोधीदल के नेता से यह प्रार्थना कर रहा था कि वे कुछ ऐसी परम्परा कायम करें कि दो जीभ से बोली न बोली जाय, एक ही जिह्वा से कहिये। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी पुलिस को कंडेम किया गया और श्री गौरी शंकर राय जी ने तो यहां तक कहा कि तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम एफिशिएंट नहीं हो, तुम जो यह कहते हो कि अपराध घटे है, अपराध घटे नहीं है बल्कि बढ़े हैं और ५५ से बराबर मुकदमे चल रहे हैं। न मालूम कहां से उन्होंने मुकाबला करना शुरू कर दिया ! इसके बाद फिर तुरन्त कहने लगे कि तुम पुलिस को जो सुविधा देनी चाहिये, वह नहीं देते हो, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हो, उनको कपड़े नहीं देते हो और उनमें असन्तोष बढ़ गया है। अब मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रिक से बहुत काम नहीं चलने वाला है। एक साहब ने यह कहा कि जब एस० पी० नाराज हो जाता है तो वह दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है। ६ हजार केसेज कम्प्लेंट आफिसर के पास ३ वर्ष में आये, जिनमें से ५ हजार पुलिस के विरुद्ध थे और डेढ़ हजार के करीब पर ऐक्शन हुआ, तो क्या इसके माने यह हैं कि जिनके खिलाफ ऐक्शन हुआ वे सब निर्दोष थे और सिर्फ इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही हुई कि एस० पी० उनके खिलाफ थे ? उन्होंने कहा कि ५ हजार केसेज पुलिस के खिलाफ आये, यह इस बात को साबित करता है कि हमारी पुलिस कैसी है, यह सही है, लेकिन पुलिस केवल हमारी नहीं है, वह आपकी भी है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम आज यहां हैं, कल आपके हाथ में प्रदेश का शासन आ सकता है, इसलिये अगर पुलिस हमारी है तो आपकी भी है। ट्रिक से काम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें कि फोर्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिये और उनमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। उनको हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिये, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। हमारे एक मित्र ने उनकी कठिनाइयों का भी जिक्र किया। हम स्वयं जानते हैं कि उनको कितनी कठिनाइयों के बीच काम करना पड़ता है। एक तरफ तो पुलिस को ऊपर से नीचे तक कंडेम किया जाता है और दूसरी तरफ उनको वेतन, कपड़े, मकान आदि की सुविधा देने की बात की जाती है। यह तो जड़ से ही काटने की बात हुई।

श्री यादवेंद्र दत्त जी दुबे ने कहा कि उनमें असंतोष है, क्योंकि जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। हो सकता है कि असंतोष हो, क्योंकि यह जमाना ही मांग का है और इसीलिये आई०जी० ने उनको एसोशियेशन बनाने की इजाजत दे दी है। लेकिन इसलिये एसोशियेशन बनाने की इजाजत नहीं दी है कि उसमें राजनीतिक दल के लोग जाकर नेतागीरी करें। यह नहीं होना चाहिये। नहीं होना चाहिये इसलिये नहीं कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस कार्य से सरकार को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बल्कि इसलिये कि प्रदेश के सारे जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी फोर्स डिसिप्लिन्ड हो। जिस तरह से डेवलपमेंट के लिये लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, वहां हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिये एमेनिटीज भी प्रदान कर रहे हैं। जहां तक मकानों की बात है, क्वार्टर्स की बात है, गवर्नमेंट आफ इंडिया से हम लोन ले कर सब इंसपेक्टर, हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल के लिये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिये लाखों और करोड़ों रुपये की हमारी स्कीम है, इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमने ५७ लाख रुपया मांगा है, जिसमें से ३४ लाख रुपया हमको मिल गया है। हम लोन लेकर वह काम कर रहे हैं, हम उसको करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके अलाउन्स बढ़ें, अकोमोडेशन अलाउन्स, हाउस अलाउन्स जो भी हम दे सकें उन को दें, कोई इच्छा की कमी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका फोर्स असंतुष्ट रहे, उसको संतुष्ट रखना आवश्यक है, जैसे-जैसे पैसे की सुविधा होगी हम उन की सुविधाओं में वृद्धि करते चल रहे हैं और करते चलेंगे, आज बहुत सी आवश्यक चीजों पर रुपया खर्च हो रहा है, आगे समय आयेगा तो हम बढ़ायेंगे और पहले से अब भी स्थिति काफी सुधरी है लेकिन अगर कोई असंतोष को लेकर उसमें थोड़ा और घी डालने की कोशिश करे और उसमें और अधिक हाथ लगाये तो वह कोई अच्छी बात नहीं है। दुबे जी ने पूछा कि यह असंतोष क्यों है? वह आपने पैदा किया है और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि चुपके-चुपके लोग वहां जाकर हाथ लगाते हैं, और ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं जो चुपके-चुपके उनको भरने की और बहकाने की कोशिश करती हैं कि यह करो और वह करो। हम चाहते हैं कि आप जिम्मेदार लोग हैं और इस प्रदेश में एक लोकतंत्र सरकार काम कर रही है और ऐसी स्थिति में फोर्स को अनुशासन में रखना हमारा आप का सब का फर्ज है और कम से कम मेरी आप से एक प्रार्थना है कि कम से कम फोर्स को आप अपने राजनैतिक कार्यों से अलग रखें। श्री झारखंडेराय जी ने भी एक बात कही और हिम्मत सिंह बोले कि हम पार्टी . . . .

एक सदस्य--वह कम्युनिस्ट नहीं हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--हम यही समझे कि वह कम्युनिस्ट हैं क्योंकि आज अखबार में यही निकला है, मैंने समझा था कि उनका उस कम्युनिस्ट पार्टी से ही संबंध है। तो उनका अभियोग यह था कि एक पार्टी के हित में ही पुलिस का प्रयोग किया जाता है। श्री झारखंडेराय जी ने सही राय दी कि पुलिस संसदीय प्रथा की वजह से कमजोर हो गई है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता कि किस को नाराज किया जाय और किस को न किया जाय। इसके माने तो यह हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को हमारी पुलिस खुश रखती है।

मैं एक निवेदन और करूंगा। अगर राई बराबर भी मेरा विश्वास कर सकते हों तो आप करें और मैं खास तौर से माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहूंगा कि अगर वह सरसों बराबर मेरा विश्वास करें तो आज चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारी पुलिस किसी भी पार्टी परपज के लिये कभी एक्सप्लायट नहीं की जायगी, न हम उसको इस तरह की इजाजत दे सकते हैं और न किसी प्रकार का हस्तक्षेप उसके द्वारा बरदाश्त ही कर सकते हैं कि पार्टी परपज के लिये उसका एक्सप्लायटेशन हो।

एक सदस्य--मौदहे में अब परीक्षा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक मौदहे की क्या बात उसकी हर कदम पर परीक्षा है। परन्तु, श्रीमन्, यहां तो यह होता है कि चाहे रुई और कपास कुछ न हो लेकिन फिर धुनियां से बात होती चले। आसमान में किला बना दें। इतना बड़ा एलेक्शन लड़ चुके ४३० जगहों का, हजारों कैन्डीडेट खड़े हो गये और उन्होंने उधर से स्वयं उसकी तारीफ की, लेकिन आज क्यों कोई गलत चीज हो जाय? हमारी यह परम्परा नहीं है, हमारे आदर्श के यह खिलाफ है, हमारे ईमान के यह बिलकुल खिलाफ है कि हम अपनी पुलिस को किसी भी पार्टी परपज के लिये यूज करें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि आई० जी० साहब मौदहा क्यों तशरीफ ले गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह इसलिये गये कि किसी प्रकार का कोई असर हमारी पुलिस पर न पड़े और वहां के पुलिस अधिकारी वहां निष्पक्षता के साथ काम करें। अगर वह हमारी बात पर विश्वास लेशमात्र कर सकते हैं तो करें वर्ना आसमान पर किला बनाते रहें लेकिन जो उनका आरोप है वह हमारे आदर्श के विरुद्ध है। यदि हमारा उस प्रकार का इरादा होता तो जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने पावर ट्रांसफर की थी एक पार्टी के हाथ में तो आज जो केरल को छोड़कर सारे देश में उसकी हुकूमत है उस दल ने सारे डेमोक्रेटिक तरीके को छोड़कर अपनी पूरी शक्ति को यूटिलाइज किया होता लेकिन हमने उस शक्ति को किस प्रकार यूटिलाइज किया है वह दूसरे देशों के लिये आज एक आकर्षण है। इस प्रकार के लांछन से हमें बहुत दुख होता है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के लांछन न लगाये जायं। यदि कहीं पर आप को इस प्रकार की शिकायत भी हो तो आप को अधिकार है कि हमारे नोटिस में वह चीज लायें तो उस का हमारी तरफ से परिहार होगा। आप हमारा ध्यान आकर्षित करें परन्तु इस तरह का लांछन न लगायें कि हमारी पुलिस किसी पार्टी को क्रश करने के लिये यूटिलाइज की जायगी। यह बात दूसरी है कि रोज-रोज कोई पार्टी सत्याग्रह करे ऐसे मामलों में जिनकी कोई बुनियाद न हो लेकिन आप की आदत हो गई है सत्याग्रह का नाम लेकर आप स्वयं अपराध करते हैं और कहते हैं कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है और लोगों के मन में ला एण्ड आर्डर के खिलाफ एक अपमान की, एक तिरस्कार की भावना उत्पन्न करें। कानूनों की कोई सैंक्टिटी न रहे। यहां आप कानून बनावें, आप का मतलब आपसे नहीं है या और किसी से नहीं है, यहां हम कानून बनावें और बाहर निकल के उसी कानून को तोड़ें तो वह कानून दो कौड़ी का हो जाता है। वह कानून किसी महत्व का नहीं रह जाता। और अगर उस कानून की रक्षा के लिये कुछ करने की आवश्यकता प्रतीत हो, मैं आपसे कहता हूं कि एक जिला ऐसा है जहां एक दल विशेष सत्याग्रह कर रहा है। कलेक्टर ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। दो चार दिन के बाद जाकर वह कलेक्टर से कहने लगे कि भाई, दो आदमियों को गिरफ्तार तो कर लो . . . . .

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--देवरिया तो नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी। आपको ज्यादा जानकारी मालूम होती है। तो आप बराबर इस बात की चेष्टा करें कि कानून को तोड़ें और उसमें यदि गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़े तो आप कहें कि गिरफ्तार करके बन्द कर दिया। यह कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल डेमोक्रेसी में कभी अपोनेंट को क्रश नहीं किया जाता। उसे एक हैसियत प्रदान की जाती है। लेकिन आपका अपोजीशन पोलिटिकल डेमोक्रेसी का तो अपोजीशन हो। यह क्या कि यहां कानून बनावें और बाहर जाकर उसे तोड़ें, सत्याग्रह करें ! सत्याग्रह नाम आपने उसे दे दिया कि प्रतिदिन आप कानून को तोड़ें और सत्याग्रह उसको कहें। गांधी जी का नाम लिया जाता है। यह ठीक बात है कि दो सौ वर्ष के अंग्रेजों के भारतवर्ष पर निरंकुश राज्य के विरुद्ध उन्होंने उसको ठीक समझा लेकिन आज तो प्रतिदिन आपके द्वारा उसका प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। आप हर रोज किसी न किसी कानून को तोड़ने की व्यवस्था करें और यदि उसको हम रोकें, उसके लिये गिरफ्तार करें तो आप कहें कि हमें गिरफ्तार किया जाता है। कोई सरकार किसी कानून की अवहेलना कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। उसे दुख होता है यदि उसके सरकारी यंत्र द्वारा कहीं किसी के ऊपर ज्यादती हो जाय, तो उसे लज्जा आती है यदि कहीं फोर्स यूज हो जाय किन्तु इन तमाम चीजों की वजह से उसका कर्त्तव्य उसे बाध्य करता है कि यदि कानून तोड़ा जाय और उसके प्रति इस प्रकार का भाव उत्पन्न किया जाय तो वह उसका मुकाबिला करें, उसको रोकें तो आप वह लांछन न लगायें। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि कानून की अवज्ञा अपराधों

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की वृद्धि में सहायक होगी। कानून का रोज-रोज तोड़ना हमारे प्रदेश के जीवन के लिये और डेमोक्रेसी के लिये खतरनाक होगा। कानूनों की मर्यादा और उसकी सत्ता को जड़ मूल से हिला देना प्रदेश के भविष्य के लिये खतरनाक होगा। इसको रोकने की चेष्टा होनी चाहिये सब की ओर से। जब कानून के प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न हो तब अपराधों की संख्या घट सकती है। कानून के प्रति यदि समुचित समादर होने लगे देश में तो डेमोक्रेसी भी पनप सकती है। जब तक हम इस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, हम प्रदेश के भविष्य के लिये एक खतरा उत्पन्न करते हैं। एक भाई ने कहा कि पुलिस में परिवर्तन नहीं है। यह भी एक कैच वर्ड है। पुलिस का परिवर्तन, यह प्रश्न आपने उठाया है। मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह है, और हम अपने एक कांस्टेबिल से लेकर बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी से यह अपील करना चाहते हैं कि आज उनका काम यह है कि 'मैन इन दी स्ट्रीट' जो है, उसके व्यक्तित्व का आदर करें और उसे ऊंचा उठायें। आज उनका काम यह है कि वह जनता की सेवा की ओर अधिक ध्यान दे। उनका यह काम है कि वह जनता का विश्वास करें, उनके हृदय में यह भाव पैदा हो कि हम जनता की सेवा के लिये हैं। आज पुलिस की यही उपयोगिता है। उनकी यह भी उपयोगिता है कि वह कानून की रक्षा करें। यह भी उपयोगिता है कि अपराधों को रोकें। उनकी यह भी उपयोगिता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस डेमोक्रेसी का एक अंग है, जो कि शासन का हिस्सेदार है उसे अपने व्यक्तित्व के संबंध में या जीवन के संबंध में यह अनुभव हो कि उसका वही स्थान है समाज में जो कि किसी भी मनुष्य का होना चाहिये। मनुष्य के जीवन का महत्व हम स्वीकार करें और ऊपर से नीचे तक इसकी हम चेष्टा करें। सरकार की यह नीति है और उसके लिये हम चेष्टा कर रहे हैं और करना चाहते हैं, यह हमारी उनसे अपील है। साथ ही साथ इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से भी मेरी यह अपील है, उनसे मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है कि किसी परिवर्तन को लाने का यह तरीका नहीं है कि ऊपर से नीचे तक सोलहो आना कंडेम करते चले जायं। एक जिह्वा से कंडेम करें और दूसरी जिह्वा से उनका पृष्ठपेषण करें, और वह भी सुविधायें देने का नाम लेकर करें, और उस आग को और भी भड़काने की कोशिश करें।

यह भी आवश्यकता नहीं है और कभी इस प्रकार परिवर्तन नहीं हो सकता है कि जिस आदमी से आप काम लेते हैं और जो आपके पास एजेंसी है उसको ऊपर से नीचे तक २४ घंटे यह कहें कि यह बेईमान है, नालायक है, चौपट कर रहा है, सत्यानाश कर रहा है। इससे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। एजेंसी आपकी नहीं बदली गई १९४७ में उसके लिये आज हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे देश की क्रांति का स्वरूप ऐसा था कि उसमें ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता था सारी एजेंसी का। वह हमें मिल गई विरासत में। उस ऐजेंसी को उस वक्त हम बदल भी नहीं सकते थे। सारे देश में गृह युद्ध की आग भड़की हुई थी। वह एजेंसी आपके हाथ में आयी। आप बराबर उसका परिवर्तन करते जा रहे हैं, वह बदल रही है इस माने में आज बाहर से एक साहब ने कहा रेक्रूटमेंट के लिये। आज पुराना रेक्रूटमेंट नहीं है, माननीय बंसल जी ने ही कहा कि भ्रष्टाचारियों के घर से जो आवेंगे वह भ्रष्टाचारी ही होंगे। आज सब-इंस्पेक्टर या और भी जो लोग इस सेवा में आते हैं वह आपके और हमारे घर से आते हैं, भ्रष्टाचारियों के घर से नहीं। जो लड़के इंसपेक्टर या सब-इंस्पेक्टर बनते हैं वह कहीं बाहर से आते हैं? हम सब आदरणीय सदन के सदस्य बैठे हैं कितने लोगों की जानकारी के, मित्रों के, जिले के अच्छे लोगों के घरों से वह बच्चे आते हैं जो भरती होते हैं। आज वह पुलिस में चला गया तो भ्रष्टाचारी हो गया और ले आते हैं हम और आप उनको। और उनको आप फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, खराब हैं। अरे, जो खराब हो उसको निकालिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी समय बहुत हो रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, २ मिनट और चाहता हूं। इन लोगों ने तो १८ घंटे बहस की है, मैं तो घंटे भर में ही जवाब दे रहा हूं। नहीं ६ घंटे ही सही। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है जिस प्रकार मैंने निवेदन किया। हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है डेमोक्रेसी में कि जीवन के महत्व को, व्यक्ति के व्यक्तित्व के महत्व को तमाम सरकारी विभाग, चाहे कोई भी विभाग हो, और पुलिस विशेष करके उसे स्वीकार करे। उनके प्रति अपने को सेवक समझे और उनका विश्वास प्राप्त करे। वैसे ही किसी फोर्स को बदलने का, उसके जीवन को उन्नत करने का यह तरीका नहीं है कि उसको कंडेम करें। उसका तरीका यह है कि उसके उत्तमांश को जागृत करने की कोशिश करें। कहें हम और हमारी अपील भी हो कि हमारा विश्वास तुम्हारे ऊपर है, इस प्रदेश की सुरक्षा का काम तुम्हारे ऊपर है, इस प्रदेश का एक गौरव है, संस्कृति है, इस देश का नाम है जिसने २०० वर्षों की गुलामी के बाद स्वाधीनता प्राप्त की है, इस समाज को उन्नति के स्तर पर ले जाना है, कोई इस प्रकार का कार्य न हो जिससे हमारे देश के सुनाम में किसी प्रकार का कलंक लगे। यह तरीका है और इस तरीके को सरकार अपना रही है। परिवर्तन हुआ है। माना मैंने आप यह समझते हों कि जितना परिवर्तन होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। परिवर्तन उनके कार्य में नहीं सारे उनके ऐप्रोच और दृष्टिकोण में होना चाहिये। जहां मुझे मालूम हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो पुलिस विभाग में है कहीं जुल्म हो गया है तो उस पर सख्त कार्यवाही करने की चेष्टा करता हूं। यह कौन पसंद करेगा इस विभाग का कहीं कोई आदमी जुल्म कर दे और उसके लिये हमें चार बात सुनने को मिले? रोकने की कोशिश करता हूं। पर इसमें कोई संदेह नहीं है उनकी कठिनाई है। कानूनों की परिधियां हैं उन कठिनाइयों पर वह काम कर रहे हैं और उन्हें आपको परिवर्तन करना है। उस परिवर्तन के लिये एक नया ऐप्रोच ग्रहण करना होगा। केवल यह न कहिये कि पुलिस ऐप्रोच में परिवर्तन करें, हमको अपनी दृष्टि जो पुलिस के प्रति सन् १९४७ में थी उसको भी बदलनी होगी। उनकी समस्याओं को समझेंगे। हमारे भाई रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा और उनकी पार्टी की भी परम्परा रही है कि भाषण करते वक्त वे निशाचर और असुर से कम बात नहीं करते, जब बात करने उठते हैं तो उनका कहना यही होगा कि ये निशाचर हैं, असुर हैं। हमारे घर के लड़के उसमें हैं और इस देश के वे निवासी हैं और इस प्रकार उन्हें स्वयं भी गौरव होगा निशाचर और असुर होने का। इस तरह से मैं समझता हूं कि हम परिस्थिति को सुधार नहीं सकते। हमारी एप्रोच जो है उसे बदलना चाहिये। फिर आपकी कृपा और सहायता से मैं समझता हूं कि जहां कहीं भी त्रुटि हो, उसे हम जानते भी हैं, कोई ऐसी बात है भी नहीं जिसे बार-बार कहने की आवश्यकता हो---उसे दूर करने की चेष्टा हमें और आपको करना चाहिये और उसके लिये हमारा ढंग वह नहीं हो सकता जो पहले था। उसमें परिवर्तित एप्रोच होना चाहिये। मैंने समय बहुत ले लिया और बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं इस विषय पर आपको कुछ संतुष्ट कर सका।

अन्त में मैं पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझसे भूल और गलतियां हो सकती हैं। सब जगह मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। अगर कमी है तो आप सबकी सहायता अपेक्षित है। चाहे जिले के स्तर पर हो या और किसी स्तर पर गलती हो और पुलिस के संबंध में जो कुछ आप उचित समझें जिसमें ऐसी त्रुटि का परिहार करने का कोई उपाय हो सकता हो तो आप मुझे अपना छोटा सा सेवक व साथी समझ कर मुझे सहायता अवश्य प्रदान करें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे बड़ा संतोष होगा यदि यह विभाग जो मेरे हाथ में है उसके लिये दो शब्द भलाई के कहने का अवसर लोगों को प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत ८,९०,८९,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्य ४ बजे स्थगित कर देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन के आज बहुत से पब्लिक इंगेजमेंट्स हैं अतएव आज सदन की कार्यवाही ४ बजे स्थगित कर दी जाय और इस तरह से जो कार्य शेष रहे उसे पूरा करने के लिये कल सदन साढ़े ६ बजे तक बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री कमलापति त्रिपाठी से) माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव है कि सदन आज ४ बजे स्थगित कर दिया जाय और कल इतना समय ले लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—कल स्पीकर महोदय ने एक विषय पर आध घंटा बहस के लिये और रखा है। अगर सदन की यह राय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बैठना तो है ही, बैठा रहूंगा और माननीय सदस्यों के मधुर भाषण भी सुनता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—कल सदन ६ बजे तक चलेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव से मैं सहमत हूं लेकिन जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वे उसे रिवीजन करेंगे क्योंकि यह इस आदरणीय सदन की मर्यादा के विरुद्ध बात है कि कोई ऐसा पब्लिक इंगेजमेंट है जिसकी वजह से सदन का काम रोका जाय। हमको अधिकार है, हम यों ही जल्दी उठ सकते हैं। इस सदन के कार्य से बढ़ कर कोई दूसरा कार्य ज्यादा पब्लिक इम्पार्टेन्स का नहीं हो सकता। इसलिये कारण वे अपने प्रस्ताव से हटा लें, वह इस सदन की मर्यादा के अनुकूल होगा।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, श्री रामकुमार जी, आप अपना कारण निकाल कर पेश करें।

श्री रामकुमार वैद्य—जो कारण मैंने निवेदन किया था उसको मैं वापस लेता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि सदन आज ४ बजे उठ जाय।

श्री उपाध्यक्ष—एक घंटे कल जो समय बढ़ेगा तो क्या उसमें आध घंटा वाद-विवाद वाला भी समय शामिल रहेगा?

श्री गौरीशंकर राय—नहीं, श्रीमन्, कल सदन साढ़े ६ बजे तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—उचित तो यह होगा कि कल हम सदन में साढ़े दस बजे से बैठें और ६ बज सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाय। बजट साढ़े पांच बजे तक और इसके बाद प्रश्नोत्तर पर विवाद होगा।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या १८—लेखा शीषक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

***शिक्षा उपमंत्री (श्री कलाश प्रकाश)**—मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत १६,१०,४५,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान के अन्तर्गत दो अनुदान हैं, एक वैज्ञानिक विभाग के खर्चे का और दूसरा सामान्य शिक्षा का। वैज्ञानिक विभाग में इस वर्ष भी ३,५६,००० की बढ़ोत्तरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

हैं और सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत ९२,३२,००० की बढ़ोत्तरी है। वैज्ञानिक विभाग में जो यह बढ़ोत्तरी दिखाई गई है उसमें दो लाख रुपया वह है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों के रखरखाव के लिये खर्च होता था। वह दूसरे अनुदान में था, इस वर्ष उचित समझा गया कि उसको इस अनुदान में ट्रांस्फर कर दिया जाय। ३८,००० रुपये का जो प्रयाग में सेंट्रल रिकार्ड रूम है, उसका खर्चा भी सामान्य शिक्षा में सम्मिलित था, उसको इस अनुदान के अन्तर्गत बदलना मुनासिब समझा गया।

श्रीमन्, ९६,००० रुपये का खर्चा इस विभाग में भारतीय शिक्षा शास्त्र के लिये रखा गया है। इस रूप में इस विभाग के अन्तर्गत ३,५६,००० रुपये की बढ़ोत्तरी है और जैसा कि मैंने निवेदन किया सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत ९२,३२,००० की बढ़ोत्तरी है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको दिलचस्पी होती है क्योंकि सबका इस से सम्पर्क है और हमारे देश के लिये और भी आवश्यक है क्योंकि हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है और समाजवादी ढांचे के समाज का अपना लक्ष्य बनाया है। प्रजातंत्र को सम्पुष्ट करने के लिये, सुचारु रूप से चलाने के लिये तथा इसको स्थायी करने के लिये शिक्षा अनिवार्य है। इसलिये भी इसका बहुत महत्व है। श्रीमन्, किसी भी समाज के ठीक तरह से बनने के लिये उसके व्यक्तियों के चरित्र गठन और उनका विकास होना अत्यावश्यक है। व्यक्ति को बनाने के लिये शिक्षा एक मात्र साधन है जिससे कि वह बन सकता है। माननीय सदस्य इस बात से अपरिचित नहीं होंगे कि आज पश्चिम में भी जहां विज्ञान बहुत तरक्की करता चला जा रहा है, जहां बहुत भौतिक समृद्धि होती चली जा रही है आज इस बात को महसूस किया जाता है कि यद्यपि वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है लेकिन मानवता के क्षेत्र में ह्रास हुआ है और इसी कारण आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सी समस्यायें उलझी हुई हैं जिनके कारण बड़ी परेशानी है। एक तरफ इस भू-मंडल के कुछ देशों में तो अभाव है, खाने के लिये गल्ला नहीं है, दूसरी तरफ अमरीका जैसे देश में इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है, वहां के लोगों को इस बात के लिये सहायता दी जाती है कि वे अपनी जमीन पर खेती न करें क्योंकि वहां अन्न की बहुतायत होती है। इस तरह का असंतुलित जीवन, इस तरह का अनबैलेन्स इन्टरनेशनल सोसायटी में आता चला जाता है और उसका एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति का विकास उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में उसके होने की आवश्यकता थी। शिक्षा के इस महत्व को हम समझते हैं और इसी दृष्टिकोण से कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैंने अभी आप के सामने निवेदन किया कि इस वर्ष के बजट में ९२,३२,००० रुपये की बढ़ोत्तरी है। बढ़ोत्तरी का खास हिस्सा हमारे प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा, जैसा मैंने निवेदन किया, कई श्रेणियों में विभक्त है। पहले सन् ४६ से पूर्व इस बात को महत्ता नहीं दी जाती थी कि प्रारम्भिक शिक्षा से पहले ६ वर्ष की आयु से पूर्व बच्चे की पढ़ाई का कोई प्रबन्ध हो। आज मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चे का ३ वर्ष के पश्चात् का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि ३ वर्ष के पश्चात् २ या ३ वर्ष के लिये भी बच्चा ठीक तरीके से शिक्षित नहीं किया जा सकता तो उसके जीवन पर उसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी बहुत ही महत्व है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने इस बात पर ध्यान दिया है यद्यपि जितना उसका महत्व है उतना नहीं दे पाये हैं क्योंकि पहली बात तो यह है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये सुयोग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है और आवश्कयता होती है नयी सज्जा की, नयी-नयी चीजों की क्योंकि छोटे बच्चों को केवल पुस्तकों द्वारा न पढ़ाया जा सकता है और न पढ़ाना चाहिये और न केवल खेल के द्वारा ही शिक्षा दी जा सकती है, उनके लिये तो इन दोनों चीजों का समन्वय करना होगा ताकि उसको खेल और मनोरंजन भी महसूस हो और उनके द्वारा वह अपनी शिक्षा भी प्राप्त करता चला जाय और अपनी छिपी हुई शक्तियों को विकसित करता चला जाय। दूसरे उसमें अधिक धन की भी आवश्यकता होती है। किन्तु इस क्षेत्र की ओर सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का ध्यान गया है। उन्होंने इस तरह की पाठशालाओं को स्थापति किया है और उनके इस प्रयत्न को देखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

[श्री कैलाश प्रकाश]

इस बात का प्राविधान किया गया था कि इस तरह के विद्यालयों को आवर्त्तक अनुदान हम देते रहें। पिछले २ साल में प्रति वर्ष ५–५ ऐसे विद्यालयों को आवर्त्तक अनुदान दिया गया है और कुछ अनावर्त्तक अनुदान भी दिया गया है और उसी का थोड़ा सा अनुदान इस बजट में रखा गया है। श्रीमन्, जब हम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो वैसे तो हमारे संविधान का निर्देशन था कि संविधान लागू होने के १० साल के अन्तर्गत १४ वर्ष तक के बालकों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। केवल इसी प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस निर्देशन को पूरा करने में कठिनाई प्रतीत हुई है। प्लानिंग कमीशन ने इस पर विचार किया और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तो दूर रहा, ११ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना भी १० साल के अन्तर्गत कठिन होगा। उन्हें भी देश की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए इस लक्ष्य को आगे के लिये टालना पड़ा और यह टाल दिया गया। हमारे प्रदेश में भी इसी तरह की परिस्थिति है लेकिन हम इस दिशा में संलग्न हैं, सचेत हैं और प्रयत्न करना चाहते हैं कि यह प्राथमिक शिक्षा प्रदेश में बालक और बालिकाओं को प्राप्त हो सके। हमारी नीति इस दिशा में यह है कि एक ओर हम प्रसार करते रहें और दूसरी ओर जो हमारे विद्यालय हैं उनके स्तर को हम उठाने का प्रयत्न करें। यह दोनों बातें ही आज हमको आवश्यक महसूस होती हैं। केवल क्वान्टिटी को रखना और क्वालिटी को ओझल कर देना उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि प्राथमिक शिक्षा एक बुनियादी चीज है और अगर बुनियाद ढीली रहती है तो आगे का काम नहीं हो पाता है। इन दोनों दिशाओं में हम ने प्रयत्न किया है। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५,००० नयी प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्राविधान है जिस में से १,५०० हम इन २ सालों में खोल चुके हैं और बाकी आगे खोलते जायंगे।

हमने एक दूसरा कदम भी उठाया है। वह यह है कि जितनी पाठशालायें खुली हैं उनमें जितने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है कदाचित् उतनी संख्या पढ़ नहीं रही है और इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को उन में भेजना नहीं चाहते। हम ने इस बात के लिये प्रयत्न किया, माननीय सदस्यों की सेवा में भी एक पत्र इस तरह का भेजा गया, जिला बोर्डों में भी इस तरह का पत्र भेजा गया, विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस तरह के पत्र भेजे गये कि जितनी प्राथमिक पाठशालायें चल रही हैं, उन में जितने बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है वे उनको शिक्षा दें और मुझे सदस्यों को इस बात की सूचना देते हुये प्रसन्नता है कि उन के सहयोग से और विभाग के अधिकारियों के सचेत रहने से, प्रयास करने से इस तरफ प्रगति हुई है और हमारे विद्यार्थियों की प्राथमिक संस्थाओं में संख्या बढ़ी है।

एक दूसरा कदम प्राथमिक शिक्षा को ठीक करने के लिये यह है कि हम तमाम प्रदेश का एक सर्वे कर रहे हैं कि कहां-कहां पाठशालायें हैं, कहां-कहां नयी पाठशालाओं की आवश्यकता है ताकि इस प्रदेश में कहीं भी रहने वाले बच्चों को पढ़ने में असुविधा न हो और वे यदि पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा न हो कि पढ़ न सकें। इस के अलावा जो पाठशालायें हैं उन में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। इस सबका हम ने सर्वे कराया है। इस के आंकड़े क्षेत्रों में इकट्ठा किये जा चुके हैं और मुख्य केन्द्र पर उनको एकत्रित किया जा रहा है और उस के परिणामस्वरूप हम को अपने प्रदेश का एक अच्छा ताजा चित्र मिल सकेगा कि हमें किस क्षेत्र में क्या करना है? कितना काम होना है और यदि नयी पाठशालायें खोलनी हैं, तो कितनी और चल रही हैं, उन में क्या कमी है?

श्रीमन्, हमारे यहां जितनी प्राथमिक पाठशालायें चल रही हैं वे सब बेसिक हैं यह हमारे लिये गौरव की बात है। इस सिद्धांत को कि प्राथमिक पाठशालाओं को बेसिक पाठशाला बनाया जाय, हमारे प्रदेश ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम बेसिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह वर्धा स्कीम की बात नहीं है। हमने अपने प्रदेश में ऐसी पाठशालाओं में बच्चों को क्राफ्ट की शिक्षा देने का प्रयत्न किया है और इस बात का प्रयत्न किया है कि उस के साथ जो को-रिलेशन

हो सकता है वह भी किया जाय। इस तरीके से हमारे प्रदेश में प्राथमिक पाठशालायें चल रही हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया का हमारी स्कीम से कुछ मतभेद था लेकिन मुझे निवेदन करने में प्रसन्नता है कि आज गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी अपनी बेसिक योजना को उसी के अनुरूप बनाना पड़ा है जो हमारे प्रदेश में चल रही है। हमने इस बात की कठिनाई महसूस की थी कि प्राथमिक पाठशालाओं के पास क्राफ्ट को चलाने के लिये धन की कमी रहती है। इसलिये हमने यह योजना बनाई कि हर एक प्राथमिक पाठशाला को १०० रुपये दिये जायं प्रतिवर्ष जिससे कि वे सामान क्रय कर सकें और क्राफ्ट का काम भली-भांति चला सकें। यह प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे प्रदेश में जितनी भी प्राथमिक पाठशालायें हैं उनको हम प्रतिवर्ष १०० रुपये का अनुदान दे रहे हैं और उससे वे अपनी बेसिक शिक्षा को भलीभांति चला रहे हैं।

श्रीमन्, हमने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो शिक्षक प्राथमिक पाठशालाओं में कार्य कर रहे हैं उनको भी सेवा-रत रहते हुए कुछ प्रशिक्षण की सुविधा दी जाय। इसके लिये जो डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स जिले में रहते हैं उनको एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी और उन्होंने उसको प्राप्त करने के पश्चात् अपने-अपने जिले में इन शिक्षकों के कैम्प्स लगाये जिसमें बेसिक शिक्षा की ओर उनका ध्यान दिलाया कि इस तरह से वे काम करें।

इन कदमों को उठाने से हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा का स्तर कुछ ऊंचा उठता हुआ मालूम होता है।

श्रीमन्, यह बात निर्विवाद है कि शिक्षा का बड़ा जबरदस्त उत्तरदायित्व शिक्षकों के ऊपर है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये यदि कोई चीज आवश्यक है तो वह शिक्षक ही है। क्योंकि शिक्षा आखिर चीज क्या है? चीजों को बता देना या उनको याद कर लेना, यह कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा खास तौर से जीवन शक्ति को जाग्रत करने का नाम है। कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति जिसमें स्वयं जीवन नहीं है, जिसमें स्वयं चेतना नहीं है, जो स्वयम् प्रकाशित नहीं है वह किसी दूसरे में कोई ज्वाला फूंक नहीं सकता, वह दूसरों को प्रकाश दे नहीं सकता। जो स्वयं मुंह लटकाये हुए है, जो स्वयं महसूस करता है कि तमाम समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है वह कभी बालकों में जीवन फूंकने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिये हमने सदा इस बात का ध्यान रखा है कि शिक्षक का जो वास्तविक पद है जिससे वह अपना कार्य कर सके, जिससे वह शिक्षा के स्तर को सुधार सके, उस पद पर उसको प्रतिष्ठित किया जाय, अन्यथा शिक्षा का स्तर ऊंचा होना कठिन है। इसमें कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी हैं। श्रीमन्, हमने इस बात का प्रयत्न किया २ साल में और जो मंहगाई भत्ता दिया जाता था उस मंहगाई भत्ते को हमने उनके वेतनक्रम में शामिल कर दिया। अभी इसी वर्ष ५ रुपये का भत्ता हमने उनके लिये स्वीकृत किया और इसका समस्त भार वहन सरकार ने अपने ऊपर लिया है। यह जो बढ़ोत्तरी ७१ लाख रुपये की प्राथमिक शिक्षा पर है उसमें एक बहुत बड़ा अंश इस बात का भी है जो हमने ५ रुपये का भत्ता स्वीकार किया है। इस ५ रुपये के भत्ते के सम्बन्ध में ५७,३९,००० रुपये की एक धनराशि इस बजट में रखने की आवश्यकता हुई।

श्रीमन्, एक कठिनाई यह भी महसूस होती थी कि आये दिन डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स जि के द्वारा प्राथमिक शिक्षा चलवाई जाती है वे धनाभाव के कारण और अच्छी आर्थिक दशा न होने के कारण शिक्षकों का वेतन नहीं दे पाते थे, उनका भत्ता नहीं दे पाते थे और उनकी वेतन वृद्धि नहीं दे पाते थे। जहां तक वेतन वृद्धि का सम्बन्ध है शासन ने उसका पूरा भार अपने ऊपर लिया है। उसका भार भी कुछ छोटा नहीं है और ४१,००,००० रुपये प्रतिवर्ष का वेतन वृद्धि का भार शासन के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से इनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में हमारी सरकार संलग्न है। किन्तु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि.....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मेरी वैधानिक आपत्ति है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार सदन का समय बढ़ सकता है परन्तु बिना इस नियम के निलम्बित किये हुए घट नहीं सकता। अतः रामकुमार जी वैद्य के प्रस्ताव को जिसे आपने और सदन ने मान लिया है, उस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया नियम १३ देखें जो इस प्रकार है :--

"The Speaker may adjourn a meeting of the Assembly either on his own motion or on a resolution of the House in that behalf."

इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता। वह सब कार्यवाही नियमानुकूल है।

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह से प्राथमिक शिक्षकों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु इस से हमें पूरा सन्तोष नहीं है। जो कुछ भी आज प्रामइरी स्कूल टीचर्स को मिल रहा है वह कम है और बढ़ना चाहिये। इस प्रयत्न में हम लगे हैं किन्तु कठिनाई यह होती है कि हमारे पास धन की, उतने की व्यवस्था नहीं है। बजट का काफी हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर जाता है। इस वर्ष के अनुदान के पूरे भाग का करीब ३६ प्रतिशत रिकरिंग एक्सपेंडीचर प्राथमिक शिक्षा पर व्यय होगा और जो हमारे प्लान का एक्सपेंडीचर है उसका करीब ६५ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर आता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद हमारे जितने भी बेसिक स्कूल्स आते हैं और.....।

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इस के बाद सदन ४ बजे अगले दिन साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दनमित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५१ पर।)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड ईसानगर, जिला खीरी में उसके खुलन की तिथि २ अक्तूबर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक प्रति मास में किये गये व्यय का व्योरा

क्रम संख्या	मद			व्यय
				रुपया
१	अधिकारियों का वेतन	..	..	१,३३०
२	कर्मचारियों का वेतन	..	..	१४,८७४
३	मंहगाई तथा भत्ता	..	..	८,६९२
४	प्रसंगिक व्यय—	..	..	२४,८९६
	(अ) आवर्तक	..	..	४,१६५
	(ब) अनावर्तक	..	..	९,३३०
५	स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता—	..	..	
	(अ) अनुदान	..	..	१५,०००
६	शिक्षा—			
	(अ) अनुदान	..	..	१५,०००
७	समाज शिक्षा	..	..	५,५४५
८	यातायात—			
	(अ) अनुदान	..	..	१५,०००
९	कार्यालय भवन तथा अन्य भवन निर्माण	..	..	२३,६७० (आंकड़े नवम्बर १९५७ तक)
१०	राजकीय सिंचाई कार्य	..	..	१५,१००
		योग		१,२७,७०६

नोट—स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता, शिक्षा तथा यातायात में जो ४५,००० रुपये के अनुदान के आंकड़े दर्शाये गये हैं उसमें से २२,७३६ रुपया व्यय हो चुका है। शेष धन जिला नियोजन समिति के लेखे में है जो कि आवश्यकतानुसार कार्यों के सम्पन्न होने पर व्यय किया जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक, बिसरख व प्रगाढ़ विकास खंड, दन्कौर में सिंचाई के सधन साधन बढ़ाने के लिये किये गये कार्य की सूची।

एन० ई० एस० ब्लाक, बिसरख, जिला बुलन्दशहर (खुलने की तिथि २-१०-५६)

क्रम-संख्या	सिंचाई योजना		कार्य जो हो चुके	कार्य जो प्रगति पर हैं	योग
१	ट्यूबवेल (नलकूप)	..	३	३	६
२	पक्के कुएं	..	२०	१९	३९
३	पुराने कुओं की मरम्मत	..	५	५	१०
४	कुओं की बोरिंग	..	५	१	६
५	रहट	..	१२	४	१६
६	सिंचाई के साधनों के लिये तकावी दी गई		१२,००० रुपये	..	१२,००० रुपये

प्रगाढ़ विकास क्षेत्र दनकौर, जिला बुलन्दशहर (२६-१-५५ को खुला और जुलाई, १९५६ में प्रगाढ़ विकास खंड बनाया गया)

१	सिंचाई के पक्के कुओं का निर्माण	..	२५	१२	३७
२	कुओं की बोरिंग	..	९	७	१६
३	पम्पिंग सेट	..	१०	..	१०
४	रहट	..	५०	१५	६५
५	नलकूप (ब्लाक की सहायता द्वारा)	..	६	..	६
६	सिंचाई के पुराने कुओं की मरम्मत	..	६	..	६
७	सिंचाई के साधनों के लिये तकावी दी गई		१५,००० रुपये	..	१५,००० रुपये

नोट—एन० ई० एस० ब्लाक, बिसरख तथा प्रगाढ़ विकास क्षेत्र, दन्कौर में सिंचाई के अन्य साधन बढ़ाने के लिये और नलकूपों के बनाने की योजना भी सिंचाई विभाग के विचाराधीन है।

नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

प्रगाढ़ विकास क्षेत्र, दनकौर व राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, बिसरख में पक्के किये जाने वाले मार्गों की संख्या

प्रगाढ़ विकास क्षेत्र, दनकौर, जिला बुलन्दशहर

निम्न जन-मार्ग पक्के करने की योजना है :—

१—कनारसी जुनेदपुर जनमार्ग—डेढ़ मील—सार्वजनिक निर्माण विभाग जन-मार्ग से कनारसा होती हुई। इस सड़क पर ४ फर्लांग में कंकरीट कुटवाई जा चुकी है।

२—खेरली-जमालपुर जनमार्ग—४ फर्लांग—दनकौर रेलवे स्टेशन के पास सा० नि० विभाग जनमार्ग से जमालपुर तक। इस सड़क के लिये ८,००० मन कंकड़ खुद चुका है।

३—झांझर-इनायतपुर जनमार्ग-डेढ़ मील—पक्का रोड झांझर से इनायतपुर तक ४ फर्लांग के लिये खुद चुका है।

एन० ई० एस० ब्लाक, बिसरख, जिला बुलन्दशहर

१—दुजाना ग्राम से जी०.टी० रोड तक—१ मील २ फर्लांग लम्बी कंकड़ सड़क। निर्माणकार्य प्रगति पर है।

२—छपरौला से बिसरख तक सड़क निर्माण—इस सड़क पर कच्चा काम प्रगति पर है इस वर्ष इसको ४० फुट चौड़ा करा दिया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये पृष्ठ संख्या ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर)

Composition, Scope and Functions of the District Anti-Corruption Committee

1. The District Anti-Corruption Committee will consist of the following :

(i) Chairman (non-official),

(ii) Members of the State Legislature resident in the district,

(iii) a representative of the Bar Association (s) in the district, and

(iv) five members (non-official), to be nominated by Government out of panels drawn up by the Committee.

2. The Chairman will be unanimously elected by the Committee, either from amongst its members or from outside the Committee. Where the Committee are not unanimous the Chairman will be nominated by Government. A senior magistrate, nominated by the District Magistrate, will act as Secretary to the Committee. The District Magistrate and the Superintendent of Police will have the right to address the Committee, whenever they consider it necessary, and they should ordinarily attend meetings to which they are specially invited.

The Bar Association will be represented by the President, or anyone he nominates, or, in districts where there is no President and the Association works through an Honorary Secretary, by the latter. If there are more than one Bar Associations in a district, they will jointly nominate a representative. The non-official members nominated by Government, *vide* paragraph I (iv) above will include one educationist.

The term of office of the Chairman and the five members of the Committee, nominated by Government—paragraph 1(i) and (iv) above—will be limited to a period of three years on the expiry of which a new Chairman will be elected by the Committee and new members nominated by Government out of the panels submitted by the Committee.

3. The functions of the Committee will be as follows :

(1) Each Committee, and individual members wherever possible, will undertake propaganda against corruption and will do their best to mobilize public opinion against this evil, stressing the fact that the giving of a bribe is as much an anti-social act as its acceptance.

(2) It will be the duty of the members to bring to the notice of their respective Committees complaints of corruption against particular government servants or departments. Members of the Committee shall not, however, have any authority to undertake enquiries into complaints brought before the Committee.

(3) The Committee may also suggest, in an advisory capacity, steps for preventing corruption and the steps to be taken in individual cases of corruption.

4. All complaints brought before the Committee, which contain specific charges and in support of which some evidence is produced or which appear to be well founded, shall invariably be taken due notice of and enquired into by the appropriate departmental authorities, if the Committee

desire that this should be done. The result of the enquiries shall be placed before the Committee. If a complaint against an official is made by a member of the Committee, the co-operation of the lather should be invited at the time of departmental enquiry and, if possible, also in the subsequent prosecution, if any.

5. The Secretary of the Committee will place before the Committee, at the end of each quarter, a statement showing the action taken in each of the cases brought to the notice of the Committee, and also apprise the Committee of the anti-corruption activities undertaken in the various departmental offices in the district during the quarter.

6. The Committee will be furnished with quarterly statements by the local heads of departments, showing the progress of all cases of corruption against government servants, in their respective districts, in which proceedings are instituted either departmentally or in court. Information about the result of all cases of corruption which are prosecuted in courts in the districts shall also be furnished to the respective Committees.

7. The Committee will ordinarily meet once a month and copies of the minutes of each meeting shall be sent to Government in the Confidential Department. A uniform date should be fixed for holding meetings of the Committee every month.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये प्रश्न संख्या ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५७ पर)

No. A-2982—XXV/CX

FROM

SRI Q. M. AHMAD, I.A.S.,
UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

To

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, July 16, 1955.

Subject: **District Anti-Corruption Committees**

CONFIDENTIAL DEPARTMENT.

SIR,

I am directed to address you regarding the constitution of District Anti-Corruption Committees.

2. As you are aware, these Committees have now been functioning for several years, and Government have, from time to time, issued instructions regarding their composition, scope and functions. The Government have recently had occasion to review the working of the Committees, and have decided to make certain further changes in their composition with a view to ensuring their effective functioning. The proposed changes have been incorporated in a Constitution drawn up for the Committees (copy enclosed), which reproduces the various instructions on the subject issued from time to time as well as the necessary modifications. The Committees will now be reconstituted and will function in accordance with the enclosed Constitution.

3. There will be no change in the existing scope and functions of the Committees but henceforth the District Magistrates and the Superintendents of Police will cease to be chairmen and members, respectively, of the Committees in view of the numerous pressing demands on their time. In place of the District Magistrate, each Committee will now have a non-official Chairman who will, if possible, be unanimously elected by the members, and whose term will be restricted to a period of three years. A senior magistrate, to be nominated by you, will act as Secretary of the Committee and serve as a liaison between the Committee and the district authorities. I am, however, to point out that while the District Magistrate and Superintendent of Police will cease to be formal members of the Committee, they will have the right to address the Committee, whenever they think it necessary, and should ordinarily attend meetings to which they are especially invited.

4. Government are anxious to ensure that these Committees hold their meetings regularly and that suggestions made at such meetings for eradicating corrupt practices, are implemented where possible. Government also wish to be kept informed of the action taken on complaints of corruption brought to notice by members of the Committee, and on suggestions made by them for rooting out corruption. The Secretary of the Committee should, therefore, submit to Government through you, an annual statement giving details of the complaints brought to notice by the members of the Committee during the year and the action taken on each complaint, together with a separate statement showing what suggestions were made by members of the Committee for eradicating corruption, and how far they were implemented. The statement should be submitted to Government soon after the close of each calendar year, and by March 1st at the latest.

5. In pursuance of the decisions indicated above, I am to request you kindly to convene a meeting of the Committee immediately for electing a Chairman. The Committee may elect as Chairman any non-official, whether he is an existing member of the Committee or not, but the election should be unanimous. In case unanimous election is not possible, Government will nominate the Chairman. The Committee should also be asked to draw up a panel of 15 names to enable Government to nominate five new members, *vide* paragraph 1(iv) of the enclosed Constitution. The panel should give brief particulars of the persons named therein, and should also include the names of at least one or two educationists in the district.

6. I am to add that Government are anxious that the Committees may be reconstituted and start functioning under the revised set-up at a very early date. I am, therefore, to request that a report regarding the person elected as Chairman, together with the panel of names for nomination of new members, may kindly be submitted to Government by July 31, 1955 at the latest.

Yours faithfully,
Q. M. AHMAD,
Under Secretary.

No. A-2982(i)/XXVCX

COPY. with copy of enclosure, forwarded to all Heads of Departments, Commissioners of Divisions and other Principal Heads of Offices for information and necessary action. Their attention is invited to paragraphs 4 and 6 of the enclosed Constitution, which reproduce instructions already issued in circular G. O. no. A-586/XXVC-X, dated February, 26, 1954.

2. It is requested that the local heads of departments and offices may kindly be instructed to extend full co-operation to District Anti-Corruption Committees whenever called upon to do so.

No. A-2982(ii)/XXV-CX

COPY. with copy of enclosure, forwarded for inforamtion to all Departments of the Secretariat, in continuation of G. E. no. A-1329/XXV-CX, dated April 20, 1954.

By order,
Q. M. AHMAD,
Under Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

Composition, Scope and Functions of the District Anti-Corruption Committee

1. The District Anti-Corruption Committee will consist of the following :

(i) Chairman (non-official),
(ii) Members of the State Legislature resident in the district,
(iii) a representative of the Bar Association(s) in the district, and
(iv) five members (non-official), to be nominated by Government out of panels drawn up by the Committee.

2. The Chairman will be unanimously elected by the Committee, either from amongst its members or from outside the Committee. Where the Committee are not unanimous the Chairman will be nominated by Government. A senior magistrate, nominated by the District Magistrate, will act as Secretary to the Committee. The District Magistrate and the Superintendent of Police will have the right to address the Committee, whenever they consider it necessary, and they should ordinarily attend meetings to which they are specially invited.

The Bar Association will be represented by the President, or anyone he nominates, or , in districts where there is no President and the Association works through an Honorary Secretary, by the latter. If there are more than one Bar Associations in a district, they will jointly nominate a representative. The non-official members nominated by Governmnet, *vide* paragraph I(iv) above will include one educationist.

The term of office of the Chairman and the five members of the Committee nominated by Government—paragraph 1(i) and (iv) above—will be limited to a period of three years on the expiry of which a new Chairman will be elected by the Committee and new members nominated by Government out of the panels submitted by the Committee.

3. The functions of the Committee will be as follows :

(1) Each Committee, and invididual members wherever possible will undertake propaganda against corruption and will do their best to mobilize public opinion against this evil, stressing the fact that the giving of a bribe is as much an anti-social act as its acceptance.

(2) It will be the duty of the members to bring to the notice of the respective Committees complaints of corruption against particular government servants or departments. Members of the Committee shall not, however, have any authority to undertake enquiries into complaints brought before the Committee

(3) The Committee may also suggest, in an advisory capacity, steps for preventing corruption and the steps to be taken in individual cases of corruption.

4. All complaints brought before the Committee, which contain specific charges and in support of which some evidence is produced or which appear to be well founded, shall invariably be taken due notice of and enquired into by the appropriate departmental authorities, if the Committee desire that this should be done. The result of the enquiries shall be placed before the Committee. If a complaint against an official is made by a member of the Committee, the co-operation of the latter should be invited at the time of departmental enquiry and, if possible, also in the subsequent prosecution, if any.

5. The Secretary of the Committee will place before the Committee, at the end of each quarter, a statement showing the action taken in each of the cases brought to the notice of the Committee, and also apprise the Committee of the anti-corruption activities undertaken in the various departmental offices in the district during the quarter.

6. The Committee will be furnished with quarterly statements by the local heads of departments, showing the progress of all cases of corruption against government servants, in their respective districts, in which proceedings are instituted either departmentally or in court. Information about the result of all cases of corruption which are prosecuted in courts in the districts shall also be furnished to the respective Committees.

7. The Committee will ordinarily meet once a month and copies of the minutes of each meeting shall be sent to Government in the Confidential Department. A uniform date should be fixed for holding meetings of the Committee every month.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

क्रम-संख्या	परमिट दिये गये व्यक्तियों के नाम व पते	संबंधित मार्गों के नाम	अन्य विवरण
१	श्री गीरीश चन्द मिश्र, पुत्र श्री रामशंकर मिश्र, निवासी खंजनू पुरवा, जिला हरदोई	हरदोई, शाहजहांपुर	यह परमिट दिनांक २९ जनवरी, १९५७, के पूर्व वर्तमान परमिट मालिक के पिता के नाम में था।
२	श्री लालता प्रसाद, पुत्र श्री नन्द किशोर ८९।४-ए० पुरुषोत्तम नगर, इलाहाबाद।	,,	..
३	सर्वश्री रामचन्द्र गुप्त, सन्त कुमार बाल्मीकी, निवासी दिलेरगंज, शाहाबाद, हरदोई।	,,	..
४	श्रीमती अफशरजहां बेगम, पुत्री श्री हुमायूं मिर्जा मार्फत के० बी० सैयद खां, सिविल लाइन, हरदोई।	,,	..
५	श्री महादेवप्रसाद शुक्ल, पुत्र श्री विश्वनाथ शुक्ल मार्फत राधेश्याम अग्रवाल, रेलवेगंज, हरदोई।	,,	..
६	सर्वश्री कृष्ण नारायण, रघुबीर प्रसाद, बिलग्राम, हरदोई।	हरदोई—मल्लावा	..
७	श्री जगन्नाथप्रसाद पुत्र श्री राम भरोसे, निवासी बनौली खेरी, पोस्ट बगौली, जिला हरदोई।	हरदोई—संडीला	..
८	श्री सुन्दरलाल पुत्र श्री बेनी प्रसाद, निवासी कालाकांकर, जिला प्रतापगढ़	हरदोई—बेनीगंज	यह परमिट दिनांक ९ अप्रैल, १९५७ को श्रीलाल सुरेश सिंह पुत्र राजा रमेश सिंह, कालाकांकर, प्रतापगढ़ के नाम से वर्तमान परमिट मालिक के नाम हस्तान्तरित किया गया।
९	श्री अमीर अहमद सिद्दीकी, पुत्र अब्दुल अहमद सिद्दीकी, अशरफ टोला, हरदोई।	हरदोई—गोपामऊ	..
१०	श्री गया प्रसाद जैसवाल, पुत्र श्री मुन्नालाल, उनसर, उन्नाव।	हरदोई—शाहाबाद	..
११	श्री बालकृष्ण कपूर, पुत्र श्री रामकृष्ण कपूर, निवासी पिहानी, हरदोई।	हरदोई—पिहानी	..
१२	श्री आदित्य विक्रम सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र बिक्रम सिंह सुरेन्द्र सदन, हरदोई।		..

अध्यक्ष विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

तालिका (क)

छाया क्षेत्र नौतनवा, जिला गोरखपुर को शुरू से जून ३०, १९५७ तक प्रत्येक विकास कार्य पर सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि

क्रम-संख्या	नाम विकास कार्य	संख्या	स्वीकृति धनराशि
			रुपया
१	तालाब खुदाई ..	.. ..	५००
२	कूप निर्माण ..	.. १६	५,९१३
३	कूप मरम्मत ..	.. १९	२,१०९
४	हाथ नल ..	.. ५०	३,११९
५	पंचायत भवन ..	.. ९	७,७००
६	पुलिया निर्माण ..	.. ७	१,९५०
७	पुल निर्माण ..	.. ५	३,५०५
८	मरम्मत हरिजन मकान ..	.. २५	१,०००
		योग ..	२५,७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

तालिका (ख)

छाया क्षेत्र नौतनवा, जिला गोरखपुर में शुरू से जून ३०, १९५७ तक किये गये निर्माण कार्यों पर सरकारी व्यय का विवरण

क्रम-संख्या	विकास कार्यों का नाम			पूर्ण कार्यों की संख्या	धन जो व्यय किया
					रुपया
१	तालाब खुदाई	..	..	पूर्ण	५००
२	कूप निर्माण	..	..	४	१,४९५
३	कूप मरम्मत	..	..	४	६७०
४	हाथ नल	..	..	१२	९५५
५	मरम्मत हरिजन मकान	..	..	२५	१,०००
				योग ..	४,६२०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर)

तालिका (ग)

जिला गोरखपुर में स्थित नौतनवां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में उसके खुलने की तिथि जुलाई १,१९५७ से जनवरी ३१,१९५८ तक किये गये विकास कार्यों का ब्योरा

क्रम-संख्या	कार्य	स्वीकृति कार्यों की संख्या
१	प्रारम्भिक पाठशाला	२
२	कूप निर्माण	१३
३	कूप मरम्मत	७
४	हाथ नल	४८
५	खड़ंजा	१,५०० (फीट)
६	पुलिया	५
७	पंचायतघर एवं पुस्तकालय	१
८	खाद के गड्डे	२
९	स्नान के चबूतरे	१३
१०	प्रौढ़ पाठशाला	२०
११	सामुदायिक केन्द्र	७
१२	मनोरंजन केन्द्र	१८
१३	बाल क्रीड़ा स्थल	२
१४	मंगल दल का संगठन	५
१५	प्रशिक्षण कैम्प	४
१६	सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिता	१३
१७	कम्पोस्ट के गढ्ढे खुदे	२५१
१८	वृक्षारोपण की संख्या	१,१६८
१९	बांध बनाये गये	२
२०	नहर खोदी गई	३ (मील)
२१	सिंचाई के कच्चे कुयें बने	६०
२२	सिंचाई के पक्के कुयें बने	३
२३	गुलें खोदी गईं	१५ (मील)

अनुसंधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

उत्तर प्रदेश डिस्टिलरीज की सूची

क्रम-संख्या	डिस्टिलरीज के नाम	स्थान	जिला
	पावर अल्कोहल डिस्टिलरीज—		
१	सर्वश्री सेन्ट्रल डिस्टिलरी एन्ड केमिकल वर्क्स लि०	मेरठ	मेरठ
२	सर्वश्री डौराला शुगर वर्कस लि० डिस्टिलरी	डौराला	मेरठ
३	सर्वश्री सिम्भौली इन्डस्ट्रीज लि० डिस्टिलरी	सिम्भौली	मेरठ
४	सर्वश्री शामली डिस्टिलरी एन्ड केमिकल वर्क्स	शामली	मुजफ्फरनगर
५	सर्वश्री अजोध्या डिस्टिलरी	राजा का सहसपुर	मुरादाबाद
६	सर्वश्री नारंग इन्डट्रीज लि० डिस्टिलरी	नवाबगंज	गोंडा
७	सर्वश्री अवध शुगर वर्क्स लि० डिस्टिलरी	हरगांव	सीतापुर
८	सर्वश्री हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० डिस्टिलरी	गोलागोकरननाथ	खीरी
९	सर्वश्री केसर शुगर वर्कस लि० डिस्टिलरी	बहेड़ी	बरेली
१०	सर्वश्री शंकर डिस्टिलरी एन्ड केमिकल वर्क्स लि० ।	कैप्टनगंज	देवरिया
११	सर्वश्री सराया डिस्टिलरी	सरदारनगर	गोरखपुर
१२	सर्वश्री रामपुर डिस्टिलरी एन्ड केमिकल कम्पनी लि० ।	रामपुर	रामपुर
	नान पावर अल्कोहल डिस्टिलरीज—		
१	सर्वश्री डायर मीकिन्स ब्रीवरीज लि०, डिस्टिलरी	डालीगंज	लखनऊ
२	सर्वश्री स्टैंडर्ड रिफाइनरी एन्ड डिस्टिलरी लि०	उन्नाव	उन्नाव
३	सर्वश्री केरयू एन्ड कम्पनी लि०	रोजा	शाहजहांपुर
४	सर्वश्री कोआपरेटिव कम्पनी लि० डिस्टिलरी	सहारनपुर	सहारनपुर
५	सर्वश्री इलाहाबाद डिस्टिलरी	इलाहाबाद	इलाहाबाद

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

प्रदेश में विभिन्न खेल-कूदों के लिये योजना

खेल-कूद के स्तर को ऊंचा करने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकास एवं सुधार के निमित्त प्रभावपूर्ण संगठन स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद की स्थापना की गई है।

२—इस परिषद् का कार्य ग्रामीण एवं नगर के क्षेत्रों में खेलकूद का विकास करना होगा। जैसा कि सोचा गया है यह परिषद् अतिथि सहयुक्त खेल के मैदानों, स्टेडियमों की स्थापना और क्रमबद्ध प्रशिक्षण योजना चालू करके अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में परिषद् ने ९ स्टेडियमों अतिथ्यालय सहित १६ खेल के मैदानों और १० प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। टोर्नामेन्टस को विशेष प्रोत्साहन इससे मिलेगा।

३—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर कुल ३३·३५ लाख रुपया खर्च होने की आशा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९५६–५७) में सरकार ने कौंसिल को ६·४३ लाख रुपये का अनुदान दिया था। चालू वर्ष (१९५७–५८) में सरकार की ओर से कौंसिल को ५,०६,५०० रुपये का अनुदान मिला।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६ एल० ए०—१९५८—८३५